उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2012-2013

अर्थ एवं संख्या प्रभाग

राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश.

website:-http://updes.up.nic.in

पत्रिका संख्या–425

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2012-2013

अर्थ एवं संख्या प्रभाग

राज्य नियोजन संस्थान

नियोजन विभाग

उत्तर प्रदेश

प्रस्तावना

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष **''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा''** नामक पुस्तिका प्रकाशित की जाती हैं। इसका मुख्य उद्‌देश्य प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों का विश्लेषण कर तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत करना है।

2. प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा वर्ष 2012-2013 में प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के साथ ही सभी प्रमुख क्षेत्रों यथा जनांकिकी, कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय, उद्योग, खनिज एवं विद्युत, सड़क, परिवहन एवं संचार, सामाजिक सेवायें, श्रम शक्ति एवं सेवायोजन आदि से सम्बन्धित अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग कर विश्लेषण अलग-अलग अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है।

3. इस समीक्षा को तैयार करने के सम्बन्ध में श्रीमती अलका ढौंडियाल, उप निदेशक के कुशल मार्ग निर्देशन तथा श्रीमती कंचन जायसवाल एवं श्रीमती डुमनेश दीक्षा साहू, अर्थ एवं संख्याधिकारियों के प्रभावी पर्यवेक्षण में श्री सुनील कुमार गुप्ता, श्रीमती रेखा शुक्ला, अपर सांख्यिकीय अधिकारी तथा श्रीमती आभा, कनिष्ठ सहायक द्वारा किया गया परिश्रम एवं प्रभाग के ग्राफ तथा प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग द्वारा दिया गया योगदान सराहनीय रहा है।

4. मुझे आशा है कि प्रस्तुत समीक्षा नियोजकों, नीति निर्धारकों, योजना निर्माताओं, शोधकर्ताओं एवं प्रशासकों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। इस प्रकाशन को और अधिक सार्थक बनाने हेतु उपयोगकर्ताओं के सुझावों को सहर्ष विचारार्थ स्वीकार किया जायेगा।

लखनऊः
दिनांकः २९ **जनवरी, 2014**

29.1.2014

(श्याम लाल)
आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक।

उत्तर प्रदेश का मानचित्र

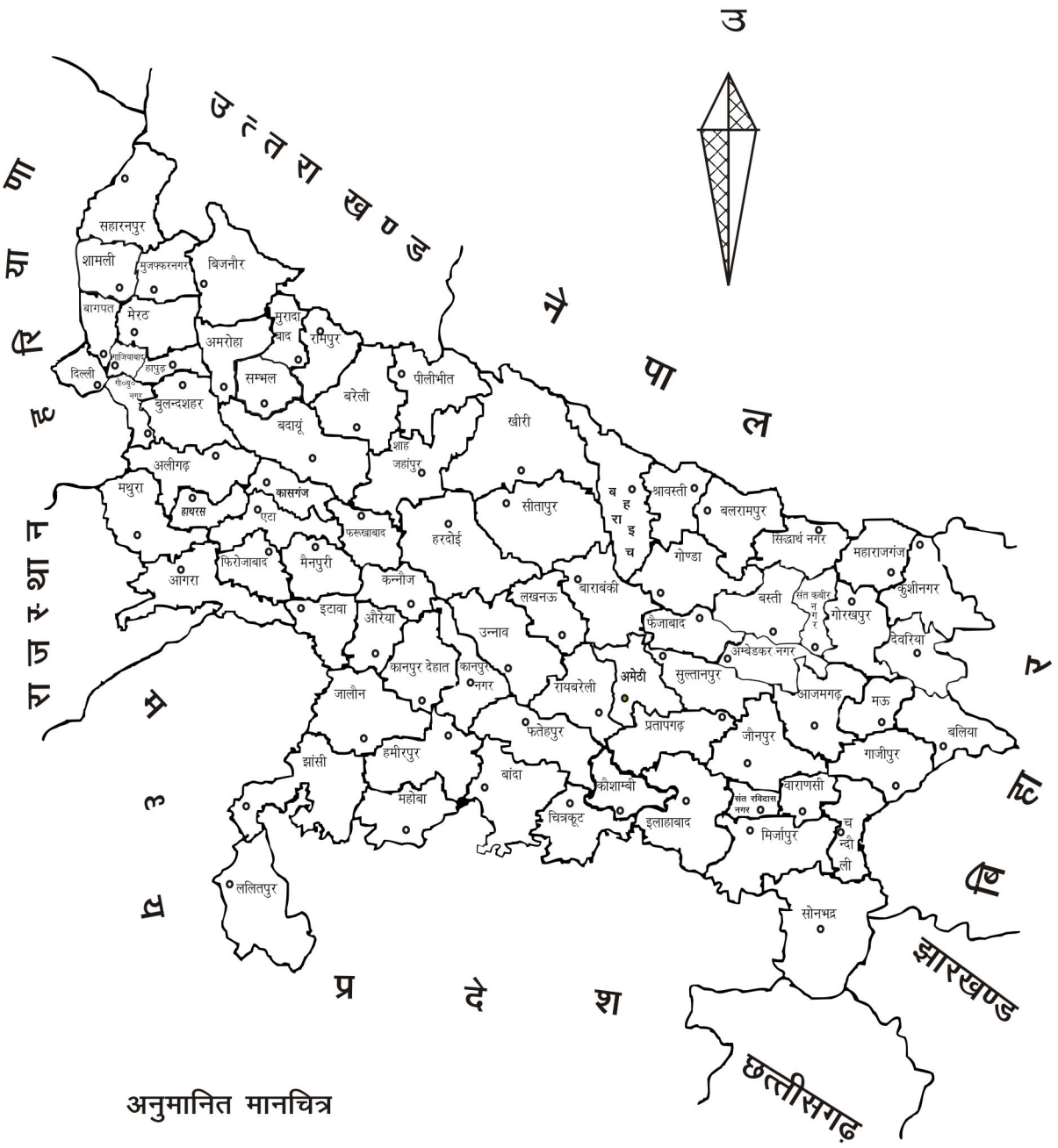

अनुमानित मानचित्र

विषय-सूची

	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य स्थिति	1-11
2.	आर्थिक स्थिति	12-22
3.	कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय	23-38
4.	उद्योग, खनिज एवं विद्युत	39-54
5.	सड़क, परिवहन एवं संचार	55-63
6.	सामाजिक सेवायें	64-87
7.	श्रम-शक्ति एवं सेवायोजन	88-98
8.	प्रदेश की आर्थिक प्रत्याशायें	99-102
	परिशिष्ट	103

अध्याय–1
सामान्य स्थिति

भौगोलिक स्थिति

उत्तर प्रदेश भारत के विशालतम् राज्यों में से एक है जो कि 25"–31' उत्तरी अक्षांश तथा 77"–84' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में नेपाल राष्ट्र एवं उत्तराखण्ड राज्य, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार एवं झारखण्ड तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान की सीमाएं मिलती हैं। इस प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 241 हजार वर्ग किमी है, जो भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल (3287 हजार वर्ग किमी.) का 7.33 प्रतिशत है। क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से राजस्थान (10.40प्रतिशत), मध्य प्रदेश (9.37 प्रतिशत), महाराष्ट्र (9.36 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश (8.37 प्रतिशत) के बाद उत्तर प्रदेश (7.33 प्रतिशत) का स्थान भारत के पांचवे विशाल राज्य के रूप में है।

प्रशासनिक ढांचा

प्रशासनिक दृष्टि से सम्पूर्ण प्रदेश को (31–03–13 की स्थिति के अनुसार) 18 मण्डलों, 75 जनपदों एवं 316 तहसीलों में विभाजित किया गया है। प्रदेश के संतुलित आर्थिक विकास हेतु इसे 4 आर्थिक क्षेत्रों यथा पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय एवं बुन्देलखण्ड में विभक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त नगरीय व्यवस्था के सुचार संचालन हेतु सम्पूर्ण प्रदेश 915 नगर एवं नगर समूहों में विभाजित है। साथ ही ग्रामीण अंचल के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 822 सामुदायिक विकास खण्ड भी बनाये गये हैं।

जनसंख्या

जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1662 लाख थी, जो भारत की वर्ष 2001 की कुल जनसंख्या (10287 लाख) का 16.2 प्रतिशत थी। प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 56.3 था जबकि भारत का साक्षरता प्रतिशत 64.8 था। वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या (1662 लाख) में 876 लाख (52.7 प्रतिशत) पुरूष तथा 786 लाख (47.3 प्रतिशत) स्त्रियां पायी गयीं। कुल जनसंख्या में 1317 लाख (79.22 प्रतिशत) ग्रामीण जनसंख्या तथा 345 लाख (20.78 प्रतिशत) नगरीय जनसंख्या थी।

वर्ष **2011 की जनगणना** के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 लाख है, जो भारत की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या (12106 लाख) का 16.5 प्रतिशत है। प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जबकि भारत का साक्षरता प्रतिशत 73.0 है। वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या (1998 लाख) में 1045 लाख (52.30 प्रतिशत) पुरूष तथा 953 लाख (47.70 प्रतिशत) स्त्रियां पायी गयी। कुल जनसंख्या में 1553 लाख (77.73 प्रतिशत) ग्रामीण जनसंख्या तथा 445 लाख (22.27 प्रतिशत) नगरीय जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण मदों के आंकड़े तालिका-1.1 में दर्शाये गये हैं:-

तालिका-1.1

जनगणना 2001 एवं 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े

क्रमांक	मद		2001	2011
1	2		3	4
1	कुल जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि		25.8	20.2
2	ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि		24.1	18.0
3	नगरीय जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि		33.0	28.8
4	अनुसूचित जाति की जनसंख्या (लाख में)		351.48	413.58
5	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	"	1.08	11.34
6	साक्षर (लाख में)	व्यक्ति	757	1144
		पुरूष	489	682
		स्त्री	268	462
7	नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अंश		20.8	22.3

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या (1998.12 लाख) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमश: 413.58 लाख एवं 11.34 लाख थी जो कुल जनसंख्या की क्रमश: 20.7 प्रतिशत तथा 0.6 प्रतिशत थी जबकि इसी अवधि में भारत में यह प्रतिशत क्रमश: 16.6 एवं 8.6 था।

जनसंख्या की वृद्धि दर

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001-2011 की अवधि में कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में प्रदेश का भारत के राज्यों में गत दशक की भाँति ग्यारहवां स्थान रहा। 2001-11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि (20.2 प्रतिशत) उक्त अवधि में भारत की दशकीय वृद्धि (17.7 प्रतिशत) से अधिक रही जबकि 1991-2001

की अवधि में उक्त वृद्धि (25.8 प्रतिशत) थी जो उक्त अवधि में भी भारत की दशकीय वृद्धि (21.5 प्रतिशत) से अधिक थी।

उत्तर प्रदेश के जनगणना 1991, 2001 एवं 2011 से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े तालिका-1.2 में दर्शाये गये हैं:-

तालिका-1.2

उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े

क्रमांक	मद		1991	2001	2011
1	2		3	4	5
1	कुल जनसंख्या (लाख में)		1321	1662	1998
2	ग्रामीण जनसंख्या "		1061	1317	1553
3	नगरीय जनसंख्या "		260	345	445
4	जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)		548	690	829
5	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या		876	898	912
6	कुल जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि (1981-1991, 1991-2001, 2001-2011)		25.6	25.8	20.2
7	साक्षरता प्रतिशत	व्यक्ति	41.6	56.3	67.7
		पुरूष	55.7	68.8	77.3
		स्त्री	25.3	42.2	57.2

उत्तर प्रदेश के कुछ मदों के आर्थिक क्षेत्रवार आंकड़े तालिका 1.3 में दिये जा रहे हैं:-

तालिका-1.3

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के जनगणना 2011 के कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े

आर्थिक क्षेत्र	कुल जनसंख्या (लाख में)	जनसंख्या का प्रतिशत अंश	भौगोलिक क्षेत्रफल (हजार वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1 पूर्वी	799	40.0	86(35.6)	931	952
2 पश्चिमी	742	37.2	80(33.1)	930	884
3 केन्द्रीय	360	18.0	46(19.0)	785	895
4 बुन्देलखण्ड	97	4.8	29(12.2)	329	877
उत्तर प्रदेश	**1998**	**100.0**	**241(100.0)**	**829**	**912**

तालिकागत आंकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या 40.0

प्रतिशत है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसके बाद क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र (37.2 प्रतिशत) व केन्द्रीय क्षेत्र (18.0 प्रतिशत) तथा सबसे बाद में बुन्देलखण्ड क्षेत्र (4.8 प्रतिशत) आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी प्रदेश के क्षेत्रफल का 35.6 प्रतिशत भाग पूर्वी क्षेत्र में है, जो प्रथम स्थान पर तथा इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र (33.2 प्रतिशत क्षेत्रफल), केन्द्रीय क्षेत्र (19.0 प्रतिशत क्षेत्रफल) तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र (12.2 प्रतिशत क्षेत्रफल) का स्थान है।

लिंगानुपात की प्रवृत्ति

स्त्री पुरुष अनुपात से तात्पर्य प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से है। वर्ष 1901 से 2011 की अवधि में स्त्री पुरुष अनुपात के आंकड़े तालिका 1.4 में दर्शाये गये हैः-

तालिका 1.4

उत्तर प्रदेश एवं भारत के स्त्री पुरुष अनुपात के आंकड़े

वर्ष	उत्तर प्रदेश		भारत	
	समस्त आयु वर्ग	(0-6 वर्ष)	समस्त आयु वर्ग	(0-6 वर्ष)
1	2	3	4	5
1901	938	–	972	–
1911	916	–	964	–
1921	908	–	955	–
1931	903	–	950	–
1941	907	–	945	–
1951	908	–	946	–
1961	907	–	941	976
1971	876	923	930	964
1981	882	935	934	962
1991	876	927	927	945
2001	898	916	933	927
2011	912	902	943	919

प्रदेश में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या वर्ष 1901 की जनगणनानुसार 938 थी। इसके पश्चात् वर्ष 1991 तक इसमें कमी एवं वृद्धि की मिश्रित प्रवृत्ति रही। वर्ष 2001 से इसमें पुनः वृद्धि आरम्भ हुई और यह बढ़ते हुए वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 में क्रमशः 898

एवं 912 हो गयी। भारत में वर्ष 2011 में यह संख्या 943 है, जबकि वर्ष 2001 में यह 933 ही थी। शिशु लिंगानुपात में निरन्तर गिरावट की प्रवृत्ति चिन्तनीय है।

साक्षरता प्रतिशत

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरों की संख्या 1144 लाख है, जिनमें 682 लाख पुरूष तथा 462 लाख महिला साक्षर हैं तथा प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है, जो भारत के सम्वादी अवधि के साक्षरता प्रतिशत 73.0 से कम है। जबकि वर्ष 2001 में यह प्रतिशत 56.3 था, जो भारत के सम्वादी अवधि के साक्षरता प्रतिशत 64.8 से कम था।

वर्ष 1951 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश के साक्षरता प्रतिशत के आंकड़े तालिका 1.5 में दर्शाये गये हैं:-

तालिका–1.5

उत्तर प्रदेश के साक्षरता प्रतिशत के आंकड़े

वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	स्त्री
1	2	3	4
1951	12.02	19.17	4.07
1961	20.87	32.08	8.36
1971	23.99	35.01	11.23
1981	32.65	46.65	16.74
1991	41.60	55.73	25.31
2001	56.27	68.82	42.22
2011	67.68	77.28	57.18

टिप्पणी

वर्ष 1951, 1961 एवं 1971 के साक्षरता प्रतिशत के आंकड़े 5 वर्ष और उससे अधिक के आयु वर्ग की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित हैं, जबकि वर्ष 1981, 1991, 2001 एवं 2011 के आंकड़े 7 वर्ष एवं उससे अधिक के आयु वर्ग की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित हैं।

जनगणना 2001 एवं 2011 से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के उत्तर प्रदेश एवं भारत के आंकड़े तालिका 1.6 में दर्शाये गये हैं-

तालिका-1.6

उत्तर प्रदेश एवं भारत के कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े

क्रमांक	मद	उत्तर प्रदेश		भारत	
		2001	2011	2001	2011
1	2	3	4	5	6
1.	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत	23.7	22.34	30.4	29.9
2.	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत	21.1	20.7	16.2	16.6
3.	कुल जनसंख्या में अनु. जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत	0.1	0.6	8.2	8.6
4.	1991-2001, 2001-2011 के दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि	25.8	20.2	21.5	17.7
5.	जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	690	829	325	382
6.	कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	20.8	22.3	27.8	31.2
7.	प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या	898	912	933	943

कर्मकर

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों की संख्या 658 लाख है, जिसमें 191 लाख कृषक, 199 लाख कृषि श्रमिक, 39 लाख पारिवारिक उद्योग में लगे श्रमिक तथा 229 लाख अन्य कार्यो में लगे श्रमिक हैं। कुल कर्मकरों में 446 लाख मुख्य कर्मकर तथा 212 लाख सीमान्त कर्मकर हैं। कुल कर्मकरों में कृषक 29.0 प्रतिशत, कृषि श्रमिक 30.3 प्रतिशत, पारिवारिक उद्योग में लगे कर्मकर 5.9 प्रतिशत तथा अन्य कार्यो में लगे कर्मकर 34.8 प्रतिशत हैं।

उत्पादन

उत्तर प्रदेश के कृषि फसलों के अन्तर्गत कुछ प्रमुख मदों के उत्पादन एवं औसत उपज के आंकड़े तालिका 1.7 में दर्शाये गये हैं:-

तालिका–1.7

मद	2011–12	2012–13*	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
उत्पादन (हजार मी. टन)			
1– कुल खाद्यान्न	52057	51910	(–)0.3
2– कुल अनाज	49660	49578	(–)0.2
3– कुल दालें	2397	2332	(–)2.7
4– गेहूँ	32150	31332	(–)2.5
5– चावल	13917	14416	3.6
6– गन्ना	126110	137904	9.4
7– चना	710	676	(–)4.8
8– कुल तिलहन (शुद्ध)	889	1028	15.6
9– आलू	11997	13337	11.2
औसत उपज (कु./हे.)			
1– कुल खाद्यान्न	25.84	26.01	0.7
2– कुल अनाज	28.01	28.18	0.6
3– कुल दालें	9.92	9.85	(–)1.0
4– गेहूँ	32.83	32.19	(–)1.9
5– चावल	23.58	24.60	4.3
6– गन्ना	595.70	623.52	4.7
7– चना	11.83	11.20	(–)5.3
8– कुल तिलहन (शुद्ध)	8.36	8.97	7.3
9– आलू	223.02	243.52	9.2

*अनन्तिम

तालिका–1.8

उत्तर प्रदेश एवं भारत के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के आंकड़े

(किलोग्राम में)

मद	उत्तर प्रदेश		भारत	
	2010–11	2011–12	2010–11	2011–12
1	2	3	4	5
1– गेहूँ	3111	3283	2989	3177
2– चावल	2122	2358	2239	2393
3– आलू	24149	22302	20993	22700
4– गन्ना	56772	59570	70091	71668

सिंचाई सुविधा

कृषि उपज में आवश्यक वृद्धि हेतु सिंचाई सुविधाओं का होना अत्यन्त आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2010-11 में 348.44 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता उपलब्ध थी, जो वर्ष 2011-12 में 2.0 प्रतिशत बढ़कर 355.57 लाख हेक्टेयर हो गयी।

विद्युत

वर्ष 2011-12 में उत्तर प्रदेश की कुल अधिष्ठापित क्षमता 8328 मेगावाट थी, जो भारत की कुल अधिष्ठापित क्षमता 199877 मेगावाट का मात्र 4.2 प्रतिशत रही। वर्ष 2011-12 में उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन 3018.00 करोड़ कि. वाट घंटा तथा विद्युत उपभोग 5059.20 करोड़ कि. वाट घंटा रहा। उत्तर प्रदेश में एल.टी.मेन्स द्वारा विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में 87086 थी। उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2011-12 में 127.89 लाख तथा वर्ष 2012-13 में 136.06 लाख थी तथा इन्हीं वर्षों में संयोजित भार क्रमशः 33448 मेगावाट तथा 36603 मेगावाट था।

सामाजिक सुविधाएं

सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 168446, सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 76690 तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 20719 थी। प्रदेश में उच्च शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 31 विश्वविद्यालय, 3713 महाविद्यालय तथा प्रावैधिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु वर्ष 2012-13 में 267 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 151 डिप्लोमा स्तरीय संस्थान एवं 11 इंजीनियरिंग कालेज कार्यरत थे। प्रति लाख जनसंख्या पर उत्तर प्रदेश में जूनियर बेसिक विद्यालयों, सीनियर बेसिक विद्यालयों तथा हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की संख्या वर्ष 2010-11 में क्रमशः 74, 24 व 9 थी, जबकि इन्हीं संस्थाओं के अन्तर्गत भारत में इनकी संख्या क्रमशः 63, 38 व 17 थी।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जनवरी, 2013 में एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या 5096 तथा वर्ष 2012-13 में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की संख्या 2367 एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या 1575 थी। इस प्रकार प्रति लाख जनसंख्या पर उक्त वर्ष में चिकित्सालयों की संख्या क्रमश: 2.38, 1.15 एवं 0.76 है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012-13 में स्वच्छ पेयजल सुविधायुक्त पूर्ण आच्छाादित मजरों की संख्या 260110, आंशिक आच्छादित मजरों की संख्या 0 तथा पेयजल सुविधायुक्त नगरों की संख्या 630 रही।

औद्योगिक विकास

भारत में औद्योगिक सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण है। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2010-11 में भारत में कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या 172177 थी, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या 11312 थी, जो भारत के कार्यरत पंजीकृत कारखानों का मात्र 6.57 प्रतिशत थी। इसी अवधि में उत्तर प्रदेश का शुद्ध आवर्धित मूल्य 44381 करोड़ रूपये था, जो भारत के शुद्ध आवर्धित मूल्य 704576 करोड़ रूपये का मात्र 6.30 प्रतिशत था। वर्ष 2010-11 में उत्तर प्रदेश में 809 हजार कर्मचारी कार्यरत थे, जो भारत के कार्यरत 12695 हजार कर्मचारियों का मात्र 6.37 प्रतिशत थे।

पूंजी निवेश

प्रदेश में पूंजी निवेश के आंकलन के लिए सर्वाधिक सुलभ एवं उपयुक्त माध्यम आवंटित योजना परिव्यय है। प्रदेश के योजना व्यय/परिव्यय के आंकड़े तालिका 1.9 में दर्शाये गये है:-

तालिका–1.9

उत्तर प्रदेश एवं भारत का कुल योजना व्यय/परिव्यय

योजनावधि	कुल योजना व्यय/परिव्यय (करोड़ रुपये में)		भारत के योजना व्यय/परिव्यय में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत अंश
	उत्तर प्रदेश	भारत	
1	2	3	4
1–प्रथम योजना (1951–56)	166	1960	8.47
2–द्वितीय योजना (1956–61)	228	4672	4.88
3–तृतीय योजना (1961–66)	560	8577	6.53
4–वार्षिक योजना (1966–69)	451	6603	6.83
5–चतुर्थ योजना (1969–74)	1163	7675	15.15
6–पांचवी योजना (1974–79)	2909	19571	14.86
7–वार्षिक योजना (1979–80)	829	12176	6.81
8–छठी योजना (1980–85)	6519	48482	13.45
9–सातवीं योजना (1985–90)	11269	85161	13.23
10–वार्षिक योजना (1990–92)	6904	123120	5.61
11–आठवीं योजना (1992–97)	21680	186617	11.62
12–नवीं योजना (1997–2002)	28309	350464	8.08
13–दसवींयोजना (2002–2007)	54798	617287	8.88
14–ग्यारहवींयोजना (2007–2012)*	176625	1663990	10.61

स्रोत :– उत्तर प्रदेश आय–व्ययक की रुपरेखा 2012–2013

*परिव्यय

उक्त तालिका से यह विदित होता है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर किया गया कुल व्यय भारत स्तर पर किये गये कुल व्यय का 4.88 प्रतिशत से 15.15 प्रतिशत के मध्य ही रहा जबकि प्रदेश की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या में अंशदान (16.5 प्रतिशत) है।

संस्थागत वित्त

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012–13 में अनुसूचित व्यवसायिक बैंक कार्यालयों की कुल संख्या 12626 थी, जो भारत की उक्त अवधि में अनुसूचित व्यवसायिक बैंक कार्यालयों की कुल संख्या (104647) का 12.1 प्रतिशत है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रति बैंक कार्यालय पर जनसंख्या 17 हजार है, जबकि भारत में प्रति बैंक कार्यालय पर जनसंख्या 12 हजार है।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों का ऋण जमाअनुपात वर्ष 2012–13 में 43.63 प्रतिशत है, जबकि भारत का औसत 78.09 प्रतिशत का है। अन्य विकसित प्रदेशों की

अपेक्षा उत्तर प्रदेश का ऋण जमाअनुपात काफी कम है। सर्वाधिक ऋण जमाअनुपात (122.99) प्रतिशत तमिलनाडु में रहा। इसके पश्चात् आन्ध्र प्रदेश (109.94 प्रतिशत), दिल्ली (97.55 प्रतिशत), राजस्थान (92.17 प्रतिशत), महाराष्ट्र (88.32 प्रतिशत), पंजाब (81.00 प्रतिशत), हरियाणा (76.08 प्रतिशत) तथा केरल (73.31 प्रतिशत) रहे।

उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित ऋण तालिका-1.10 में दिये जा रहे है:-

तालिका-1.10

उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित ऋण

(करोड़ रुपये)

संस्थायें	वितरित ऋण	उत्तर प्रदेश का समस्त भारत से प्रतिशत
1	2	3
1-इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया (2007-08)	292.10	2.09
2-इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया (2002-03)	720.90	2.79
3-इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया (2011-12)	30.00	0.82
4-यू.पी.फाइनेंशियल कारपोरेशन (2010-11)	-	-
5-राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (2012-13)	176.74	31.54
6-रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (2012-13)	401.83	13.59
7-भारतीय जीवन बीमा निगम (2011-12)	206.94	2.91

- अप्राप्त

स्रोत:- संस्थागत वित्त निदेशालय, उ0प्र0।

****

अध्याय–2

आर्थिक स्थिति

वर्ष के दौरान विभिन्न आर्थिक स्त्रोतों में किये गये कार्यकलापों का सीधा प्रभाव राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ता है। किसी प्रदेश की राज्य आय एवं प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण सूचक माना गया है। राज्य आय अथवा निवल राज्य घरेलू उत्पाद आलोच्य वर्ष की अवधि में राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के परिमाण के मूल्य का द्योतक है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति के आंकलन की जानकारी हेतु राज्य आय का विश्लेषण इस अध्याय के विभिन्न प्रस्तरों में किया गया है।

राज्य आय की प्रवृत्ति

प्रदेशीय अर्थ व्यवस्था की प्रवृत्ति के अभिज्ञान हेतु तालिका 2.1 में निवल राज्य आय के अनुमान दर्शाये गये हैं:-

तालिका–2.1

उत्तर प्रदेश में निवल आय की प्रवृत्ति

वर्ष	प्रचलित भावों पर निवल आय (करोड़ रु0)		2004–05 के स्थायी भावों पर निवल आय (करोड़ रु0)		निवल राष्ट्रीय आय में निवल राज्य आय का प्रतिशत अंश	
	उ0प्र0	भारत	उ0प्र0	भारत	प्रचलित भावों पर	2004–05 के स्थायी भावों पर
1	2	3	4	5	6	7
2004–05	231029	2629198	231029	2629198	8.8	8.8
2005–06	258643	3000666	244514	2877284	8.6	8.5
2006–07	296767	3501313	263935	3149149	8.5	8.4
2007–08	335810	4076878	280851	3451829	8.2	8.1
2008–09	392771	4705446	302192	3664388	8.3	8.2
2009–10	463583	5411104	320989	3966407	8.6	8.1
2010–11	532218	6406834	346621	4293585	8.3	8.1
2011–12	605397	7434965	367671	4573329	8.1	8.0
2012–13	683651	8255978	389233	4728776	8.3	8.2

नोट –उ0प्र0 के आंकड़ें वर्ष 2011–12 के अनन्तिम एवं 2012–13 के त्वरित अनुमान तथा भारत के वर्ष 2012–13 के प्रथम संशोधित व 2011–12 के द्वितीय संशोधित एवं 2010–11 के आंकड़ें तृतीय संशोधित अनुमान हैं।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रचलित भावों पर निवल राज्य आय में निरन्तर वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। प्रचलित भावों पर उत्तर प्रदेश की निवल आय वर्ष 2004-05 में 231029 करोड़ रुपये थी जो 12.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2005-06 में 258643 करोड़ रुपये हो गयी। वर्ष 2006-07 में यह गत वर्ष की अपेक्षा 14.7 प्रतिशत बढ़कर 296767 करोड़ रुपये हो गयी। उसके पश्चात् भी यह निरन्तर बढ़ती हुई वर्ष 2007-08, वर्ष 2008-09, वर्ष 2009-10, वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 में क्रमशः 335810, 392771, 463583, 532218 एवं 605397 करोड़ रुपये हो गयी। वर्ष 2012-13 में यह गत वर्ष की तुलना में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 683651 करोड़ रुपये हो गयी। उक्त तालिका से यह भी विदित होता है कि प्रचलित भावों पर यद्यपि उत्तर प्रदेश की निवल आय में निरन्तर वृद्धि परिलक्षित हुई है तथापि निवल राष्ट्रीय आय में इसका योगदान वर्ष 2004-05 में 8.8 प्रतिशत रहा, जो घटकर वर्ष 2012-13 में 8.3 प्रतिशत रह गया।

स्थायी भावों पर वर्ष 2004-05 में उत्तर प्रदेश की निवल आय 231029 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर वर्ष 2010-11 में 346621 करोड़ रुपये, वर्ष 2011-12 में 367671 करोड़ रुपये और वर्ष 2012-13 में 389233 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार 2005-13 की अवधि में इसमें 68.5 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। प्रचलित भावों की तरह ही स्थायी भावों पर संगणित निवल राज्य आय का निवल राष्ट्रीय आय में योगदान कम होता गया। स्थायी भावों पर निवल राष्ट्रीय आय में निवल राज्य आय का योगदान वर्ष 2004-05 में 8.8 प्रतिशत रहा जो घटकर वर्ष 2012-13 में 8.2 प्रतिशत रह गया।

राज्य आय की खण्डीय संरचना

राज्य की अर्थ व्यवस्था में विभिन्न खण्डों के अंशदानों तथा निश्चित अवधि में उसमें हुये परिवर्तनों से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति का ज्ञान होता है।

उत्तर प्रदेश के प्रचलित भावों पर निवल आय के खण्डवार प्रतिशत वितरण के आंकड़े तालिका 2.2 में दर्शाये गये है:-

तालिका–2.2

उत्तर प्रदेश की निवल आय के खण्डवार प्रतिशत वितरण के आंकड़े

(प्रचलित भावों पर)

खण्ड	2004–05	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12*	2012–13#
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1–प्राथमिक	**32.0**	**29.4**	**29.0**	**31.0**	**30.1**	**29.2**	**30.6**	**31.1**
(1) कृषि एवं पशुपालन	27.9	25.4	25.2	27.6	26.7	25.9	27.3	27.9
2–माध्यमिक	**20.6**	**23.0**	**23.1**	**21.3**	**21.4**	**21.4**	**20.1**	**19.4**
(क) विनिर्माण	11.9	12.9	12.8	10.6	11.2	11.4	10.9	10.4
(1) पंजीकृत	5.7	6.8	6.4	5.0	6.0	6.3	6.0	5.7
(2) गैर पंजीकृत	6.2	6.1	6.4	5.6	5.2	5.1	5.0	4.7
3–तृतीयक	**47.4**	**47.6**	**47.9**	**47.7**	**48.5**	**49.4**	**49.3**	**49.5**
(1) परिवहन,संचार तथा व्यापार	21.6	22.3	22.6	21.4	20.8	21.2	20.7	20.2
(2) वित्त एवं स्थावर सम्पदा	12.3	11.9	11.7	11.8	11.9	12.5	12.6	12.7
(3) सामुदायिक तथा निजी सेवायें	13.5	13.4	13.5	14.5	15.8	15.6	16.0	16.6
योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

*अनन्तिम अनुमान # त्वरित अनुमान

तालिकागत आंकड़ों से विदित होता है कि प्राथमिक खण्ड जिसके अन्तर्गत "कृषि एवं पशुपालन", "वन उद्योग तथा लटठे् बनाना", "मछली उद्योग" एवं "खनन् तथा पत्थर निकालना" उपखण्ड सम्मिलित है, का योगदान वर्ष 2004–05 में प्रदेशीय अर्थ व्यवस्था में 32.0 प्रतिशत था जो निरन्तर गिरते हुये वर्ष 2007–08 में 29.0 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2008–09 में यह बढ़कर 31.0 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में यह पुन: गिरकर क्रमश: 30.1 एवं 29.2 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में यह बढ़कर क्रमश: 30.6 एवं 31.1 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार 2005–2013 की सम्पूर्ण अवधि में इस खण्ड में 0.9 प्रतिशत की गिरावट परिलक्षित हुई। निवल राज्य आय में ''कृषि एवं पशुपालन'' उपखण्ड का योगदान वर्ष 2004–05 में 27.9 प्रतिशत था इसके पश्चात् वर्ष 2012–13 तक इसमें कमी एवं वृद्धि की मिश्रित प्रवृत्ति रही। वर्ष 2011–12 में यह 27.3 प्रतिशत था जो वर्ष 2012–13 में बढ़कर 27.9 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार 2005 एवं 2013 की अवधि में इस उपखण्ड का अंश यथावत रहा।

माध्यमिक खण्ड के अन्तर्गत ''विनिर्माण', ''निर्माण कार्य'' एवं ''विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति'' उपखण्ड सम्मिलित हैं। निवल राज्य आय में माध्यमिक खण्ड का योगदान वर्ष 2004-05 में 20.6 प्रतिशत था जो बढ़ते हुये वर्ष 2007-08 में 23.1 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2008-09 में यह गिरकर 21.3 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2009-10 में यह बढ़कर 21.4 प्रतिशत हो गया। तत्पश्चात् पुनः गिरते हुये वर्ष 2012-13 में 19.4 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार 2005 से 2013 की सम्पूर्ण अवधि में इसमें 1.2 प्रतिशत की गिरावट दृष्टिगोचर हुई। माध्यमिक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण उपखण्ड जिसके अन्तर्गत पंजीकृत व गैर पंजीकृत घटक सम्मिलित है, की निवल राज्य आय में महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। वर्ष 2004-05 में इस उपखण्ड का योगदान 11.9 प्रतिशत था। इसके पश्चात् वर्ष 2012-13 तक इसमें कमी एवं वृद्धि की मिश्रित प्रवृत्ति रही। वर्ष 2012-13 में यह घटकर 10.4 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार 2005-2013 की सम्पूर्ण अवधि में इसमें 1.5 प्रतिशत की गिरावट परिलक्षित हुई।

अर्थ व्यवस्था के तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन, संचार तथा व्यापार", "वित्त तथा स्थावर सम्पदा" व "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उपखण्ड सम्मिलित है। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस खण्ड का योगदान वर्ष 2004-05 से 2012-13 तक के सभी वर्षो में प्रदेशीय अर्थ व्यवस्था में सर्वाधिक था। वर्ष 2004-05 में इस खण्ड का अंश 47.4 प्रतिशत जो वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में बढ़कर क्रमशः 47.6 प्रतिशत एवं 47.9 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2008-09 में यह घटकर 47.7 प्रतिशत ही रह गया जो आगे के वर्षो में पुनः बढ़कर वर्ष 2012-13 में 49.5 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार 2005-2013 की सम्पूर्ण अवधि में इसमें 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई।

तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत निवल राज्य आय में योगदान की दृष्टि से "परिवहन, संचार तथा व्यापार" उपखण्ड का योगदान सर्वाधिक है। इस उपखण्ड का अंश वर्ष 2004-05 में 21.6 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 तक इसमें कमी एवं वृद्धि की मिश्रित प्रवृत्ति रही। वर्ष 2012-13 में यह घटकर 20.2 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार 2005-13 की सम्पूर्ण अवधि में इसमें 1.4 प्रतिशत की कमी दृष्टिगोचर हुई।

वर्ष 2004-05 में "वित्त एवं स्थावर सम्पदा" उपखण्ड का योगदान 12.3 प्रतिशत रहा। इसके उपरान्त यह घटकर वर्ष 2007-08 में 11.7 प्रतिशत रह गया। इसके पश्चात् वर्ष 2012-13 तक इसमें कमी एवं वृद्धि की मिश्रित प्रवृत्ति रही। वर्ष 2012-13 में

यह 12.7 प्रतिशत हो गया इस प्रकार 2005-2013 की सम्पूर्ण अवधि में इसमें 0.4 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। ''सामुदायिक तथा निजी सेवायें'' उपखण्ड का अंश वर्ष 2004-05 में 13.5 प्रतिशत था वर्ष 2006-07 में यह घटकर 13.4 प्रतिशत हो गया। इसके पश्चात् यह लगातार बढ़ते हुये वर्ष 2009-10 में 15.8 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2011-12 में यह बढकर 16.0 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2012-13 में बढकर 16.6 प्रतिशत के उच्चतम् स्तर पर पहुंच गया। इस प्रकार 2005-13 की सम्पूर्ण अवधि में इसमें 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई।

राज्य आय में वार्षिक वृद्धि दर

प्रदेशीय अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत सम्मिलित प्रमुख खण्डों/प्रमुख उपखण्डों की विभिन्न योजनावधियों में परिलक्षित वार्षिक वृद्धि दर के अध्ययन हेतु राज्य आय में खण्डवार वार्षिक वृद्धि दर सम्बंधी आंकड़े तालिका 2.3 में दर्शाये गये है:-

तालिका-2.3

निवल राज्य आय में खण्डवार वार्षिक वृद्धि दर

खण्ड	वार्षिक योजना 1990-91 से 1991-92 की अवधि में	आठवींयोजना 1992-93 से 1996-97 की अवधि में	नवीं योजना 1997-98 से 2001-02 की अवधि में	दसवीं योजना 2002-03 से 2006-07 की अवधि में	ग्यारहवीं योजना 2007-08 से 2011-12 की अवधि में
1	2	3	4	5	6
1- प्राथमिक	**5.4**	**2.5**	**1.6**	**1.8**	**3.0**
(क) कृषि एवं पशुपालन	4.9	2.7	0.8	1.3	2.9
2- माध्यमिक	**1.2**	**3.3**	**(-)0.9**	**10.8**	**5.5**
(ख) विनिर्माण	1.1	4.2	(-)4.3	6.6	5.1
(1) पंजीकृत	(-)0.7	3.8	(-)9.7	6.9	5.9
(2) गैर पंजीकृत	4.1	4.7	4.0	6.3	4.1
3- तृतीयक	**1.6**	**3.9**	**3.8**	**5.2**	**9.5**
(1) परिवहन, संचार तथा व्यापार	4.6	2.6	3.1	5.6	8.0
(2) वित्त एवं स्थावर सम्पदा	0.6	5.5	2.9	4.7	12.5
(3) सामुदायिक तथा निजी सेवायें	(-)2.0	4.4	5.8	4.9	8.9
समस्त खण्ड (राज्य योग)	**3.1**	**3.2**	**2.0**	**5.2**	**6.9**
समस्त खण्ड (भारत)	**2.5**	**6.8**	**5.6**	**7.8**	**7.7**

नोट- स्तम्भ-4 से दिये गये आंकड़ों में उत्तराखण्ड शामिल नहीं है।

उक्त तालिका के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्ष 1990-91 से 1991-92 की अवधि में प्राथमिक खण्ड की आय की वार्षिक वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत थी जो वर्ष 1992-93 से 1996-97 की अवधि में 2.9 प्रतिशत गिरकर 2.5 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 1997-98 से 2001-02 की अवधि में पुन: 0.9 प्रतिशत गिरकर 1.6 प्रतिशत रह गयी। तत्पश्चात् वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि में उक्त वार्षिक वृद्धि दर पुन: बढ़ते हुये 1.8 प्रतिशत हो गयी। ग्यारहवीं योजना में वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में उक्त वार्षिक वृद्धि दर पुन: 1.2 प्रतिशत बढ़कर 3.0 प्रतिशत हो गयी। इस खण्ड के अन्तर्गत ''कृषि एवं पशुपालन'' उपखण्ड की आय की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 1990-91 से 1991-92 की अवधि में 4.9 प्रतिशत रही जो लगातार घटते हुये वर्ष 1997-98 से 2001-02 की अवधि में 0.8 प्रतिशत ही रह गयी। तत्पश्चात् वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि में यह 0.5 प्रतिशत बढ़कर 1.3 प्रतिशत हो गयी। ग्यारहवीं योजना में वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में उक्त वार्षिक वृद्धि दर पुन: 1.6 प्रतिशत बढ़कर 2.9 प्रतिशत हो गयी।

माध्यमिक खण्ड की आय की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 1990-91 से 1991-92 की अवधि में 1.2 प्रतिशत थी। जो वर्ष 1992-93 से 1996-97 की अवधि में 2.1 प्रतिशत बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गयी। तत्पश्चात् वर्ष 1997-98 से 2001-02 की अवधि में उक्त वार्षिक वृद्धि दर घटकर (-)0.9 प्रतिशत ही रह गयी। इसके उपरान्त वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि में यह वार्षिक वृद्धि दर बढ़कर 10.8 प्रतिशत हो गयी। ग्यारहवीं योजना में वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में उक्त वार्षिक वृद्धि दर घटकर 5.5 प्रतिशत रह गयी। इसी प्रकार विनिर्माण उपखण्ड की वार्षिक वृद्धि दर उक्त अवधियों में क्रमश: 1.1 प्रतिशत, 4.2 प्रतिशत, (-)4.3 प्रतिशत, 6.6 प्रतिशत व 5.1 प्रतिशत रही। विनिर्माण उपखण्ड में सम्मिलित पंजीकृत एवं गैरपंजीकृत घटकों की वार्षिक वृद्धि दर उक्त अवधियों में क्रमश: (-)0.7 प्रतिशत, 3.8 प्रतिशत, (-)9.7 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत व 5.9 प्रतिशत एवं 4.1 प्रतिशत, 4.7 प्रतिशत, 4.0 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत व 4.1 प्रतिशत रही।

तृतीयक खण्ड की आय की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 1990-91 से 1991-92 की अवधि में 1.6 प्रतिशत थी जो वर्ष 1992-93 से 1996-97 की अवधि में 2.3 प्रतिशत बढ़कर 3.9 प्रतिशत हो गयी। इसके उपरान्त वर्ष 1997-98 से 2001-02 की अवधि में उक्त वार्षिक वृद्धि दर 0.1 प्रतिशत घटकर 3.8 प्रतिशत रह गयी। तत्पश्चात् वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि में उक्त वार्षिक वृद्धि दर 1.4 प्रतिशत बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गयी। ग्यारहवीं योजना में वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में उक्त वार्षिक वृद्धि दर पुन: 4.3 प्रतिशत बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गयी। उक्त खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन, संचार तथा व्यापार" उपखण्ड की वार्षिक वृद्धि दर सन्दर्भित अवधियों में क्रमश: 4.6 प्रतिशत, 2.6 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत, 5.6 प्रतिशत व 8.0 प्रतिशत रही।

इसी प्रकार "वित्त एवं स्थावर सम्पदा" उपखण्ड की वार्षिक वृद्धि दरें उक्त अवधियों में क्रमशः 0.6 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत, 2.9 प्रतिशत, 4.7 प्रतिशत व 12.5 प्रतिशत रही। "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उपखण्ड की वार्षिक वृद्धि दर भी उक्त अवधियों में क्रमशः (-)2.0 प्रतिशत, 4.4 प्रतिशत, 5.8 प्रतिशत, 4.9 प्रतिशत व 8.9 प्रतिशत रही।

तालिका 2.3 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण प्रदेशीय अर्थ-व्यवस्था की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 1990-91 से 1991-92 की अवधि में 3.1 प्रतिशत थी जो राष्ट्रीय औसत (2.5 प्रतिशत) से अधिक थीं, परन्तु तदोपरान्त प्रदेशीय अर्थ व्यवस्था की औसत वार्षिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत के परिप्रेक्ष्य में कम रही। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997), नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) की अवधियों में प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में क्रमशः 3.2 प्रतिशत, 2.0 प्रतिशत व 5.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर रही जो उक्त अवधियों की अखिल भारतीय औसत वार्षिक वृद्धि दर (6.8 प्रतिशत, 5.6 प्रतिशत एवं 7.8 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम रही। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) की वर्ष 2007-2008 से 2011-12 की अवधि में वार्षिक वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रही जो राष्ट्रीय वार्षिक वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत से कम रही।

तालिका 2.4 में प्रति व्यक्ति राज्य आय एवं राष्ट्रीय आय से सम्बंधित आंकड़े दर्शाये गये हैः-

तालिका-2.4

प्रति व्यक्ति राज्य आय एवं राष्ट्रीय आय

वर्ष	प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति निवल आय (रु0)			स्थायी (2004-05)भावों पर प्रति व्यक्ति निवल आय (रु0)		
	उ0प्र0	भारत	अन्तर (3-2)	उ0प्र0	भारत	अन्तर (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	12950	24143	11193	12950	24143	11193
2005-06	14221	27131	12910	13445	26015	12570
2006-07	16013	31206	15193	14241	28067	13826
2007-08	17785	35825	18040	14875	30332	15457
2008-09	20422	40775	20353	15713	31754	16041
2009-10	23671	46249	22758	16390	33901	17511
2010-11	26698	54021	27323	17388	36202	18814
2011-12	29848	61855	32007	18127	38048	19921
2012-13	33137	67839	34702	18866	38856	19990

नोट- उ0प्र0 के आंकड़ें वर्ष 2011-12 के अनन्तिम एवं 2012-13 के त्वरित अनुमान तथा भारत के वर्ष 2012-13 के प्रथम संशोधित व 2011-12 के द्वितीय संशोधित एवं 2010-11 के आंकड़ें तृतीय संशोधित अनुमान हैं।

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति राज्य आय में लगातार वृद्धि का रुख रहा। वर्ष 2004-05 में प्रति व्यक्ति राज्य आय 12950 रुपये थी जो 9.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2005-06 में 14221 रुपये हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 में निरन्तर बढ़ती हुयी गत वर्ष की तुलना में यह क्रमशः 12.6 प्रतिशत, 11.1 प्रतिशत, 14.8 प्रतिशत, 15.9 प्रतिशत, 12.8 प्रतिशत, 11.8 प्रतिशत तथा 11.0 प्रतिशत बढ़कर क्रमशः रु016013, 17785, 20422, 23671, 26698, 29848 व 33137 हो गयी। इस प्रकार 2005-2013 की सम्पूर्ण अवधि में इसमें 155.9 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

उक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि प्रचलित भावों पर यद्यपि प्रति व्यक्ति राज्य आय में निरन्तर वृद्धि परिलक्षित हुई तथापि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति राज्य आय का अन्तर लगातार बढ़ता रहा। प्रचलित भावों पर वर्ष 2004-05 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति राज्य आय का अन्तर 11193 रु0 था जो निरन्तर बढ़ता हुआ वर्ष 2012-13 में 34710 रुपये हो गया। इस प्रकार इसमें 2005-2013 की सम्पूर्ण अवधि में अन्तर बढ़ने की प्रवृत्ति में 210.0 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

स्थायी भावों पर वर्ष 2004-05 में प्रति व्यक्ति राज्य आय 12950 रुपये थी जो बढ़कर वर्ष 2012-13 में 18866 रुपये हो गयी। इस प्रकार 2005-13 की सम्पूर्ण अवधि में प्रति व्यक्ति राज्य आय में 45.7 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति राज्य आय का अन्तर लगातार बढ़ता रहा। स्थायी भावों पर वर्ष 2004-05 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और राज्य आय का अन्तर 11193 रुपये था, जो निरन्तर बढ़ता हुआ वर्ष 2012-13 में 19990 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस प्रकार इसमें 2005-13 की सम्पूर्ण अवधि में अन्तर बढ़ने की प्रवृत्ति में 78.6 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

प्रमुख राज्यों तथा राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय

उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में यद्यपि निरन्तर वृद्धि हो रही है तथापि प्रदेश की वृहद जनसंख्या के कारण अन्य राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय कम है। तालिका 2.5 में प्रमुख राज्यों तथा राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े दर्शाये गये हैं:-

तालिका–2.5

प्रमुख राज्यों तथा राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय

(रुपये में)

क्रमांक	राज्य	प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति निवल आय				स्थायी (2004–05) भावों पर प्रति व्यक्ति निवल आय	
		2004–05	प्रदेश की आय से अन्तर	2011–12	प्रदेश की आय से अन्तर	2011–12	प्रदेश की आय से अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	25321	12371	68970	39122	42119	23992
2.	असम	16782	3832	37250	7402	22910	4783
3.	बिहार	7914	(–)5036	22890	(–)6958	13226	(–)4901
4.	गुजरात	32021	19071	89668	59820	57508	39381
5.	हरियाणा	37972	25022	108345	78497	62078	43951
6.	हिमांचल प्रदेश	33348	20398	74694	44846	48923	30796
7.	कर्नाटक	26882	13932	68423	38575	41959	23832
8.	केरल	31871	18921	78387	48539	52095	33968
9.	मध्य प्रदेश	15442	2492	37994	8146	24395	6268
10.	महाराष्ट्र	36077	23127	95339	65491	62457	44330
11.	ओडिशा	17650	4700	41896	12048	24134	6007
12.	पंजाब	33103	20153	78633	48785	46364	28237
13.	राजस्थान	18565	5615	53735	23887	28851	10724
14.	तमिलनाडु	30062	17112	88697	58849	57131	39004
15.	उत्तर प्रदेश	12950	0	29848	0	18127	0
16.	पं.बंगाल	22649	9699	54125	24277	33117	14990
17.	उत्तराखण्ड	24726	11776	81595	51747	50303	32176
18.	छत्तीसगढ़	18559	5609	46743	16895	26979	8852
19.	झारखण्ड	18510	5560	38258	8410	25634	7507
20.	दिल्ली	63877	50927	173686	143838	112626	94499
	भारत	**24143**	**11193**	**61855**	**32007**	**38048**	**19921**

तालिका से स्पष्ट है कि प्रचलित भावों पर वर्ष 2004–05 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति निवल आय वाले राज्य क्रमशः दिल्ली 63877, हरियाणा 37972 रुपये, महाराष्ट्र 36077 रुपये, हिमांचल प्रदेश 33348 रुपये एवं पंजाब 33103 रुपये है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों की तुलना में कम (12950 रुपये) है। वर्ष 2011–12 में जहां सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय दिल्ली की 173686 रुपये, हरियाणा 108345 रुपये, महाराष्ट्र

95339 रुपये, गुजरात 89668 रुपये एवं तमिलनाडु 88697 रुपये रही, वहीं उत्तर प्रदेश की आय 29848 रुपये रही ।

स्थायी भावों पर वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति निवल आय वाले राज्य क्रमश: दिल्ली 112626 रुपये, महाराष्ट्र 62457 रुपये, हरियाणा 62078 रुपये, गुजरात 57508 एवं तमिलनाडु 57131 रुपये है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 18127 रुपये रही ।

भाव प्रवृत्ति

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (2004-05=100) वर्ष 2011-12 में 173.72 था जो 12.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2012-13 में 196.06 हो गया। तालिका 2.6 में मुख्य वर्गो के ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक के आंकड़े दर्शाये गये हैं:-

तालिका-2.6

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (2004-05=100)

वर्ग	2011-12	2012-13	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
1.खाद्य पदार्थ, पेय और तम्बाकू	179.19	205.98	15.0
2. ईधन व प्रकाश	187.67	208.27	11.0
3. वस्त्र, बिस्तर व जूते	152.49	168.46	10.5
4. आवास	205.30	241.42	17.6
5. विविध	160.15	173.99	8.6
सामान्य सूचकांक	173.72	196.06	12.9

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (2004-05=100)वर्ष 2011-12 में 166.91 था, जो 11.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2012-13 में 185.73 हो गया। उत्तर प्रदेश में नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक की विभिन्न प्रमुख वर्गानुसार समग्र स्थिति निम्नवत् है:-

तालिका–2.7

उत्तर प्रदेश के नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (2004–05=100)

वर्ग	2011–12	2012–13	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
1. खाद्य पदार्थ,पेय और तम्बाकू	183.84	210.29	14.4
2. ईधन व प्रकाश	131.95	141.26	7.1
3. वस्त्र, बिस्तर व जूते	155.45	172.37	10.9
4. आवास	179.38	200.80	11.9
5. विविध	155.77	167.21	7.3
सामान्य सूचकांक	166.91	185.73	11.3

तालिका 2.8 में कतिपय मदों के थोक भाव सूचकांक दर्शाये गये है:-

तालिका–2.8

उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक (2004–05=100)

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की तुलना में में प्रतिशत वृद्धि
		2011–12	2012–13	
1	2	3	4	5
1.	**प्राथमिक वस्तुएं**	**177.10**	**194.61**	**9.8**
	(क) खाद्य पदार्थ	187.29	208.26	11.2
	(1)खाद्यान्न	179.89	202.77	12.7
	(ख) अखाद्य पदार्थ	156.67	161.99	3.1
	(ग) खनिज पदार्थ	141.61	185.41	30.9
2.	**ईधन, शक्ति, प्रकाश एवं स्नेहक**	**130.36**	**166.52**	**27.7**
3.	**विनिर्मित उत्पाद**	**156.08**	**166.53**	6.7
	(क) चीनी खाण्डसारी एवं गुड़	190.34	216.23	13.6
	(ख) खाद्य तेल	186.74	200.38	7.3
	(ग) सूती वस्त्र	163.98	173.32	5.7
	समस्त वर्ग	**159.04**	**172.13**	**8.2**

तालिकागत आंकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्ष 2011–12 में प्रदेश का थोक भाव सूचकांक (2004–05=100) 159.04 था जो 8.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2012–13 में 172.13 हो गया।

****

अध्याय–3

कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय

उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थ व्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय पर आधारित है। राज्य की वर्ष 2012–13 में कुल आय 683651 करोड़ रू0 में कृषि एवं सम्वर्गीय क्रिया कलापों का अंश 31.1 प्रतिशत है, जिसमें से कृषि एवं पशुपालन खण्ड का प्रतिशत अंश 30.7 है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकर 658.15 लाख थे, जिसमें 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश 59.3 था। प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में कृषि खण्ड के महत्वपूर्ण योगदान को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के नियोजित विकास में कृषि के बहुमुखी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषि एवं सम्वर्गीय कार्यक्रमों, भूमि एवं जल संरक्षण, पशुपालन, डेरी विकास, खाद्यान्न भण्डारण, कृषि अनुसन्धान, भूमि सुधार, आदि कृषि कार्यक्रमों पर उत्तर प्रदेश में नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में 2209.39 करोड़ रुपये का परिव्यय प्राविधानित किया गया था जिसके सापेक्ष उक्त अवधि में इन मदों पर 2743.75 करोड़ रुपये व्यय किये गये। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में उपरोक्त मदों पर 5142.40 करोड़ रूपये का परिव्यय प्राविधानित किया गया था। जिसमें से उक्त मदों पर वर्ष 2002–03 में 824.93 करोड़ रुपये, वर्ष 2003–04 में 723.43 करोड़ रुपये, वर्ष 2004–05 में 627.20 करोड़ रुपये, वर्ष 2005–06 में 924.50 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006–07 में 1151.20 करोड़ रुपये व्यय किये गये। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में उपरोक्त मदों पर 19146.37 करोड़ रूपये व्यय करने का प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष वर्ष 2007–08 में उक्त मदों पर 1956.36 करोड़ रुपये, वर्ष 2008–09 में 2425.41 करोड़ रुपये, वर्ष 2009–10 में 2869.84 करोड़ रुपये, वर्ष 2010–11 में 3325.97 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2011–12 में 3585.79 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों में 29.0 प्रतिशत कृषक, राष्ट्रीय औसत 24.6 प्रतिशत से अधिक रहा। वर्ष 2001 एवं 2011 की भारतीय जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों का विवरण तालिका–3.1 में दर्शाया गया है:–

तालिका–3.1

उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों की संख्या तथा उनका प्रतिशत विवरण

मद	इकाई	कर्मकरों की संख्या 2001	कर्मकरों की संख्या 2011	कर्मकरों का प्रतिशत 2001	कर्मकरों का प्रतिशत 2011
1	2	3	4	5	6
1– कृषक	लाख	221.68	190.58	41.1	29.0
2– कृषि श्रमिक	,,	134.01	199.39	24.8	30.3
3– पारिवारिक उद्योग	,,	30.31	38.99	5.6	5.9
4– अन्य	,,	153.84	229.19	28.5	34.8
योग		**539.84**	**658.15**	**100.0**	**100.0**

प्रदेश में कृषकों की बहुलता के कारण कृषि कार्यो हेतु प्रति कृषक उपलब्ध भूमि राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम रही। कृषि गणना 2000–01 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के आंकड़ों से विदित होता है कि उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में एक हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 76.9 था जोकि वर्ष 2005–06 में बढकर 78.0 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2000–2001 में बड़े आकार (10 हेक्टेयर और अधिक) की जोतो का प्रतिशत कुल क्रियात्मक जोतो का मात्र 0.2 प्रतिशत था जो वर्ष 2005–06 में घटकर 0.1 प्रतिशत रह गया। स्पष्ट है कि प्रदेश में जोतो का औसत आकार घटता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2000–01 एवं 2005–06 में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल तालिका–3.2 में दर्शाया गया है:–

तालिका–3.2

उत्तर प्रदेश में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल

आकार वर्ग (हेक्टे0में)	2000–01 क्रियात्मक जोतों की सं0(हजार में)	2000–01 कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टे0 में)	2005–06 क्रियात्मक जोतों की सं0(हजार में)	2005–06 कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टे0में)
1	2	3	4	5
1.0से कम	16658.9	6647.7	17507.1	6971.6
	(76.9)	(37.0)	(78.0)	(38.9)
1.0–2.0	3087.1	4365.8	3103.1	4340.9
	(14.2)	(24.3)	(13.8)	(24.2)
2.0–4.0	1427.1	3905.6	1391.6	3795.6
	(6.6)	(21.7)	(6.2)	(21.2)
4.0–10.0	463.0	2579.9	427.9	2374.2
	(2.1)	(14.3)	(1.9)	(13.3)
10.0 और	32.1	484.3	27.9	423.6
अधिक	(0.2)	(2.7)	(0.1)	(2.4)
योग	**21668.2**	**17983.3**	**22457.6**	**17905.9**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

स्रोत: राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

नोट:– कोष्ठक में दी गयी सूचनायें प्रतिशत वितरण से सम्बंधित है।

प्रदेश में प्रति कृषक अल्प कृषि क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण यहां के कृषक खाद्यान्न सम्बंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाद्यान्न फसलें उगाते हैं। परिणामत: उनके पास नगदी एवं अधिक लाभदायी फसलें उगाने के लिये भूमि ही उपलब्ध नहीं हो पाती है। वर्ष 2011-12 में उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल, सकल बोये गये क्षेत्र का 78.30 प्रतिशत रहा जो यह स्पष्ट करता है कि नगदी एवं अधिक लाभदायी फसलों के अन्तर्गत केवल 21.70 प्रतिशत भूमि ही उपलब्ध रही। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तालिका-3.3 में दर्शाया गया है -

तालिका-3.3

उत्तर प्रदेश में मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

(हजार हेक्टेयर में)

फसलें	**2001-02**	**2004-05**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13***
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1- चावल	6071	5948	5813	5903	5861
2- गेहूँ	9256	9374	9801	9793	9734
3- जौ	254	209	164	166	168
4- ज्वार	323	244	201	187	184
5- बाजरा	851	878	940	914	901
6- मक्का	931	869	777	757	736
7- अन्य अनाज	29	16	11	8	9
कुल अनाज	**17715**	**17538**	**17707**	**17728**	**17593**
8- उर्द	423	522	541	569	572
9- मूंग	72	71	82	81	78
10- अरहर	394	407	334	321	312
11- चना	841	693	588	601	604
12- अन्य दालें	953	1124	903	844	802
कुल दालें	**2683**	**2817**	**2448**	**2416**	**2368**
कुल खाद्यान्न	**20398**	**20355**	**20155**	**20144**	**19961**
13-लाहीएवं सरसों(शुद्ध)	566	619	593	604	662
14- मूंगफली	107	95	87	95	94
15- अन्य तिलहन	161	188	388	364	392
कुल तिलहन (शुद्ध)	**834**	**902**	**1068**	**1063**	**1148**
16- गन्ना	2035	2002	2059	2117	2212
17- आलू	389	435	529	538	548
18- तम्बाकू	20	24	25	26	24
19- रुई	5	6	4	3	5
20- सनई (रेशा)	5	3	2	2	3
21- **अन्य फसलें**	1761	1797	1773	1835	अप्राप्त
कुल बोया गया क्षेत्रफल	**25447**	**25524**	**25615**	**25728**	अप्राप्त

*अनन्तिम

भूमि कृषि का एक बहुत महत्वपूर्ण निवेश है साथ ही साथ भूमि एक सीमित संसाधन भी है। प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजनों में बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कृषि हेतु उपलब्ध भूमि पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस कमी को पूरा करने हेतु ऊसर भूमि को उपचारित कर कृषि बेकार भूमि, परती भूमि, स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि को यथासम्भव कृषि योग्य बनाकर शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-02 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 168.12 लाख हेक्टेयर था जो घटकर वर्ष 2011-12 में 166.23 लाख हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार 2002-2012 की अवधि में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में 1.1 प्रतिशत की कमी दृष्टिगोचर हुई। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में भूमि उपयोग के आंकड़े तालिका- 3.4 में दर्शाये गये हैं:-

तालिका-3.4

उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग के आंकड़े

(हजार हेक्टेयर में)

मद	**2001-02**	**2004-05**	**2010-11**	**2011-12**
1	2	3	4	5
1. कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	24202	24201	24170	24170
2. वन	1689*	1688	1658	1656
3.ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	595	530	486	457
4. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि	2514	2648	2835	2893
5. कृष्य बेकार भूमि	518	454	426	420
6. स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि	71	64	66	66
7.अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि	355	343	354	350
8. वर्तमान परती	1026	1217	1215	1173
9. अन्य परती	624	574	538	533
10. वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	**16812**	**16683**	**16593**	**16623**
11. एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	8635	8841	9022	9105
12.कुल बोया गया क्षेत्रफल	**25447**	**25524**	**25615**	**25728**

* सूचना वर्ष 2000-01 से सम्बंधित है।

कृषि उद्यम में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। अत: प्रदेश में सिंचन सुविधाओं में अभिवृद्धि के प्रयास जारी हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरुप उत्तर प्रदेश में वर्ष 2010-11 में सकल सिंचित क्षेत्रफल 196.28 लाख हेक्टेयर था जो 1.4 प्रतिशत बढकर वर्ष

2011-12 में 199.01 लाख हेक्टेयर हो गया। इसी प्रकार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वर्ष 2010-11 में 134.40 लाख हेक्टेयर था जो 2.7 प्रतिशत बढकर वर्ष 2011-12 में 138.09 लाख हेक्टेयर हो गया। वर्ष 2010-11 में सिंचाई सघनता 146.0 प्रतिशत थी जो घटकर वर्ष 2011-12 में 144.1 प्रतिशत रह गयी। इसी प्रकार वर्ष 2010-11 में सिंचाई आच्छादन 68.5 प्रतिशत था जो बढकर वर्ष 2011-12 में 69.4 प्रतिशत हो गया।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल तथा प्रतिशत वितरण तालिका-3.5 में दर्शाया गया है-

तालिका-3.5

उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल तथा प्रतिशत वितरण

मद	इकाई	2001-02	2004-05	2010-11	2011-12	2010-11 की अपेक्षा 2011-12 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7
(क)शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	**(ह0 हेक्टे0)**	2719	2692	2539	2555	0.6
1- नहर	''	(21.2)	(20.5)	(18.9)	(18.5)	
2- नलकूप	''	9158	9379	9607	10162	5.8
		(71.4)	(71.5)	(71.5)	(73.6)	
(अ) राजकीय	''	449	383	417	491	18.0
		(3.5)	(2.9)	(3.1)	(3.6)	
(ब) निजी	''	8709	8996	9190	9671	5.2
		(67.9)	(68.6)	(68.4)	(70.0)	
3- कुएं	''	746	765	1154	848	(-)26.5
		(5.8)	(5.8)	(8.6)	(6.1)	
4-तालाब, झील तथा पोखर	''	84	145	102	99	(-)2.9
		(0.7)	(1.1)	(0.8)	(0.7)	
5-अन्य	''	121	138	39	146	274.4
		(0.9)	(1.1)	(0.3)	(1.1)	
योग		**12828**	**13119**	**13440**	**13809**	**2.7**
		(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	
(ख)सकल सिंचित क्षेत्रफल(ह0 हेक्टे0)		**18220**	**18939**	**19628**	**19901**	**1.4**

उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में निजी लघु सिंचाई कार्यो के अन्तर्गत कुछ प्रमुख मदों की प्रगति तालिका-3.6 में दर्शायी गयी है-

तालिका–3.6

उत्तर प्रदेश में निजी लघु सिंचाई कार्यो के अन्तर्गत कुछ प्रमुख मदों की प्रगति

(31 मार्च की स्थिति)

मद	इकाई	2002	2005	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1–पक्के कुएं	**हजार**	125	125	127	128	135	138
2–भू–स्तरीय पम्पसेट	''	10	19	27	28	29	29
3–बोरिंग पर लगे पम्प सेट	''	3491	3675	4038	4079	4131	4174
4–विद्युत नलकूप	''	452	462	485	490	495	498
5–डीजल नलकूप	''	3039	3213	3451	3487	3534	3574
6–गहरे नलकूप	**संख्या**	8061	11420	21380	25198	29031	31399
7–आर्टीजन कूप (**व्यक्तिगत**)	''	578	638	846	846	846	846

कृषि उपज बढ़ाने के लिये सिंचाई के साधनों की पर्याप्त आवशकता के साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001–02 में 32.60 लाख मी0 टन रासायनिक उर्वरकों का उपभोग किया गया जो वर्ष 2012–13 में बढ़कर 46.51 लाख मी0 टन हो गया। इस प्रकार 2002–2013 की सम्पूर्ण अवधि में रासायनिक उर्वरकों की खपत में 42.7 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरकों की खपत का विवरण तालिका–3.7 में दर्शाया गया है:–

तालिका–3.7

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की खपत

(हजार मी0 टन में)

मद	नाइट्रोजन(एन0)	फास्फेट(पी0)	पोटाश(के0)	योग
1	2	3	4	5
2001–02	2465	708	87	3260
2004–05	2390	739	181	3310
2006–07	2714	853	168	3735
2007–08	2752	822	182	3756
2008–09	2823	900	250	3973
2009–10	2899	1039	323	4261
2010–11	3477	1253	358	5088
2011–12	3067	1024	167	4258
2012–13	3352	1166	133	4651

कृषि उत्पादन में वृद्धि उन्नतिशील बीजों पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-02 में 1839 हजार कुन्तल उन्नतिशील बीजों का उत्पादन हुआ था जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 4828 हजार कुन्तल हो गया। इस प्रकार 2002-2012 की सम्पूर्ण अवधि में उन्नतिशील बीजों के उत्पादन में 162.5 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो के अन्तर्गत उन्नतिशील बीजों का उत्पादन तालिका-3.8 में दर्शाया गया है:-

तालिका-3.8

उत्तर प्रदेश में उन्नतिशील बीजों का उत्पादन

(हजार कुन्तल में)

मद	2001-02	2004-05	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1- अनाज	1752	2203	2902	3192	4389
2- दालें	71	172	252	277	349
3- तिलहन	15	31	51	54	89
4- कपास	1	1	1	1	1
योग	**1839**	**2407**	**3206**	**3524**	**4828**

उन्नतिशील बीजों के उत्पादन के साथ-साथ इनका ससमय वितरण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-02 में 1819 हजार कुन्तल उन्नतिशील बीजों का वितरण हुआ था जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 5093 हजार कुन्तल हो गया। इस प्रकार 2002-2012 की अवधि में उन्नतिशील बीजों के वितरण में 180.0 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि परिलक्षित हुई। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो के अन्तर्गत उन्नतिशील बीजों का वितरण तालिका-3.9 में दर्शाया गया है:-

तालिका-3.9

उत्तर प्रदेश में उन्नतिशील बीजों का वितरण

(हजार कुन्तल में)

मद	2001-02	2004-05	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1- अनाज	1733	2178	4564	3832	4745
2- दालें	70	172	356	346	292
3- तिलहन	15	31	51	75	55
4- कपास	1	0	1	1	1
योग	**1819**	**2381**	**4972**	**4254**	**5093**

प्रदेश में मुख्य-मुख्य फसलों के औसत उपज में वृद्धि लाने हेतु अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीजों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अधिक उपजदायी प्रजातियों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल वर्ष 2001-02 में 156.61 लाख हेक्टेयर, वर्ष 2009-10 में 156.46 लाख हेक्टेयर वर्ष, 2010-11 में 161.54 लाख हेक्टेयर तथा वर्ष 2011-12 में 165.15 लाख हेक्टेयर रहा। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में अधिक उपजदायी प्रजातियों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तालिका-3.10 में दर्शाया गया है:-

तालिका-3.10

उत्तर प्रदेश में अधिक उपजदायी प्रजातियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

(लाख हेक्टेयर में)

मद	2001-02	2004-05	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1- चावल	54.65	48.07	49.41	53.87	56.62
2- गेहूं	89.45	88.20	95.70	95.39	96.32
3- बाजरा	5.53	5.18	5.68	6.24	5.94
4- मक्का	6.98	5.97	5.67	6.04	6.27
योग	**156.61**	**147.42**	**156.46**	**161.54**	**165.15**

प्रदेश में वर्ष 2001-02 में कुल खाद्यान्न की औसत उपज 21.64 कुन्तल प्रति हेक्टेयर थी। वर्ष 2004-05 में कुल खाद्यान्न की औसत उपज घटकर 19.65 कुन्तल प्रति हेक्टेयर ही रह गयी। वर्ष 2010-11 में बढ़कर 23.91 कुन्तल प्रति हेक्टेयर, वर्ष 2011-12 में 25.84 कुन्तल प्रति हेक्टेयर एवं वर्ष 2012-13 में 26.01 कुन्तल प्रति हेक्टेयर हो गयी।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो के अन्तर्गत मुख्य फसलों की औसत उपज तालिका-3.11 में दर्शाया गया है:-

तालिका-3.11

उत्तर प्रदेश में मुख्य फसलों की औसत उपज

(कुन्तल प्रति हेक्टेयर)

फसलें	2001-02	2004-05	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5	6
1- चावल	21.17	18.11	21.22	23.58	24.60
2- गेहूँ	27.55	25.00	31.11	32.83	32.19
3- जौ	23.33	19.75	24.93	26.56	26.47
4- ज्वार	9.58	10.23	10.30	11.63	13.48
5- बाजरा	11.38	15.20	16.61	18.08	19.52
6- मक्का	16.28	15.54	15.04	16.83	18.61
कुल अनाज	**23.57**	**21.42**	**26.08**	**28.01**	**28.18**
7- उर्द	4.20	3.87	6.35	6.72	6.64
8- मूँग	4.15	4.65	6.78	6.31	6.54
9- अरहर	11.57	9.62	9.01	10.32	10.42
10-चना	9.72	9.16	9.22	11.83	**11.20**
कुल दालें	**8.86**	**8.63**	**8.24**	**9.92**	**9.85**
कुल खाद्यान्न	**21.64**	**19.65**	**23.91**	**25.84**	**26.01**
11-लाहीएवं सरसों (शुद्ध)	10.13	9.92	11.85	11.35	12.62
12-मूँगफली	8.39	8.23	9.93	9.91	9.93
कुल तिलहन (शुद्ध)	**8.69**	**8.45**	**8.36**	**8.36**	**8.97**
13-गन्ना	579.80	608.07	567.72	595.70	623.52
14-आलू	246.62	223.83	241.49	223.02	243.52
15-तम्बाकू	67.31	54.46	50.67	51.88	53.65
16-रूई	1.72	1.68	2.14	2.28	2.33
17-सनई (रेशा)	4.20	2.77	3.13	2.91	3.69

***अनन्तिम**

विभिन्न प्रकार की फसलों को बीमारियों से बचाने के लिये कीटनाशक औषधियों का प्रयोग नितान्त आवश्यक है। ये बीमारियां फसलों की उपज को प्रभावित करती हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-02 में 7 हजार मी0 टन कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया था, जो वर्ष 2009-10 में बढ़कर 9.6 हजार मी0 टन, वर्ष 2010-11 में घटकर 9.0 हजार मी0 टन एवं

वर्ष 2011-12 में पुनः बढ़कर 21.07 हजार मी0 टन हो गया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो के अन्तर्गत कीटनाशक औषधियों का प्रयोग को तालिका-3.12 में दर्शाया गया है:-

तालिका-3.12

उत्तर प्रदेश में कीटनाशक औषधियों का प्रयोग एवं आच्छादित कृषि क्षेत्र

वर्ष	कीटनाशक औषधियों की मात्रा (हजार मी0 टन में)
1	2
2001-02	7
2004-05	7
2008-09	10.1
2009-10	9.6
2010-11	9.0
2011-12	21.07

कृषि क्षेत्र के विकास हेतु किये गये विविध प्रयासों के उपरान्त भी प्रतिकूल मौसम से कृषि उत्पादन दुष्प्रभावित होता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-02 के अन्तर्गत 44136 हजार मी0 टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2004-05 में खाद्यान्न का उत्पादन घटकर 39997 हजार मी0 टन ही रह गया। इसके उपरान्त इसमें वृद्धि दृष्टिगोचर हुई और यह वर्ष 2010-11 में 48192 हजार मी0 टन एवं वर्ष 2011-12 में 52057 हजार मी0 टन हो गया। वर्ष 2012-13 में यह घटकर 51910 हजार मी0 टन रह गया।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो के अन्तर्गत मुख्य फसलों के उत्पादन का फसलवार विवरण तालिका-3.13 में दर्शाया गया है:-

तालिका-3.13

उत्तर प्रदेश में मुख्य फसलों का उत्पादन

(हजार मी0 टन में)

फसलें	2001-02	2004-05	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5	6
1-चावल	12856	10783	12334	13917	14416
2-गेहूँ	25498	23430	30487	32150	31332
3-जौ	592	413	409	442	446
4-ज्वार	309	249	207	218	248
5-बाजरा	968	1335	1562	1652	1758
6-मक्का	1516	1350	1169	1273	1370
7-अन्य अनाज	20	6	8	8	8
कुल अनाज	**41759**	**37566**	**46176**	**49660**	**49578**
8-उर्द	178	202	344	382	380
9-मूँग	30	33	56	51	51
10-अरहर	456	392	301	331	325
11-चना	817	635	542	710	676
12-अन्य दालें	896	1169	774	923	**900**
कुल दालें	**2377**	**2431**	**2017**	**2397**	**2332**
कुल खाद्यान्न	**44136**	**39997**	**48192**	**52057**	**51910**
13-लाही एवं सरसों **(शुद्ध)**	574	614	703	685	836
14-मूँगफली	90	78	86	94	94
15-अन्य तिलहन	61	71	104	110	98
कुल तिलहन (शुद्ध)	**725**	**763**	**893**	**889**	**1028**
16-गन्ना	117982	121756	116878	126110	137904
17-आलू	9583	9740	12780	11997	13337
18-तम्बाकू	137	129	127	133	128
19-रूई	1	1	1	1	1
20-सनई(रेशा)	2	1	1	1	1

*अनन्तिम

पशुधन

प्रदेश में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के उन्नयन में पशुपालन की प्रमुख भूमिका है। यह सेक्टर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के रोजगार एवं आय का प्रमुख स्त्रोत है। प्रदेश की विशाल पशु सम्पदा के संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं उत्पादन में पशुपालन विभाग अग्रणी भूमिका निभाता है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007 की पशुगणनानुसार कुल पशुओं की संख्या 639.66 लाख थी। इसमें गायों की संख्या 65.58 लाख तथा भैसों की संख्या 128.69 लाख थी, जो कुल पशुधन का क्रमशः 10.3 प्रतिशत व 20.1 प्रतिशत थी। इसमें दूध देने वाली गायों एवं भैसों की संख्या क्रमशः 45.46 लाख एवं 91.86 लाख थी। कुल गायों एवं भैसों की संख्या में दूध देने वाली गायों एवं भैसों की संख्या क्रमशः 69.3 प्रतिशत तथा 71.4 प्रतिशत थी। वर्ष 1997, 2003 एवं 2007 की पशुगणनानुसार उत्तर प्रदेश में पशुधन तालिका-3.14 में दर्शाया गया है:-

तालिका-3.14

उत्तर प्रदेश में पशुधन

(हजार में)

मद	**1997**	**2003**	**2007**
1	**2**	**3**	**4**
1- **कुल गोजातीय**	**20016**	**18551**	**19097**
(क) गाय*	**5950**	**6188**	**6558**
(1) दूध दे रही	3211	3829	4546
(2) दूध न दे रही	2059	1714	1404
2- **कुल महिष जातीय**	**18996**	**22914**	**26440**
(ख) भैंस*	**9240**	**11195**	**12869**
(1) दूध दे रही	5532	7952	9186
(2) दूध न दे रही	2898	2426	2575
3- भेड़	1905	1437	1400
4- बकरे व बकरियां	11784	12941	14829
5- सुअर	3135	2284	1987
6- अन्य पशुधन	576	404	212
कुल पशुधन	**56414**	**58531**	**63966**
कुल कुक्कुट	**12116**	**11718**	**17880**

*इसमें दुधारू, एक बार न ब्यायी तथा अन्य मादाएं सम्मिलित हैं।

प्रदेश में पशु सम्पदा में वृद्धि हेतु पशु चिकित्सा सेवाओं का प्रसार, नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का प्रसार, पशु रोगों की रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक टीकों की व्यवस्था इत्यादि के प्रयास किये जा रहे है।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में पशुचिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित आंकड़ें तालिका-3.15 में दर्शाये गये हैं-

तालिका-3.15

उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवायें

मद	2001-02	2004-05	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1-पशु चिकित्सालय (संख्या)	1758	1758	2200	2200	2200
2-पशुधन विकास केन्द्र (संख्या)	2557	2557	2843	2843	2843
3-कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (संख्या)	3079	3079	5043	5043	5043
4-अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र (संख्या)	4	4	3	3	3
5-चिकित्सित पशु (हजार)	17836	19016	25033	28257	30172
6-पशु में किये गये कृत्रिम गर्भाधान (हजार)	1736	2194	4342	5433	6436
(क) गाय	1198	1501	2795	3299	3783
(ख) भैंस	538	693	1547	2134	2653
7-लगाये गये सुरक्षात्मक टीके (हजार)	28372	47304	60809	55056	76283

विशाल पशुधन संख्या के साथ उत्तर प्रदेश, देश में पशुधन एवं पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। पशुधन उत्पाद ही गरीब ग्रामवासियों को खाद्य सुरक्षा एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012-13 में प्रतिदिन प्रति दुधारु गाय का दुग्ध उत्पादन 3.146 लीटर तथा प्रतिदिन प्रति दुधारू भैंस का दुग्ध उत्पादन 4.441 लीटर था। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में प्रतिवर्ष प्रति पक्षी का अण्डा उत्पादन 188.3 (संख्या) तथा प्रतिवर्ष प्रति भेंड़ का ऊन उत्पादन 895 ग्राम था। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में पशुधन उत्पाद का औसत उत्पादन तालिका-3.16 में दर्शाया गया है-

तालिका–3.16

उत्तर प्रदेश में पशुधन उत्पाद का औसत उत्पादन

मद	2001–02	2004–05	2010–11	2011–12	2012–13
1	2	3	4	5	6
1–**दुग्ध उत्पादन (प्रतिदिन प्रति दुधारू पशु) (लीटर)**					
(क) गाय	2.900	3.095	3.185	3.132	3.146
(ख) भैंस	4.148	4.314	4.431	4.433	4.441
2–**अण्डा (प्रतिपक्षी प्रतिवर्ष) (संख्या)**	173	177.2	190.2	187.8	188.3
3–**ऊन(प्रतिभेड़ प्रतिवर्ष)(ग्राम)**	859	875	894	890	895
4–**मांस (प्रतिपशु) (कि0ग्रा0)**					
(क) महिष	119.655	121.731	122.118	121.018	122.354
(ख) भेड़	16.450	16.505	16.661	16.623	16.619
(ग) बकरी	15.877	16.063	16.069	16.087	16.008
(घ) सुअर	44.661	44.572	43.815	43.229	43.204

मत्स्य उद्योग

मत्स्य पालन कार्यक्रम भारत के प्राचीनतम कार्यक्रमों में से एक है। प्रदेश के लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने एवं मछुआरों के आर्थिक उत्थान के लिये मत्स्य पालन की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस व्यवसाय में ग्रामीण बेरोजगार जनता को रोजगार का साधन जुटाने तथा सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012–13 में 4497 हजार कुन्तल मत्स्य उत्पादन हुआ था। वर्ष 2012–13 में मत्स्य विभाग द्वारा 210.59 लाख, मत्स्य विकास निगम द्वारा 373.31 लाख एवं मत्स्य सहकारी संघ द्वारा 45.20 लाख मत्स्य बीजों (अंगुलिकाओं) का संचय किया गया। वर्ष 2012–13 में समस्त स्त्रोतों से 15951.12 लाख मत्स्य बीज (अंगुलिका) का उत्पादन हुआ। वर्ष 2012–13 में मत्स्य विभाग द्वारा 15322.02 लाख एवं मत्स्य विकास निगम द्वारा 2025.85 लाख मत्स्य बीजों का वितरण निजी क्षेत्र में किया गया। उत्तर प्रदेश में दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में मत्स्य उत्पादन कार्यक्रमों पर 5000 लाख रुपये का परिव्यय प्राविधानित किया गया है जिसके समक्ष वर्ष 2002–03 में 532.50 लाख रुपये, वर्ष 2003–04 में 451.09 लाख रुपये, वर्ष 2004–05 में 455.41 लाख रुपये, वर्ष 2005–06 में 665.72 लाख रुपये एवं वर्ष 2006–07 में 780.21 लाख रुपये व्यय किये गये। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में उक्त मद पर 158.73 करोड़ रूपये का परिव्यय प्राविधानित किया गया, जिसके सापेक्ष वर्ष 2007–08 में 3.35 करोड़ रूपये, वर्ष 2008–09 में 3.31 करोड़

रूपये, वर्ष 2009-10 में 3.11 करोड़ रूपये, वर्ष 2010-11 में 4.64 करोड़ रूपये व्यय एवं वर्ष 2011-12 में 6.30 करोड़ रूपये व्यय किये गये। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में मत्स्य एवं मत्स्य बीज (अंगुलिका) का उत्पादन तथा वितरण तालिका-3.17 में दर्शाया गया है-

तालिका-3.17

उत्तर प्रदेश में मत्स्य एवं मत्स्य बीज (अंगुलिका) का उत्पादन तथा वितरण

मद	2001-02	2004-05	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1- **मत्स्य उत्पादन (हजार कुन्तल)**	2254	2771	4175	4297	4497
2- **जलाशयों में मत्स्य बीज (अंगुलिकाओं) का संचय (लाख)**					
(क) मत्स्य विभाग	196.92	199.09	221.52	207.30	210.59
(ख) मत्स्य विकास निगम	323.20	297.20	347.40	269.37	373.31
(ग) मत्स्य सहकारी संघ	-	-	30.20	50.90	45.20
3-**समस्त स्त्रोतों से मत्स्य बीज (अंगुलिका) का उत्पादन (लाख)**	9553.52	10373.19	13022.63	14763.99	15951.12
4- **निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज (अंगुलिकाओं) का वितरण(लाख)**					
(क) मत्स्य विभाग	9069.10	9876.90	12423.51	14136.42	15322.02
(ख) मत्स्य विकास निगम	821.68	642.52	1833.44*	1820.80*	2025.85

*संशोधित

वन उद्योग

वन हमारी सभ्यता, संस्कृति एवं प्रगति का प्रतीक है। वृक्षों से ही भूमि संरक्षण, जलसंरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वन दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों का प्राकृतिक वास है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2010-11 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 241.70 लाख हेक्टेयर था, जिसमें वनों का क्षेत्रफल 16.58 लाख हेक्टेयर था। वनों का क्षेत्रफल प्रदेश के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 6.9 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012-13 में 212 हजार घनमीटर इमारती लकड़ी, 4 हजार घन मी0 चट्टा जलाने की लकड़ी, 50 हजार कौड़ी बांस, 192 हजार मानक बोरी तेंदू पत्ता तथा 3 हजार कुन्तल भाभड़ घास का उत्पादन हुआ। इमारती लकड़ियों में शाल, सागौन, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस आदि प्रमुख है। विभिन्न वर्षो के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौणवनोपज का विवरण तालिका-3.18 में दर्शाया गया है-

तालिका-3.18

उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

मद	2001-02	2004-05	2010-11	2011-12	2012-13#
1	2	3	4	5	6
1- **इमारती लकड़ी (हजार घन मी0)**	171	143	246	193	212
(क) शाल	32	27	39	27	30
(ख) सागौन	8	6	8	8	9
(ग) शीशम	34	30	16	12	14
(घ) खैर	3	3	3	3	4
(च) असना	1	2	1	–	–
(छ) यूकेलिप्टस	61	48	144	111	121
(ज) विविध	32	27	36	32	34
2-**जलाने की लकड़ी (हजार घनमी0 चट्टा)**	26	18	8	3	4
3-**बांस (हजार कौड़ी)**	168	25	30	40	50
4- **तेंदू पत्ता (हजार मानक बोरी)**	458	482	251	175	192
5-**भाभड़ घास (हजार कुन्तल)**	6	14	17	2	3

#अनुमानित

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 की अपेक्षा वर्ष 2012-13 में सभी इमारती लकड़ियों का उत्पादन बढ़ा है। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में गत वर्ष 2011-12 की अपेक्षा बांस, तेंदू पत्ता तथा भाभड़ घास का उत्पादन भी बढ़ा है।

****

अध्याय–4
उद्योग, खनिज एवं विद्युत

प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में औद्योगिक विकास भी प्रगति का द्योतक है। प्रदेश में औद्योगिक विकास में तीव्र गति लाने के लिये अनेक औद्योगिक संस्थायें कार्यरत् हैं जिनमें से पिकअप, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया तथा इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया जैसी अखिल भारतीय संस्थायें भी उद्योगों के विकास में सहयोग प्रदान कर रही हैं।

प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़े क्षेत्र हैं। पूर्वाचंल में गोरखपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (जीडा) एवं सतहिरिया इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (सीडा) नामक संस्थायें स्थापित की गयी हैं। उक्त के साथ ही पूर्वाचंल विकास निधि तथा बुन्देलखण्ड विकास निधि की भी स्थापना की गयी है। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोयडा) की स्थापना की गयी है। नोयडा एवं जीडा के माध्यम से भूखण्डों को विकसित कर उद्यमियों को एक ही स्थान पर सभी सुविधायें उपलब्ध करा कर उद्योग स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में उद्योगों को ग्रामोन्मुख करने के उद्देश्य से विकास खण्ड को औद्योगिकीकरण के केन्द्र बिन्दु के रूप में विकसित करने हेतु विकास खण्ड स्तर पर समुचित अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। इन प्रयासों से प्रदेश में औद्योगिक विकास की सम्भावनायें प्रबल हुई हैं।

उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड सहित) में छठीं पंचवर्षीय योजना काल (1980–85) में राज्य आय के अन्तर्गत विनिर्माण खण्ड में वृद्धि दर 11.8 प्रतिशत थी जो आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में घटकर 4.2 प्रतिशत ही रह गयी। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में यह पुनः घटकर (–)4.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गयी। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में यह वृद्धि दर बढ़कर 6.6 प्रतिशत हो गयी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में यह वृद्धि दर 51 प्रतिशत रही। इससे संबंधित आंकड़े तालिका 4.1 में दिये जा रहे हैं:–

तालिका–4.1

उत्तर प्रदेश में विभिन्न पंचवर्षीय योजनान्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर

योजना	अवधि	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	2	3
1. प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951–56	2.3
2. द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1956–61	1.7
3. तृतीय पंचवर्षीय योजना	1961–66	5.7
4. तीन वार्षिक योजनायें	1966–69	1.2
5. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	1969–74	3.4
6. पांचवीं पंचवर्षीय योजना	1974–79	9.4
7. छठी पंचवर्षीय योजना	1980–85	11.8
8. सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985–90	10.9
9. दो वार्षिक योजनायें	1990–92	1.1
10. आठवीं पंचवर्षीय योजना	1992–97	4.2
11. नवीं पंचवर्षीय योजना	1997–2002	(–)4.3
12. दसवीं पंचवर्षीय योजना	2002–2007	6.6
13 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	2007–2012	5.1

नोटः– नवीं पंचवर्षीय योजना से सम्बंधित आंकड़े उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् उत्तर प्रदेश के हैं।

सीमेन्ट, चीनी, वनस्पति एवं वस्त्र उद्योगों आदि की गिनती प्रदेश के अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगों में की जाती है। ये उद्योग लोगों को रोजगार तो सुलभ कराते ही हैं साथ ही इनके उत्पाद से दैनिक जीवन की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हैं। इन उद्योगों का सुदृढ़ होना उस प्रदेश के आर्थिक स्तर को ऊंचा करता है। तालिका 4.2 में इन मदों से सम्बंधित आंकड़े दिये जा रहे हैं–

तालिका–4.2

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

वर्ष	चीनी (हजार मी.टन)#	सीमेन्ट (हजार मी.टन)	वनस्पति तेल (हजार मी.टन)	सूती कपड़ा+ (लाख वर्ग मी)	सूत (हजार मी.टन)
1	2	3	4	5	6
2000–01	4394	1602	393	287	51
2001–02	5260	1827	434	319	85
2002–03	5651	2427	अप्राप्त	324	84
2003–04	4551	3458	360	315	80
2004–05	5037	4228	301	263	83
2005–06	5784	4881	283	268	51
2006–07	8475	5141	अप्राप्त	252	51
2007–08	7320	5298	261	122	46
2008–09	4064	6033	302	43	38
2009–10	5179	5875	200	6	41
2010–11	5887	7052	145	–	–

नोटः– वर्ष 2001–02 से उत्तराखण्ड छोड़कर आंकड़ें दर्शाये गये हैं।
+केवल मिल क्षेत्र।
गत वर्ष के अक्टूबर से वर्तमान वर्ष के सितम्बर तक।

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि वर्ष 2000–01 में चीनी का उत्पादन 4394 हजार मी.टन था जो 19.7 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2001–02 में 5260 हजार मी.टन हो गया। वर्ष 2002–03 में 7.4 प्रतिशत बढ़कर 5651 हजार मी.टन हो गया। तत्पश्चात् चीनी के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही। वर्ष 2007–08, वर्ष 2008–09, 2009–10 एवं वर्ष 2010–11 में यह क्रमशः 7320 हजार मी.टन, 4064 हजार मी.टन, 5179 एवं 5887 हजार मी.टन हो गया। इस प्रकार 2002–2011 की अवधि में इसके उत्पादन में समग्र रुप से 11.9 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

इसी प्रकार वर्ष 2000–01 में सीमेंट का उत्पादन 1602 हजार मी.टन था जो बढ़कर वर्ष 2001–02 में 1827 हजार मी.टन हो गया। इसी क्रम में सीमेंट का उत्पादन निरन्तर बढता हुआ वर्ष 2008–09 में 6033 हजार मी.टन हो गया। वर्ष 2009–10 में यह घटकर 5875 हजार मी.टन हो गया जो बढ़कर वर्ष 2010–11 में 7052 हजार मी.टन हो गया। इस प्रकार 2002–2011 की सम्पूर्ण अवधि में इसके उत्पादन में 286.0 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

वर्ष 2000-01 में वनस्पति तेल का उत्पादन 393 हजार मी.टन था जो बढ़कर वर्ष 2001-02 में 434 हजार मी.टन हो गया। वर्ष 2010-11 में घटकर यह 145 हजार मी.टन हो गया। इस प्रकार 2002-2011 की अवधि में इसके उत्पादन में 66.6 प्रतिशत की कमी दृष्टिगोचर हुई।

उक्त तालिका के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि प्रदेश में सूती कपड़े का उत्पादन वर्ष 2000-01 में 287 लाख वर्ग मीटर था जो बढकर वर्ष 2001-02 में 319 लाख वर्ग मीटर के स्तर पर पहुंच गया। इसी क्रम में वर्ष 2002-03 में सूती कपड़ें का उत्पादन 324 लाख वर्गमीटर था जो वर्ष 2004-05 में घटकर 263 लाख वर्ग मीटर हो गया पुनः वर्ष 2005-06 में बढकर यह 268 लाख वर्ग मीटर हो गया। तत्पश्चात् इसके उत्पादन में कमी दृष्टिगोचर हुई और घटते हुये यह वर्ष 2007-08 में 122 लाख वर्ग मीटर, वर्ष 2008-09 में 43 लाख वर्ग मीटर, वर्ष 2009-10 में 6 लाख वर्ग मीटर के स्तर पर पहुंच गयी।

इसी प्रकार वर्ष 2000-01 में सूत का उत्पादन 51 हजार मी0 टन था। वर्ष 2001-02 में सूत का उत्पादन बढकर 85 हजार मी0 टन हो गया। वर्ष 2008-09 तक सूत के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही। वर्ष 2009-10 में यह बढकर 41 हजार मी0 टन हो गया। इस प्रकार 2002-2010 की अवधि में इसके उत्पादन में 51.8 प्रतिशत की कमी दृष्टिगोचर हुई।

औद्योगिक विकास

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों में औद्योगिक विकास की प्रगति का बोध कराने के लिए वर्ष 2010-11 में प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत कारखानों की संख्या एवं उनमें कार्यरत दैनिक श्रमिकों की संख्या तथा प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य के आंकड़े तालिका-4.3 में दिये जा रहे हैं-

तालिका–4.3

औद्योगिक विकास सम्बन्धी उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य प्रमुख राज्यों के संकेतक

(वर्ष 2010–11)

राज्य	कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या (हजार)	शुद्ध आवर्धित मूल्य (करोड़ रु0)	प्रतिलाख जनसंख्या पर कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	प्रतिलाख जनसंख्या पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य (हजार रु0)
1	2	3	4	5	6	7
1–आन्ध्र प्रदेश	22043	1301	57779	26	1541	444
2–आसाम	2646	167	6673	9	549	400
3–बिहार	2545	106	4415	3	109	417
4–झारखण्ड	2189	188	19518	7	601	1038
5–गुजरात	16931	1295	89448	29	2206	691
6–हरियाणा	4678	546	24679	19	2161	452
7–हिमांचल प्रदेश	1915	156	18209	28	2305	1167
8–कर्नाटक	8857	782	40861	15	1322	523
9–केरल	6195	381	8734	18	1105	229
10–मध्य प्रदेश	3744	311	17451	5	434	561
11–छत्तीसगढ	2065	179	12867	8	716	719
12–महाराष्ट्र	21865	1698	149696	20	1516	882
13–ओडिशा	2482	283	16931	6	679	598
14–पंजाब	10523	614	20350	36	2115	331
15–राजस्थान	7516	432	17229	11	641	399
16–तमिलनाडु	26296	1943	71993	39	2888	371
17–उत्तर प्रदेश	11312	809	44381	6	413	549
18–उत्तराखण्ड	2424	288	26348	25	2914	915
19–प.बंगाल	7334	636	20860	8	713	328
20–गोवा	520	53	5828	30	3030	1100
भारत	**172177**	**12695**	**704576**	**15**	**1097**	**555**

स्रोत– उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2010–11 खण्ड–1, भारत सरकार।

नोट–उक्त तालिका में वर्ष 2010–11 की प्रक्षिप्त जनसंख्या का प्रयोग किया गया है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 में पंजीकृत कार्यरत कारखानों में प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या भारत में 1097 थी जबकि राज्यों में सर्वाधिक गोवा में (3030) थी। उसके पश्चात् उत्तराखण्ड (2914) का स्थान दूसरा, तमिलनाडु (2888) का स्थान तीसरा, हिमांचल प्रदेश (2305) का स्थान चौथा तथा गुजरात (2206) का स्थान पांचवां रहा, इसी क्रम में उत्तर प्रदेश (413) का स्थान 19वाँ है।

इसी प्रकार प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य भारत में 555 था जबकि राज्यों में सर्वाधिक हिमांचल प्रदेश (1167 हजार रु0) में रहा। उसके पश्चात् गोवा (1100 हजार रु0) का स्थान दूसरा, झारखण्ड (1038 हजार रु0) का स्थान तीसरा, उत्तराखण्ड (915 हजार रु0) का स्थान चौथा तथा महाराष्ट्र (882 हजार रु0) का स्थान पांचवां रहा। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश (549 हजार रु0) का स्थान 10वां है।

प्रदेश में उद्योग एवं खनिजों के विकास पर व्यय

उत्तर प्रदेश की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में उद्योग एवं खनिजों के विकास हेतु 1262.46 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत था, जिसमें से उक्त मद पर वर्ष 2002-03 में 43.74 करोड़ रुपये, वर्ष 2003-04 में 51.25 करोड़ रुपये, वर्ष 2004-05 में 53.01 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में 126.22 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006-07 में 73.68 करोड़ रुपये व्यय किये गये। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में इस मद हेतु 2347.10 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत है, जिसमें से उक्त मद पर वर्ष 2007-08 में 106.34 करोड़ रुपये, वर्ष 2008-09 में 215.75 करोड़ रुपये, वर्ष 2009-10 में 3574.49 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2010-11 में 3415.25 करोड़ रुपये, वर्ष 2011-12 में 3950.02 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

उत्तर प्रदेश की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास हेतु 339.46 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत था जिसमें से उक्त मद पर वर्ष 2002-03 में 24.66 करोड़ रुपये, वर्ष 2003-04 में 49.76 करोड़ रुपये, वर्ष 2004-05 में 38.47 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में 51.83 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006-07 में 35.64 करोड़ रुपये व्यय किये गये। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में इस मद हेतु 851.57 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत है जिसमें से उक्त मद पर वर्ष 2007-08 में 63.22 करोड़ रुपये, वर्ष 2008-09 में 54.80 करोड़ रुपये, वर्ष 2009-10 में 50.88 करोड़ रुपये, वर्ष 2010-11 में 54.37 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2011-12 में 74.97 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी मदों में हुई प्रगति का आंकलन करने के लिए तालिका 4.4 दी जा रही है:-

तालिका-4.4

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (1999-2000 =100)

क्रमांक	उद्योग वर्ग	वर्ष			गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2010-11	2011-12	2012-13	
1	2	3	4	5	6
1	खाद्य विनिर्माण	161.59	199.20	199.70	0.3
2	पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद	471.83	458.25	423.63	(-)7.6
3	सूती कपड़ा	77.59	66.80	67.18	0.6
4	रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त)	100.90	102.34	101.81	(-)0.5
5	मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग	51.66	51.71	52.89	2.3
6	यातायात उपकरण एवं पुर्जे	150.04	154.76	146.45	(-)5.4
7	अन्य	259.75	259.41	268.53	3.5
	विनिर्माण सूचकांक	**175.24**	**180.88**	**180.75**	(-)0.1

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का व्यापक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (1999-2000=100) वर्ष 2011-12 में 180.88 था जो 0.1 प्रतिशत की कमी के साथ वर्ष 2012-13 में 180.75 हो गया। सबसे अधिक वृद्धि (2.3 प्रतिशत) मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग वर्ग में हुई। गत वर्ष 2011-12 की अपेक्षा वर्ष 2012-13 में पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद, रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त) तथा यातायात उपकरण एवं पुर्जे वर्ग के उत्पादन सूचकांकों में कमी परिलक्षित हुई।

खनिज

आर्थिक विकास में खनिजों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में उपलब्ध खनिज सम्पदा के यथासम्भव अधिकतम एवं लाभप्रद उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गयी है। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय भूगर्भ में छिपे खनिजों के अन्वेषण एवं मानचित्रण से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन कर खनन स्थलों का चयन एवं खनन कार्यो द्वारा अधिकतम खनिज राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व निभाता है। उत्तर प्रदेश में ज्ञात खनिजों का खनन, विपणन तथा खनिजों पर आधारित इकाइयों की संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यो का सम्पादन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में खनिज कार्यक्रमों पर 13.00 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत था। जिसमे से उक्त मद पर वर्ष 2002-03 में 0.55 करोड़ रुपये, वर्ष 2003-04 में 0.68 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में 0.48 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006-07 में 0.20 करोड़ रुपये व्यय किये गये। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में इस मद हेतु 13.40 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थो के अन्तर्गत बाक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर (गेरू), फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट, सिलिकासैण्ड, गन्धक तथा कोयला आदि की गणना की जाती है, जबकि साधारण बालू, इमारती पत्थर, ईट बनाने की मिट्टी, मौरंग, बजरी, कंकड़ शोरा, संगमरमर तथा लाइमस्टोन की गणना उपखनिज पदार्थो के अन्तर्गत की जाती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज पदार्थो के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण से सम्बन्धित आंकड़े तालिका 4.5 में दिये जा रहे है:-

तालिका-4.5

उत्तर प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थो के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र. स.	खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (लाख रु. में)		2010-11 की अपेक्षा 2011-12 में प्रतिशत वृद्धि	परिमाण ('000) मी.टन.		2010-11 की अपेक्षा 2011-12 में प्रतिशत वृद्धि
		2010-11*	2011-12*		2010-11*	2011-12*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डायस्पोर	228	169	(-)25.9	14.917	11.725	(-)21.40
2	पाइरोफाइलाइट	88	70	(-)20.5	31.076	29.336	(-)5.60
3	गन्धक	-	-	0.0	38.856	36.005	(-)7.34
4	सिलिकासैंड	365	120	(-)67.1	167.109	58.596	(-)64.94
5	कोयला	151223	152430	0.8	15.526	15.650	0.80
6	चूने का पत्थर	5005	4329	(-)13.5	3.312	3.330	0.54

* अनन्तिम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में गतवर्ष की अपेक्षा वर्ष 2011-12 में कोयले को छोड़कर डायस्पोर, पाइरोफाइलाइट, सिलिकासैंड एवं चूने का पत्थर के उत्पादन के मूल्य में गिरावट आयी है सर्वाधिक कमी सिलिकासैंड (67.1 प्रतिशत) हुई जबकि कोयले में (0.8 प्रतिशत) वृद्धि हुई। इसी प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2011-12 में डायस्पोर, पाइरोफाइलाइट, गन्धक एवं सिलिकासैंड को छोड़कर शेष खनिज पदार्थो के उत्पादन

में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि 0.80 प्रतिशत कोयला तथा सबसे कम वृद्धि चूने का पत्थर (0.54 प्रतिशत) के उत्पादन में हुई।

उप खनिज पदार्थो की भी अपनी महत्ता है। इन पदार्थो की उपलब्धता भी देश/प्रदेश के आर्थिक स्तर के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उप खनिज पदार्थो में साधारण बालू, इमारती पत्थर, मौरंग, बजरी तथा संगमरमर प्रमुख हैं।

इनके उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े तालिका 4.6 में दिये जा रहें हैं-

तालिका-4.6

उत्तर प्रदेश में उप खनिज पदार्थो के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्रम सं.	उप खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य(लाख रू. में)			परिमाण(लाख घनमीटर)		
		2011-12*	2012-13*	गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि	2011-12*	2012-13*	गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	साधारण बालू	22875.00	24912.71	8.91	152.50	138.40	(-)9.25
2	स्लैव स्टोन	7876.97	3160.13	(-)59.88	3.96	1.33	(-)66.41
3	गिट्टी	153675.40	114943.22	(-)25.20	353.28	318.94	(-)9.72
4	ग्रेनाइट	2625.08	3115.38	18.68	0.23	0.23	0.00
5	ईट बनाने की मिट्टी	117857.95	133312.50	13.11	561.23	533.25	(-)4.99
6	मौरंग	30625.00	56821.10	85.54	81.67	94.70	15.95
7	बजरी	375.00	1076.67	187.11	1.19	2.83	137.82

* अनन्तिम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011-12 की अपेक्षा वर्ष 2012-13 में स्लैव स्टोन एवं गिट्टी को छोड़कर शेष उप खनिज पदार्थो के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि परिलक्षित हुई है। सर्वाधिक वृद्धि (187.11 प्रतिशत) बजरी के मूल्य में हुई है। इसी प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2012-13 में मौरंग, बजरी एवं ग्रेनाइट को छोडकर शेष खनिज पदार्थो के उत्पादन में कमी हुई है।

विद्युत

सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया में विद्युत की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में अभिवृद्धि करने के लिए विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है वहीं हमारे दैनिक जीवन की समृद्धि के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग भी विद्युत की उपलब्धता पर ही निर्भर है। यही कारण है कि आज के युग में विद्युत विकास का पर्याय

हो गया है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। विद्युत सम्बन्धी अनेक कार्यक्रमों पर उत्तर प्रदेश में दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में विद्युत हेतु 9082.49 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। जिसमें से उक्त मद पर वर्ष 2002-03 में 925.81 करोड़ रुपये, वर्ष 2003-04 में 1037.97 करोड़ रुपये, वर्ष 2004-05 में 859.38 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में 972.30 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006-07 में 1928.72 करोड़ रुपये व्यय किये गये। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में इस मद हेतु 26371.03 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जिसमें से वर्ष 2007-08 में उक्त मद पर 4552.81 करोड़ रुपये, वर्ष 2008-09 में 5995.83 करोड़ रुपये, वर्ष 2009-10 में 5953.51 करोड़ रुपये, वर्ष 2010-11 में 6104.12 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2011-12 में 6308.98 करोड़ रुपये व्यय किये गये। उत्तर प्रदेश में विद्युत से सम्बन्धित आंकड़े तालिका 4.7 में दिये जा रहे हैं-

तालिका-4.7

उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2011-12	2012-13	
1	2	3	4	5
1	अधिष्ठापित क्षमता(मेगावाट)	4709.7	4959.1	5.3
2	उपभोग(मिलियन यूनिट)	48613.2	54074.1	11.2
3	कुल उत्पादन(मिलियन यूनिट)	21838.5	22138.3	1.4
4	उपभोक्ताओं की संख्या(हजार में)	12789	13606	6.4
5	राजस्व वसूली(करोड़ रु0)	15162.9	17912.7	18.1
6	विद्युत बकाया(करोड़ रु0)	23894.3	25612.3	7.2

स्रोत- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नियोजन स्कन्ध, लखनऊ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012-13 में उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की विद्युत अधिष्ठापित क्षमता 4959.1 मेगावाट है जो गत वर्ष 2011-12 की अधिष्ठापित क्षमता 4709.7 मेगावाट की तुलना में 5.3 प्रतिशत अधिक रहा। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012-13 में कुल विद्युत उत्पादन 22138.3 मिलियन यूनिट है, जो गत वर्ष के कुल उत्पादन 21838.5 मिलियन यूनिट की तुलना में 1.4 प्रतिशत अधिक रहा। इसी प्रकार विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2012-13 में 13606 हजार है, जो गत वर्ष के उपभोक्ताओं की संख्या 12789 हजार की तुलना में 6.4 प्रतिशत अधिक है। विद्युत वसूली से

आय वर्ष 2012-13 में 17912.7 करोड़ रुपये हुई, जो गत वर्ष की वसूली 15162.9 करोड़ रुपये से 18.1 प्रतिशत अधिक है तथा वर्ष 2012-13 का विद्युत बकाया 25612.3 करोड़ रुपये गत वर्ष के विद्युत बकाये 23894.3 करोड़ रुपये से 7.2 प्रतिशत अधिक है।

उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों के अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता, कुल विद्युत उत्पादन एवं विद्युत उपभोग सम्बन्धी आंकड़ें तालिका 4.8 में दिये जा रहे हैं-

तालिका-4.8

उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों के अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता एवं कुल विद्युत उत्पादन/उपभोग सम्बन्धी आंकड़े 2011-2012

क्र. सं.	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता+ (मेगावाट)	भारत से प्रतिशत अंश	विद्युत उत्पादन+ (लाख कि.वा. घं.)	भारत से प्रतिशत अंश	विद्युत उपभोग+ (लाख कि. वा.घं.)	भारत से प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	12998	6.50	626490	6.79	704210	10.46
2	बिहार	510	0.26	6010	0.07	61839	0.92
3	झारखण्ड	1688	0.84	54040	0.59	155948	2.32
4	गुजरात	18999	9.51	698280	7.57	576544	8.57
5	हरियाणा	4856	2.43	227430	2.47	276140	4.10
6	कर्नाटक	11797	5.90	454480	4.93	474558	7.05
7	केरल	2593	1.30	85680	0.93	159931	2.38
8	मध्य प्रदेश	4988	2.50	216340	2.35	285408	4.24
9	छत्तीसगढ़	4007	2.00	266230	2.89	131784	1.96
10	महाराष्ट्र	20350	10.18	807820	8.76	966424	14.36
11	ओडिशा	4379	2.19	145680	1.58	130542	1.94
12	पंजाब	5239	2.62	299840	3.25	338884	5.04
13	राजस्थान	7952	3.98	366830	3.98	379038	5.63
14	तमिलनाडु	14000	7.00	477010	5.17	618965	9.20
15	पश्चिम बंगाल	7622	3.81	361450	3.92	339033	5.04
16	उत्तर प्रदेश	8328	4.17	301800	3.27	505920	7.52
17	उत्तराखण्ड	1838	0.92	78240	0.85	82527	1.23
18	हिमांचलप्रदेश	2599	1.30	82050	0.89	68438	1.02
19	आसाम	513	0.26	19440	0.21	39692	0.59
20	गोवा	78	0.04	3300	0.04	29730	0.44
	भारत	**199877**	**100.00**	**9224510**	**100.00**	**6729330**	**100.00**

+केवल जनोपयोगी

स्रोत:- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की कुल अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2011-12 में 8328 मेगावाट थी जो राष्ट्रीय औसत 199877 मेगावाट का मात्र 4.17 प्रतिशत रही। जबकि महाराष्ट्र का स्थान (10.2 प्रतिशत) सर्वोपरि रहा। उसके पश्चात् गुजरात (9.5 प्रतिशत) का स्थान दूसरा, तमिलनाडु (7.0 प्रतिशत) का स्थान तीसरा, आन्ध्र प्रदेश (6.5 प्रतिशत) का स्थान चौथा, कर्नाटक (5.9 प्रतिशत) का स्थान पांचवां तथा इसी क्रम में उत्तर प्रदेश (4.2 प्रतिशत) का स्थान छठवां रहा। सबसे कम अधिष्ठापित क्षमता गोवा की 78 मेगावाट थी जो राष्ट्रीय औसत 199877 मेगावाट के 0.1 प्रतिशत से भी कम रही।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011-12 में कुल विद्युत उत्पादन 301800 लाख कि.वा. घंटा रहा, जो देश के कुल विद्युत उत्पादन (9224510 लाख कि.वा.घंटा) का मात्र 3.3 प्रतिशत रहा, जबकि महाराष्ट्र में यह प्रतिशत सर्वाधिक 8.8 रहा तथा उसके पश्चात् गुजरात (7.6 प्रतिशत) का स्थान दूसरा, आन्ध्र प्रदेश (6.8 प्रतिशत) का स्थान तीसरा, तमिलनाडु (5.2 प्रतिशत) का स्थान चौथा, कर्नाटक (4.9 प्रतिशत) का स्थान पांचवां तथा इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश (3.3 प्रतिशत) का स्थान आठवां रहा। सबसे कम विद्युत उत्पादन गोवा का 3300 लाख कि.वा.घंटा रहा जो राष्ट्रीय औसत के 0.1 प्रतिशत से भी कम रहा।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011-12 में कुल विद्युत उपभोग 505920 लाख कि.वा. घंटा था, जो देश के कुल विद्युत उपभोग (6729330 लाख कि.वा.घंटा) का मात्र 7.5 प्रतिशत रहा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक विद्युत का उपभोग 14.4 प्रतिशत रहा, उसके पश्चात् आन्ध्र प्रदेश (10.5 प्रतिशत) का स्थान दूसरा, तमिलनाडु (9.2 प्रतिशत) का स्थान तीसरा, गुजरात (8.6 प्रतिशत) का स्थान चौथा तथा इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश (7.5 प्रतिशत) का स्थान पांचवां रहा। सबसे कम विद्युत उपभोग गोवा का 29730 लाख कि.वा.घंटा रहा जो राष्ट्रीय औसत का मात्र 0.4 प्रतिशत रही।

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग तथा विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या सम्बंधी आंकड़े तालिका 4.9 में दिये जा रहे है-

तालिका–4.9

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग तथा विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े–2011–12

क्रम संख्या	राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन+ (कि.वा.घंटा)	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग++ (कि.वा.घंटा)	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	736	1157	26613	100.00
2	बिहार	6	134	35074	89.90
3	झारखण्ड	172	790	26184	89.20
4	गुजरात	1181	1663	18030	99.80
5	हरियाणा	909	1628	6764	100.00
6	कर्नाटक	764	1081	27481	100.00
7	केरल	242	594	1364	100.00
8	मध्य प्रदेश	294	672	50658	97.20
9	छत्तीसगढ़	1065	1320	19177	97.10
10	महाराष्ट्र	723	1204	41054	99.90
11	ओडिशा	353	1146	37500	78.90
12	पंजाब	1086	1799	12278	100.00
13	राजस्थान	536	927	38242	96.20
14	तमिलनाडु	699	1277	15400	100.00
15	पश्चिम बंगाल	395	564	37831	99.70
16	उत्तर प्रदेश	148	450	86482	88.30
17	उत्तराखण्ड	784	1232	15593	98.90
18	हिमांचलप्रदेश	1214	1289	17460	99.80
19	आसाम	62	250	24144	96.10
20	गोवा	182	2026	347	100.00
	भारत	**765**	**884**	**556921**	**93.80**

+केवल जनोपयोगी ++जनोपयोगी एवं अजनोपयोगी

स्रोत – केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन सर्वाधिक हिमांचलप्रदेश में (1214 कि.वा.घंटा), उसके पश्चात् गुजरात (1181 कि.वा.घंटा), पंजाब (1086 कि.वा.घंटा), छत्तीसगढ़ (1065 कि.वा.घंटा), हरियाणा (909 कि.वा.घंटा), उत्तराखण्ड (784 कि.वा.घंटा), आन्ध्र प्रदेश (736 कि.वा.घंटा), महाराष्ट्र (723 कि.वा.घंटा) के पश्चात् इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश (148 कि.वा.घंटा) का स्थान 18वां रहा। इसी प्रकार वर्ष

2011-12 में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग सर्वाधिक गोवा में (2026 कि.वा.घंटा) रहा, उसके पश्चात् पंजाब में (1799 कि.वा.घंटा), गुजरात (1663 कि.वा.घंटा), हरियाणा (1628 कि.वा. घंटा), छत्तीसगढ़ (1320 कि.वा.घंटा), हिमांचलप्रदेश (1289 कि.वा.घंटा), तमिलनाडु (1277 कि.वा.घंटा) के पश्चात् इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश (450 कि.वा.घंटा) का स्थान 18वां रहा।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या वर्ष 2011-12 में 86482 थी, जबकि विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत 88.3 था। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिशत 93.8 रहा और वहीं आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु एवं गोवा राज्यों में शत-प्रतिशत ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है।

प्रदेश में विद्युत उपभोग की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पारेषण लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के अन्त तक उत्तर प्रदेश में 20842 सर्किट/कि.मी. पारेषण लाइनें उपलब्ध थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के अन्त तक पारेषण लाइनों का विस्तार 25464 सर्किट/कि.मी. तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 2002-03 के अन्त तक उक्त लम्बाई बढ़कर 21034 सर्किट/कि.मी. हो गयी। वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में इनकी लम्बाई बढ़कर क्रमशः 21376 सर्किट/कि.मी., 21755 सर्किट/कि.मी., 22223 सर्किट/कि.मी. एवं 21618 सर्किट/कि.मी. हो गयी। इस प्रकार 2002-2007 की अवधि में पारेषण लाइनों के विस्तार में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के अन्त तक पारेषण लाइनों के विस्तार 32825 सर्किट/कि.मी. तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लम्बाई वर्ष 2007-08 में 22339 सर्किट/कि.मी. , वर्ष 2008-09 में 22968 सर्किट/कि.मी., वर्ष 2009-10 में 23649 सर्किट/कि.मी., वर्ष 2010-11 में 24486 सर्किट/कि.मी. एवं वर्ष 2011-12 में 25465 सर्किट/कि.मी. हो गयी।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के गांवों और अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाता है। भारत के अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, केरल, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एवं कर्नाटक आदि में ग्रामों के विद्युतीकरण को देखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अभी काफी पीछे है। उत्तर प्रदेश के 97942 कुल आबाद ग्रामों में से वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के अन्त तक क्रमशः 57113, 59241, 66933, 83558, 86316,

86899, 87064 तथा 87086 ग्रामों का एल.टी. मेन्स द्वारा विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के अन्त तक उक्त संख्या यथावत् 87086 ही रही।

प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों की दशा सुधारने के लिए उनमें विद्युतीकरण हेतु सरकार द्वारा यथोचित् प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के अन्त तक क्रमशः 61750, 64190, 71910, 88687, 91508, 92092, 94296, 95757, 98372 तथा 99173 अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण कार्य किया जा चुका है।

सिंचाई के सुनिश्चित साधनों के प्रसार हेतु प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक नलकूल/पम्प सेट्स का ऊर्जीकरण किया जा रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के अन्त तक उत्तर प्रदेश में ऊर्जीकृत नलकूपों/पम्पसेटों की संख्या 8.38 लाख तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 के अन्त तक उक्त संख्या बढ़कर क्रमशः 8.00 लाख, 8.07 लाख, 8.14 लाख, 8.26 लाख एवं 8.56 लाख हो गयी। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के अन्त तक उत्तर प्रदेश में उर्जीकृत नलकूपों/पम्पसेटों की संख्या 9.56 लाख करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के अंत तक उक्त संख्या बढ़कर 8.78 लाख, 9.10 लाख, 9.40 लाख, 9.65 लाख एवं 9.92 लाख हो गयी।

वैकल्पिक ऊर्जा

ऊर्जा के परम्परागत स्त्रोतो के क्षयशील होने एवं इनके उपयोग से बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या के निदान हेतु ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोतो के उपयोग को प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1988 में प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा) की स्थापना की गयी। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त अभिकरण द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जन विद्युत ऊर्जा जैसे अनेक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपर्युक्त तकनीकी के विकास एवं प्रचार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की समस्या के निदान हेतु भारत सरकार के निर्देशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम पर 529.50 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया

गया था जिसमें से उक्त मद पर वर्ष 2002-03 में 2.05 करोड़ रुपये, वर्ष 2003-04 में 4. 33 करोड़ रुपये, वर्ष 2004-05 में 2.51 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में 1.70 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006-07 में 4.57 करोड़ रुपये व्यय किये गये। 11वीं पंचवर्षीय योजना में उक्त कार्यक्रम हेतु 39.44 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत है जिसमें से वर्ष 2007-08 में उक्त मद पर 0.99 करोड़ रुपये, वर्ष 2008-09 में 2.53 करोड़ रुपये, वर्ष 2009-10 में 3.53 करोड़ रुपये, वर्ष 2010-11 में 23.73 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2011-12 में 35.12 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

****

अध्याय-5
सड़क, परिवहन एवं संचार

उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये परिवहन एवं संचार की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था आवश्यक है। यह प्रदेशवासियों को सुखी एवं समुन्नत जीवनयापन सुलभ कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। परिवहन एवं संचार व्यवस्था को अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से देश/प्रदेश में रेल मार्गो, वायु मार्गो, जल मार्गो एवं रज्जु मार्गो का भी विकास किया जा रहा है। प्रदेश की परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सड़क यातायात का विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थान है।

कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों में वृद्धि के लिये सड़क एवं संचार जैसे अवस्थापनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कच्चे मालों की आपूर्ति तथा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिये परिवहन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं में इन सुविधाओं हेतु व्यापक परिव्यय सुरक्षित रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में यातायात सुविधाओं के प्रसार पर वर्ष 2011-12 में 3484.13 करोड़ रुपये व्यय किये गये, जो गत वर्ष 2010-11 के व्यय 4317.09 करोड़ रुपये की तुलना में 19.29 प्रतिशत कम रहा। उत्तर प्रदेश में सड़कों एवं पुलों के विस्तार व मरम्मत पर वर्ष 2007-08 में 4395.35 करोड़ रुपये, वर्ष 2008-09 में 5225.86 करोड़ रुपये, वर्ष 2009-10 में 3535.55 करोड़ रुपये, वर्ष 2010-11 में 4123.40 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2011-12 में 3325.24 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

सड़क

परिवहन एवं व्यापार सम्बंधी क्रिया-कलापों का विकास एवं विस्तार पर्याप्त सीमा तक सड़कों के विकास पर निर्भर करता है। सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव की प्रक्रिया से कुछ स्तर तक रोजगार के अवसर भी सुलभ हो जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत कुल पक्की सड़कों की लम्बाई सम्बन्धी आंकड़ें तालिका 5.1 में दर्शाये गये हैं-

तालिका-5.1

उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत पक्की सड़कों की लम्बाई

(कि0मी0)

सड़कों का वर्गीकरण	वर्ष के अन्त में	तारकोल	कंकड़ पत्थर की सतह	सीमेंट कंक्रीट /सीमेंट कंक्रीट ट्रैक्स	योग
1	2	3	4	5	6
1-राष्ट्रीय मार्ग	2001-02	3912	-	-	3912
	2004-05	4045	-	-	4045
	2009-10	4535	-	-	4535
	2010-11	3577	-	-	3577
	2011-12	3184	-	-	3184
2-राज्य मार्ग	2001-02	9059	39	-	9098
	2004-05	8868	20	-	8888
	2009-10	7941	16	-	7957
	2010-11	7925	16	-	7941
	2011-12	7860	16	-	7876
3-जिले की	2001-02	84805	6211	111	91127
अन्य सड़कें	2004-05	104949	3534	111	108594
	2009-10	157277	1143	39	158459
	2010-11	167849	1278	26	169153
	2011-12	178449	1078	13	179540
4-कुल सड़कें	2001-02	97776	6250	111	104137
	2004-05	117862	3554	111	121527
	2009-10	169753	1159	39	170951
	2010-11	179351	1294	26	180671
	2011-12	189493	1094	13	190600

तालिकागत आंकड़ों से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में 31 मार्च, 2002 तक कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 104137 कि0मी0 थी जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 190600 कि0मी0 हो गयी। इस प्रकार 2002-2012 की अवधि में इसमें 83.0 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के लिये प्रदेश को चार आर्थिक क्षेत्रों (पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय तथा बुन्देलखण्ड) में बांटा गया है। तालिका 5.2 में आर्थिक क्षेत्रवार लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत कुल पक्की सड़को की लम्बाई सम्बंधी आंकड़े दर्शाये गये हैं:-

तालिका-5.2

उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्रवार लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत कुल पक्की सड़कों की लम्बाई (31 मार्च, 2012 तक)

आर्थिक क्षेत्र	उपलब्ध पक्की सड़के (कि0 मी0)			
	कुल लम्बाई	प्रतिशत अंश	प्रति लाख जनसंख्या पर	प्रति 100 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र पर
1	2	3	4	5
1-पूर्वी	82945	43.52	102.15	96.62
2-पश्चिमी	61972	32.51	82.75	77.63
3-केन्द्रीय	32933	17.28	89.07	71.85
4-बुन्देलखण्ड	12750	6.69	130.59	43.34
उत्तर प्रदेश	**190600**	**100.00**	**93.97**	**79.11**

नोट-उक्त तालिका में वर्ष, 2011 की प्रक्षिप्त जनसंख्या का प्रयोग किया गया है।

तालिकागत आंकड़ों से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में 31 मार्च, 2012 तक कुल पक्की सड़कों की लम्बाई का सर्वाधिक अंश (43.52 प्रतिशत) पूर्वी क्षेत्र में था, जबकि पश्चिमी क्षेत्र (32.51 प्रतिशत) द्वितीय स्थान पर रहा। इसके बाद केन्द्रीय क्षेत्र (17.28 प्रतिशत) का स्थान तीसरा तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र (6.69 प्रतिशत) का स्थान चौथा रहा। कुल पक्की सड़कों की लम्बाई का सबसे कम अंश (6.69 प्रतिशत) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रहा।

उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई सर्वाधिक (130.59 कि0मी0) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम (82.75 कि0मी0) पश्चिमी क्षेत्र में रही। क्षेत्रफल के आधार पर प्रति 100 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र पर उपलब्ध पक्की सड़कों की लम्बाई उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक (96.62 कि0मी0) तथा सबसे कम (43.34 कि0मी0) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रही।

परिवहन

परिवहन सेवाओं का विस्तार देश/प्रदेश की समृद्धि एवं सुदृढ़ औद्योगिक विकास का परिचायक है। प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति परिवहन सेवाओं के विकास पर पूर्ण रूप से निर्भर करती है। सड़कों के विस्तार के साथ ही परिवहन सेवाओं में भी विस्तार हो

रहा है। निजी क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुगम परिवहन सेवायें सुलभ कराने के उददे्श्य से उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गयी हैं। इन सेवाओं से सम्बंधित आंकड़े तालिका 5.3 में दर्शाये गये हैं-

तालिका-5.3

उत्तर प्रदेश में राजकीय सड़क परिवहन परिचालन के आंकड़े

मद	2001-02	2004-05	2010-11	2011-12	2012-13*	2011-12 की अपेक्षा 2012-13 में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1-औसतपरिचालित बसे(सं0)	5523	6448	8198	8325	8634	3.7
2-वर्ष के अन्त में परिचालित मार्ग (संख्या)	1833	1859	2405	2211	2423	9.6
3-वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की औसत लम्बाई (कि0मी0)	212	227	239	247	238	(-)3.6
4-वर्ष के अन्त में परिचालितमार्गो की कुललम्बाई (हजार कि.मी.)	389	423	574	546	576	5.5
5-दैनिक कुल परिचालित दूरी (हजार कि0 मी0)	1612	1989	2818	2971	2979	0.3
6-प्रतिदिन ले जाये गये यात्री (लाख)	7.77	10.32	12.89	13.42	14.43	7.5
7-दुर्घटनायें (प्रति लाख कि0मी0)	0.16	0.14	0.11	0.11	0.09	(-)18.2
8-प्रति कि0मी0 आय (रूपये)	10.66	12.02	20.17	21.38	22.06	3.2
9-कुल दुर्घटनायें (संख्या)	817	911	945	935	798	(-)14.7
10-ईधन औसत खपत (कि0मी0 प्रति लीटर)	4.87	5.03	5.30	5.21	5.18	(-)0.6

*अनन्तिम

स्रोतः- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।

तालिकागत आंकड़ों से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011-12 में राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा औसत परिचालित बसों की संख्या 8325 थी, जो वर्ष 2012-13 में 3.7 प्रतिशत बढ़कर 8634 हो गयी। वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की संख्या वर्ष 2011-12 में 2211 थी, जो वर्ष 2012-13 में 9.6 प्रतिशत बढ़कर 2423 हो गयी। वर्ष के

अन्त में परिचालित मार्गो की औसत लम्बाई वर्ष 2011-12 में 247 कि0मी0 थी, जो वर्ष 2012-13 में 3.6 प्रतिशत घटकर 238 कि0मी0 रह गयी। वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की कुल लम्बाई वर्ष 2011-12 में 546 हजार कि0मी0 थी, जो वर्ष 2012-13 में 5.5 प्रतिशत बढ़कर 576 हजार कि0मी0 हो गयी। इसी प्रकार प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या वर्ष 2011-12 में 13.42 लाख थी, जो वर्ष 2012-13 में 7.5 प्रतिशत बढ़कर 14.43 लाख हो गयी।

जनसंख्या वृद्धि के कारण आवागमन एवं यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरुप मार्गो पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में राजकीय एवं निजी क्षेत्रों के गाड़ियों से सम्बंधित आंकड़े तालिका 5.4 में दर्शाये गये हैं-

तालिका-5.4

उत्तर प्रदेश में सड़क पर चल रही मोटर गाड़ियां (राजकीय व निजी क्षेत्र)

मद	मोटर गाड़ियों की संख्या (31 मार्च को)					2011-12 की अपेक्षा 2012-13 में प्रतिशत वृद्धि	गाड़ियों का प्रतिशत अंश	
	2001-02	2004-05	2010-11	2011-12	2012-13*		2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- मोटर साइकिल	3834680	5652044	10563850	12410064	13724495	10.6	80.3	80.4
2- कार	321747	499148	984937	1108100	1205374	8.8	7.2	7.1
3- बस	30529	30924	40663	43081	49830	15.7	0.3	0.3
4- टैक्सी	95170	107939	193822	235145	284684	21.1	1.5	1.7
5- ट्रक	116427	165289	307227	339148	400226	18.0	2.2	2.3
6- ट्रैक्टर	677366	742717	978627	1064284	1088058	2.2	6.9	6.4
7- अन्य	100402	152526	227123	254393	305108	19.9	1.6	1.8
कुल	**5176321**	**7350587**	**13296249**	**15454215**	**17057775**	**10.4**	**100.0**	**100.0**

*अनन्तिम

स्रोत:- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम।

तालिकागत आंकड़ों से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में गत वर्ष 2011-12 की अपेक्षा वर्ष 2012-13 में सड़क पर चल रही कुल मोटर गाड़ियों की संख्या में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। टैक्सी की संख्या में सर्वाधिक (21.1 प्रतिशत) वृद्धि हुई, जो प्रदेशीय वृद्धि (10.4 प्रतिशत) की तुलना में अधिक रही। ट्रैक्टर की संख्या में सबसे कम वृद्धि (2.2

प्रतिशत) रही। उपरोक्त आंकड़ों से यह भी ज्ञात होता है कि प्रदेश में मोटर साइकिल, कार तथा ट्रैक्टर अधिक संख्या में प्रयुक्त की जा रही है।

जनसाधारण को यातायात सम्बंधी कठिनाई न हो इसके लिये आवश्यक है कि जनसंख्या में हुई वृद्धि के अनुपात में यातायात सुविधाओं का भी विस्तार हो। इसकी विवेचना हेतु तालिका 5.5 में प्रतिलाख जनसंख्या पर मार्गो पर चलने वाली विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों की संख्या सम्बंधी आंकड़े दर्शाये गये है-

तालिका-5.5

उत्तर प्रदेश में प्रतिलाख जनसंख्या पर मार्गो पर चालित मोटर वाहनों की संख्या (31, मार्च को)

मद	2001-02	2004-05	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 की अपेक्षा 2012-13 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7
1-मोटर साइकिल	2276	3168	5299	6118	6652	8.7
2-कार	191	280	494	546	584	7.0
3-बस	18	17	20	21	24	14.3
4-टैक्सी	57	61	97	116	138	19.0
5-ट्रक	69	93	154	167	194	16.2
6-ट्रैक्टर	402	416	491	525	527	0.4
7-अन्य	60	85	114	125	148	18.4
कुल	**3073**	**4120**	**6670**	**7619**	**8268**	**8.5**

नोट:- उक्त तालिका में विभिन्न वर्षो के लिये 1 अक्टूबर की प्रक्षिप्त जनसंख्या का प्रयोग किया गया है।

तालिकागत आंकड़ों से विदित होता है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिलाख जनसंख्या पर मार्गो पर चालित कुल मोटर गाड़ियों की संख्या वर्ष 2011-12 में 7619 थी, जो 8.5 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में 8268 हो गयी। वर्ष 2011-12 की अपेक्षा वर्ष 2012-13 में प्रतिलाख जनसंख्या पर मार्गो पर चालित सभी मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि हुयी है।

परिवहन विभाग के सड़क परिवहन क्रिया-कलापों में मुख्यत: मोटर गाड़ी अधिनियम, मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, यात्रीकर अधिनियम तथा मालकर अधिनियम के प्राविधानों का क्रियान्वयन सम्मिलित है। प्रदेश में परिवहन कर से प्राप्तियों का विवरण तालिका-5.6 में दर्शाया गया है-

तालिका–5.6

उत्तर प्रदेश में परिवहन कर की प्राप्तियां

(करोड़ रुपये)

मद	**2001–02**	**2004–05**	**2010–11**	**2011–12**	**2010–11 की अपेक्षा 2011–12 में प्रतिशत वृद्धि**
1	2	3	4	5	6
1–वाहन कर	503.04 (86.8)	775.84 (90.5)	1816.89 (88.3)	2375.86 (99.80)	30.8
2–माल तथा यात्रीकर	76.65 (13.2)	81.74 (9.5)	241.68 (11.7)	4.81 (0.2)	(–)98.0
योग	**579.69 (100.0)**	**857.58 (100.0)**	**2058.57 (100.0)**	**2380.67 (100.0)**	**15.6**

स्रोत:–राजस्व एवं पूंजी लेखों की प्राप्तियों के ब्योरेवार अनुमान 2013–14,**खण्ड**–2(भाग –1)

नोट**:**–कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001–02 में वाहन कर से 503.04 करोड़ रुपये तथा माल एवं यात्री कर से 76.65 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां हुई। इसी प्रकार वर्ष 2004–05 में उक्त दोनो मदों से प्राप्त राजस्व क्रमश: 775.84 करोड़ रुपये व 81.74 करोड़ रुपये, वर्ष 2010–11 में क्रमश: 1816.89 करोड़ रुपये व 241.68 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2011–12 में क्रमश: 2375.86 करोड़ रुपये व 4.81 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां हुई।

संचार

संचार माध्यमों के अन्तर्गत डाकघरों का अत्याधिक महत्व है, क्योकि इनके माध्यम से जनसामान्य को सस्ती एवं सुलभ संदेशवाहन सेवा उपलब्ध होने के साथ ही अल्पबचत कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001–02 में कुल डाकघरों की संख्या 17627 थी जिनमें 1938 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15689 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत् थे। वर्ष 2012–13 में इनकी संख्या बढ़कर 17671 हो गयी, जिनमें 1927 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15744 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध थे। उत्तर प्रदेश में डाकघरों की स्थिति तालिका–5.7 में दर्शायी गयी है–

तालिका-5.7

उत्तर प्रदेश में डाकघरों की संख्या (31 मार्च को)

मद	2001-02	2004-05	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
डाकघरों की संख्या	17627	17658	17669	17669	17671
(क) नगरीय	1938	1959	1948	1925	1927
(ख) ग्रामीण	15689	15699	15721	15744	15744

संदेशवाहन सेवा के साथ ही डाकघरों के माध्यम से जनसामान्य में मितव्ययता की भावना को जागृत करने के लिये राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम भी चलाये जाते है। विकास कार्यक्रमों के लिये वित्तीय संसाधन सुलभ कराने की दिशा में डाकघर एक उपयोगी माध्यम है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल शुद्ध जमा धनराशि वर्ष 2001-02 में 4830.31 करोड़ रुपये थी, जो घटकर वर्ष 2012-13 में 4267.98 करोड़ रुपये रह गयी।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल शुद्ध जमा धनराशि की स्थिति तालिका-5.8 में दर्शायी गयी है-

तालिका-5.8

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बचत

(करोड़ रू0)

वर्ष	जमा धनराशि	निष्कासित धनराशि	शुद्ध जमा धनराशि
1	2	3	4
2001-02	10370.13	5539.82	4830.31
2004-05	15611.38	8203.28	7408.10
2007-08	13663.89	12530.31	1133.58
2008-09	15843.05	14495.19	1347.86
2009-10	20979.12	14728.68	6250.44
2010-11	25848.10	20239.59	5608.51
2011-12	24367.82	21782.25	2585.57
2012-13	27547.66	23279.68	4267.98

दैनिक जीवन तथा व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक क्रिया-कलापों में दूरभाष सेवाओं का बड़ा महत्व है। वर्ष 2011-12 में उत्तर प्रदेश में कुल 1803527 बेसिक टेलीफोन तथा 3208 टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत् थे। वर्ष 2012-13 में बेसिक टेलीफोन कनेक्शन तथा टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या की संख्या घटकर 1459178 एवं 3190 हो गयी। मोबाइल सेवा के वृहद् विस्तार के परिणामस्वरूप ही बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में कमी होना

प्रतीत होता है। इसी प्रकार वर्ष 2011-12 में उत्तर प्रदेश में इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की संख्या क्रमशः 230047 तथा 12950 हजार थी जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर क्रमशः 224900 एवं 13265 हजार हो गयी । उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की स्थिति तालिका-5.9 में दर्शायी गयी है -

तालिका-5.9

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की स्थिति

वर्ष	बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या	इन्टरनेट सब्सक्राइवर संख्या	मोबाईल कनेक्शन संख्या (हजार)
1	2	3	4	5
2001-02	2836402	3117	-	-
2004-05	1771533	3265	-	-
2005-06	2790804	3268	-	-
2006-07	2525045	3277	-	-
2007-08	2519405	3273	223431	-
2008-09	2620403	3339	225672	7720
2009-10	2614085	3258	332413	9952
2010-11	1948936	3230	228366	12583
2011-12	1803527	3208	230047	12950
2012-13	1459178	3190	224900	13265

****

अध्याय-6
सामाजिक सेवायें

शिक्षा, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, स्वच्छता सेवा, पेय जल सुविधा इत्यादि सामाजिक सेवा के प्रमुख अंग है। इनके बिना प्रदेश के विकास की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में वांछित प्रगति लाना व्यवहारिक नही हो सकेगा। उत्तर प्रदेश में 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में शिक्षा, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य तथा जल सम्पूर्ति एवं स्वच्छता मदों के लिए क्रमशः 4302.81 करोड़ रूपये, 2405.43 करोड़ रुपये तथा 5337.97 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत था जिसमें से वर्ष 2002-03 में उक्त मदों पर क्रमशः 323.35 करोड़ रुपये, 270.18 करोड़ रुपये तथा 288.33 करोड़ रुपये, वर्ष 2003-04 में क्रमशः 295.75 करोड़ रुपये, 202.35 करोड़ रुपये तथा 315.95 करोड़ रुपये, वर्ष 2004-05 में क्रमशः 1031.95 करोड़ रूपये, 398.76 करोड़ रुपये तथा 390.88 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में क्रमशः 1385.71 करोड़ रुपये, 920.24 करोड़ रुपये तथा 734.90 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006-07 में क्रमशः 2168.34 करोड़ रुपये, 1946.61 करोड़ रुपये तथा 677.88 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में इन मदों के लिए क्रमशः 18850.83 करोड़ रूपये, 13194.05 करोड़ रुपये तथा 5367.34 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत है, जिसमें से वर्ष 2007-08 में उक्त मदों पर क्रमशः 1670.03 करोड़ रुपये, 1493.60 करोड़ रुपये तथा 731.78 करोड़ रुपये, वर्ष 2008-09 में क्रमशः 1723.79 करोड़ रुपये, 1847.39 करोड़ रुपये तथा 1047.51 करोड़ रुपये, वर्ष 2009-10 में क्रमशः 2169.03 करोड़ रुपये, 1683.24 करोड़ रुपये तथा 1230.28 करोड़ रुपये, वर्ष 2010-11 में क्रमशः 3968.39 करोड़ रुपये, 1524.38 करोड़ रुपये तथा 1141.08 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2011-12 में क्रमशः 3998.86 करोड़ रुपये, 1426.54 करोड़ रुपये तथा 1148.26 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

शिक्षा

प्रदेश के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान कर सकते हैं। वर्ष 2001 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 56.3 था जबकि इसी अवधि में भारत का साक्षरता प्रतिशत 64.8 था। इसी प्रकार वर्ष 2011 की

जनगणना के अनन्तिम आंकडो़ के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जबकि इसी अवधि में भारत का साक्षरता प्रतिशत 73.0 है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 में पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत 68.8 था, जबकि भारत में पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत 75.3 था। इसी प्रकार वर्ष 2011 में प्रदेश में पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत 77.3 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 80.9 है।

उत्तर प्रदेश में स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत वर्ष 2001 में 42.2 था, जबकि भारत में यह प्रतिशत 53.7 था। इसी प्रकार वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश में स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत 57.2 है जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय औसत 64.6 है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रदेश में शिक्षा का धीरे धीरे प्रसार हो रहा है परन्तु अभी भी हम शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त नहीं कर सके हैं। इसके आंकलन के लिए तालिका 6.1 नीचे दी जा रही है।

तालिका–6.1

उत्तर प्रदेश एवं भारत के साक्षरता प्रतिशत के आँकड़े

क्रमांक	जनसंख्या वर्ग	साक्षरता प्रतिशत			
		उत्तर प्रदेश		भारत	
		2001	2011	2001	2011
1	2	3	4	5	6
1	पुरूष	68.8	77.3	75.3	80.9
2	स्त्री	42.2	57.2	53.7	64.6
3	कुल	56.3	67.7	64.8	73.0

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.62 करोड़ है जिसमें 7 एवं 7 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या 13.46 करोड़ है। 7 वर्ष एवं अधिक की आयु में साक्षरों की संख्या 7.57 करोड़ है। उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 56.3 है जिसमें पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत 68.8 तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 42.2 है।

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ है जिसमें 7 एवं 7 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या 16.90 करोड़ है। 7 वर्ष एवं अधिक की आयु में साक्षरों की संख्या 11.44 करोड़ है। उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जिसमें पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत 77.3 तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 57.2 है। इस प्रकार

शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में गत 10 वर्षो में साक्षरता में वृद्धि 11.4 प्रतिशत, पुरुषों में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि तथा महिलाओं में यह वृद्धि 15.0 प्रतिशत हुई है। इसे उक्त तालिका 6.1 से देखा जा सकता है। यद्यपि प्रदेश में गत 10 वर्षो में साक्षरता में वृद्धि हुई है तथापि उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत अन्य सभी प्रमुख राज्यों से कम रहा, जो इस बात का संकेत करता है कि अभी भी इस क्षेत्र में और जागरूक होने की आवश्यकता है।

वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणनानुसार मुख्य-मुख्य प्रदेशों के साक्षरता प्रतिशत के आँकड़े तालिका 6.2 में दिए जा रहे हैं-

तालिका-6.2

कुछ प्रमुख राज्यों के साक्षरता प्रतिशत के आँकड़े-2001 एवं 2011

		2001			2011		
क्रमांक	**राज्य**	**व्यक्ति**	**पुरुष**	**स्त्री**	**व्यक्ति**	**पुरुष**	**स्त्री**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	हिमांचल प्रदेश	76.5	85.3	67.4	82.8	89.5	75.9
2	पंजाब	69.7	75.2	63.4	75.8	80.4	70.7
3	उत्तराखण्ड	71.6	83.3	59.6	78.8	87.4	70.0
4	हरियाणा	67.9	78.5	55.7	75.6	84.1	65.9
5	राजस्थान	60.4	75.7	43.9	66.1	79.2	52.1
6	उत्तर प्रदेश	56.3	68.8	42.2	67.7	77.3	57.2
7	बिहार	47.0	59.7	33.1	61.8	71.2	51.5
8	अरुणाचल प्रदेश	54.3	63.8	43.5	65.4	72.8	57.7
9	मेघालय	62.6	65.4	59.6	74.4	76.0	72.9
10	आसाम	63.3	71.3	54.6	72.2	77.8	66.3
11	पश्चिम बंगाल	68.6	77.0	59.6	76.3	81.7	70.5
12	झारखण्ड	53.6	67.3	38.9	66.4	76.8	55.4
13	ओडिशा	63.1	75.3	50.5	72.9	81.6	64.0
14	छत्तीसगढ़	64.7	77.4	51.9	70.3	80.3	60.2
15	मध्य प्रदेश	63.7	76.1	50.3	69.3	78.7	59.2
16	गुजरात	69.1	79.7	57.8	78.0	85.8	69.7
17	महाराष्ट्र	76.9	86.0	67.0	82.3	88.4	75.9
18	आन्ध्र प्रदेश	60.5	70.3	50.4	67.0	74.9	59.1
19	कर्नाटक	66.6	76.1	56.9	75.4	82.5	68.1
20	केरल	90.9	94.2	87.7	94.0	96.1	92.1
21	तमिलनाडु	73.5	82.4	64.4	80.1	86.8	73.4
	भारत	**64.8**	**75.3**	**53.7**	**73.0**	**80.9**	**64.6**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2011 में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक केरल राज्य में (94.0 प्रतिशत) रहा, जो भारत के साक्षरता प्रतिशत (73.0) से भी पर्याप्त अधिक है। अन्य राज्यों हिमांचल प्रदेश (82.8 प्रतिशत), महाराष्ट्र (82.3 प्रतिशत), तमिलनाडु (80.1 प्रतिशत), उत्तराखण्ड (78.8 प्रतिशत), गुजरात (78.0 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (76.3 प्रतिशत) तथा पंजाब (75.8 प्रतिशत) आदि की तुलना में भी उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत (67.7) कम है।

प्रदेश के आर्थिक क्षेत्रवार साक्षरता प्रतिशत के आँकड़े तालिका 6.3 में दिये जा रहें हैं-

तालिका-6.3

उत्तर प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत

क्रम संख्या	आर्थिक क्षेत्र	साक्षरता प्रतिशत 2001			साक्षरता प्रतिशत 2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूर्वी	54.3	68.6	39.1	67.4	78.1	56.2
2	पश्चिमी	57.4	68.8	44.0	67.5	76.5	57.2
3	केन्द्रीय	57.6	68.1	45.5	68.3	76.3	59.3
4	बुन्देलखण्ड	59.3	73.1	43.1	69.3	79.9	57.1
	उत्तर प्रदेश	**56.3**	**68.8**	**42.2**	**67.7**	**77.3**	**57.2**
	भारत	**64.8**	**75.3**	**53.7**	**73.0**	**80.9**	**64.6**

नोट- आर्थिक क्षेत्रवार आंकड़े जनपद स्तर पर दिये गये साक्षरता प्रतिशत के आंकड़ों पर आधारित हैं।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में (69.3) तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र में (67.4) रहा। जबकि उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 तथा भारत का साक्षरता प्रतिशत 73.0 रहा।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011-12 में जू.बे. विद्यालयों की संख्या 155619 थी जो वर्ष 2012-13 में 8.24 प्रतिशत बढ़कर 168446 हो गयी। इसी प्रकार सी. बे. विद्यालयों की संख्या वर्ष 2011-12 में 76398 थी जो वर्ष 2012-13 में 0.38 प्रतिशत बढ़कर 76690 हो गयी। वर्ष 2011-12 में हा.से. विद्यालयों की संख्या 19430 थी जो वर्ष 2012-13 में 6.63 प्रतिशत बढ़कर 20719 हो गयी।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011-12 में जू.बे. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 360 हजार थी जो वर्ष 2012-13 में 1.11 प्रतिशत बढ़कर 364 हजार हो गयी। इसी प्रकार

वर्ष 2011-12 में सी.बे. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 269 हजार थी जो वर्ष 2012-13 में 1.12 प्रतिशत बढ़कर 272 हजार हो गयी। वर्ष 2011-12 में हा.से. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 251 हजार थी जो वर्ष 2012-13 में 2.79 प्रतिशत बढ़कर 258 हजार हो गयी।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011-12 में जू.बे. विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 26199 हजार थी जो वर्ष 2012-13 में 0.02 प्रतिशत बढ़कर 26204 हजार हो गयी। वर्ष 2011-12 में सी.बे. विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 11517 हजार थी जो वर्ष 2012-13 में 0.23 प्रतिशत बढकर 11543 हजार हो गयी। वर्ष 2011-12 में हा.से. विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 12785 हजार थी जो वर्ष 2012-13 में 2.65 प्रतिशत बढ़कर 13124 हजार हो गयी।

वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आँकड़े तालिका 6.4 में दर्शाये गये हैं:-

तालिका-6.4

उत्तर प्रदेश में शिक्षण सुविधायें

क्रम संख्या	**मद**	**2011-12**	**2012-13**	**वर्ष 2011-12 की अपेक्षा वर्ष 2012-13 में प्रतिशत वृद्धि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	जू. बे. विद्यालय (संख्या)	155619	168446	8.24
2	सी. बे. विद्यालय (संख्या)	76398	76690	0.38
3	हा. से. विद्यालय (संख्या)	19430	20719	6.63
अध्यापक (हजार में)				
1	जू. बे. विद्यालय	360	364	1.11
2	सी. बे. विद्यालय	269	272	1.12
3	हा. से. विद्यालय	251	258	2.79
विद्यार्थी (हजार में)				
1	जू. बे. विद्यालय	26199	26204	0.02
2	सी. बे. विद्यालय	11517	11543	0.23
3	हा. से. विद्यालय	12785	13124	2.65

प्रदेश में शिक्षण सुविधाओं की सम्यक् जानकारी हेतु विद्यालयों एवं विद्यार्थियों की संख्या के आँकड़े प्रति लाख जनसंख्या पर संगणित किए गए हैं। इनका विभिन्न आर्थिक

क्षेत्रवार विवरण तालिका 6.5 में दिया जा रहा है, जिससे आर्थिक क्षेत्रवार हुई प्रगति का सही-सही आंकलन किया जा सके।

तालिका-6.5

उत्तर प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों/विद्यार्थियों की संख्या

(2012-13)

क्रम सं.	आर्थिक क्षेत्र	विद्यालयों की संख्या			विद्यार्थियों की संख्या		
		जू.बे.वि.	सी.बे.वि.	हा.से.वि.	जू.बे.वि.	सी.बे.वि.	हा.से.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूर्वी	76	37	10	12930	5802	6860
2	पश्चिमी	86	37	11	12438	5141	6139
3	केन्द्रीय	82	35	10	12768	5507	5903
4	बुन्देलखण्ड	98	50	8	13587	7662	5558
	उत्तर प्रदेश	**82**	**37**	**10**	**12751**	**5595**	**6361**

नोट:-उक्त तालिका में वर्ष 2012-13 की प्रक्षिप्त जनसंख्या का प्रयोग किया गया है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे.वि. की संख्या उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक (98) थी, जबकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में यह सबसे कम 76 थी और इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे. विद्यालयों की संख्या 82 थी।

इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में प्रति लाख जनसंख्या पर सी.बे. विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक 50 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम 35 केन्द्रीय क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 37 रही। वर्ष 2012-13 में प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक 11 पश्चिमी क्षेत्र में तथा सबसे कम 8 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 10 रही।

इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे. विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक (13587) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम (12438) पश्चिमी क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 12751 रही। प्रति लाख जनसंख्या पर सी.बे विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2012-13 में सर्वाधिक बुन्देलखण्ड (7762) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (5141) पश्चिमी क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 5595 रही। वर्ष 2012-13 में प्रति लाख जनसंख्या पर

हा.से. विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक (6860) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (5558) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रही, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 6361 रही।

शिक्षण सुविधाओं का सम्यक् अध्ययन करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रति शिक्षण संस्थान पर विद्यार्थियों की संख्या के अनुमान काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2012-13 में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रति शिक्षण संस्थान पर विद्यार्थियों की संख्या के आँकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जू.बे. विद्यालयों में सर्वाधिक 171 विद्यार्थी थे, जबकि न्यूनतम विद्यार्थी बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 139 थे, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 156 रही। सी.बे. विद्यालयों में यह संख्या सर्वाधिक 159 पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम 138 पश्चिमी क्षेत्र में रही, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 151 रही एवं हा. से. विद्यालयों में प्रति शिक्षण संस्थान पर विद्यार्थियों की संख्या पश्चिमी क्षेत्र में 573 न्यूनतम रही जबकि सर्वाधिक 707 पूर्वी क्षेत्र में रही, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 633 रही।

शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन छात्र अध्यापक अनुपात है। वर्ष 2012-13 में प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या जू. बे. विद्यालयों में सर्वाधिक 77 पूर्वी क्षेत्र में रही, तत्पश्चात केन्द्रीय क्षेत्र में 73 तथा सबसे कम पश्चिमी क्षेत्र में 67 रही। सी.बे. विद्यालयों में सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात 47 केन्द्रीय क्षेत्र में था जबकि न्यूनतम 37 पश्चिमी क्षेत्र में रहा। वर्ष 2012-13 में प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या हा. से. विद्यालयों में सर्वाधिक 58 पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम 45 केन्द्रीय क्षेत्र में रही। इन मदों से सम्बन्धित आर्थिक क्षेत्रवार आँकड़े तालिका 6.6 में दर्शाये गये हैं-

तालिका-6.6

उत्तर प्रदेश में प्रति शिक्षण संस्थान/प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या

(2012-13)

क्रम सं.	आर्थिक क्षेत्र	प्रति शिक्षण संस्थान पर विद्यार्थियों की संख्या			प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या		
		जू.बे.वि.	सी.बे.वि.	हा.से.वि.	जू.बे.वि.	सी.बे.वि.	हा.से.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूर्वी	171	159	707	77	46	58
2	पश्चिमी	145	138	573	67	37	47
3	केन्द्रीय	156	157	591	73	47	45
4	बुन्देलखण्ड	139	155	700	69	42	53
	उत्तर प्रदेश	**156**	**151**	**633**	**72**	**42**	**51**

प्रति लाख जनसंख्या पर जू. बे. विद्यालयों, सी.बे. विद्यालयों व हा. से. विद्यालयों की संख्या के आँकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि भारत की अपेक्षा प्रदेश में इनकी संख्या कम ही रही है। उक्त से सम्बन्धित आँकड़े तालिका 6.7 में दर्शाये गये हैं-

तालिका-6.7

उत्तर प्रदेश एवं भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या

क्रमांक	संस्थायें	प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या					
		उत्तर प्रदेश			भारत		
वर्ष		2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8
2	जू.बे.विद्यालय	66	67	74	68	70	63
3	सी.बे.विद्यालय	22	26	27	29	31	38
4	हा.से.विद्यालय	8	8	9	16	16	17

सर्व शिक्षा अभियान

वर्ष 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी तब से लेकर अब तक शिक्षा विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। वैसे प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। केन्द्र एवं राज्यों ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण और सभी के लिये शिक्षा का लक्ष्य अपनाया है।

इस दिशा में अगस्त 2009 मे संसद द्वारा "नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" पारित किया गया है। यह अधिनियम 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार के दायित्वों को निर्धारित करता है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए कार्यक्रमों का निर्धारण कर अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया है। प्रदेश के सभी जनपद सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आच्छादित है। जहां वर्ष 1950-51 में 34833 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 30.75 लाख बच्चे अध्ययन कर रहे थे वहीं वर्ष 2012-13 में उक्त विद्यालयों की संख्या बढ़कर 245136 तथा उसमें अध्ययन कर रहे बच्चों की संख्या बढ़कर

377.47 लाख हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 1950-51 में 84804 अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे थे वहीं वर्ष 2012-13 में उनकी संख्या बढ़कर 636010 हो गयी।

सर्वशिक्षा अभियान वर्ष 2012-13 की वित्तीय प्रगति

(लाख रु0 में)

अनुमोदित परिव्यय	कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रतिशत
1042746.00	730549.74	590118.40	80.78

शिक्षा मित्र योजना

प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनायें रखने एवं ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा जगत की सेवा का अवसर उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा मित्र योजना का प्रारम्भ वर्ष 2000-01 से किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत लगभग 1.66 लाख शिक्षा मित्रों को चयनित कर के प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य सम्पन कराया जा रहा है।

नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक की व्यवस्था

परिषद के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति वर्ष कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के समस्त बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। उक्त योजना से वर्ष 2012-2013 में लगभग 190 लाख छात्र-छात्रायें लाभान्वित हुए हैं ।

मध्यान्ह भोजन योजना

मध्यान्ह भोजन योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समवेत प्रयासों से वर्ष 1995 से संचालित हैं। जिसके अन्तर्गत राजकीय/परिषदीय/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को वर्ष 2004 से एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को वर्ष 2007 से पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है ।

बालिका शिक्षा

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में अपवंचित वर्ग की विद्यालय से बाहर एवं शालात्यागी बालिकाओं को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतू प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित किये जा रहे है जिसमें लगभग 68763 बालिकाए शिक्षा ग्रहण कर रही है। इन विद्यालयों में उच्च प्राथमिक विद्याालय स्तर की आवासीय शिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है।

नेशनल प्रोग्राम फार एजुकेशन आफ गर्ल्स एट एलीमेन्ट्री लेवल(एन.पी.ई.जी.ई.एल.)

यह कार्यक्रम प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 विकास खण्डों में संचालित किया जा रहा है। विद्यालय के बाहर की बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, बालिकाओं की शाला त्यागने की प्रवृत्ति को रोकना, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना तथा उन्हें जीवन कौशल सम्बंधी ज्ञान कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा

किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए वहां के प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना पहली मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश में वैकल्पिक शिक्षा को संचालित करने के उद्देश्य से साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा तथा उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं निदेशालय का गठन किया गया है।

साक्षर भारत कार्यक्रम

साक्षर भारत योजना में महिला साक्षरता पर विशेष बल दिया गया है। साक्षर भारत मिशन-2012 कार्यक्रम का शुभारम्भ 8 सितम्बर, 2009 को किया गया है। इस कार्यक्रम के लक्ष्य निम्नवत् है:-

1. 80 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करना।
2. महिला साक्षरता दर में वृद्धि कर जेन्डरगैप को कम करना।
3. सामाजिक एवं क्षेत्रीय भेदभाव में कमी लाना।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के उन 365 जनपदों का चयन किया गया है जहाँ वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर महिलाओं की साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम है। साक्षर भारत योजनान्तर्गत 15+ आयु वर्ग के निरक्षरों को साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के 66 जनपदों की 50342 ग्राम सभाओं में लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना स्थापना की जा चुकी है।

साक्षर भारत योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की स्थिति

उत्तर प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक आयु के 182 लाख निरक्षरो को साक्षरता प्रदान करना है, जिसमें 26 लाख पुरुष एवं 156 लाख महिलायें हैं । 15+ आयु वर्ग के साक्षरता प्रतिशत के आधार पर 50 प्रतिशत से कम महिला साक्षरता वाले प्रदेश में 66 जनपद है । प्रथम चरण में प्रदेश के 26 जनपदों में यह योजना लागू की गयी है तथा 19964 लोक

शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। द्वितीय चरण में प्रदेश के 40 जनपदों में 30378 लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में विशेष महत्व है। किशोर बालक/बालिकाओं में ज्ञानवर्धन के साथ-साथ सामाजिक सद्गुणों का विकास, अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के प्रति जागरूकता, आत्मनिर्भरता तथा आत्म विकास आदि चारित्रिक गुणों का विकास करना माध्यमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य है। वर्ष 2012-13 में कुल 20719 माध्यमिक विद्यालय संचालित है जिसमें 1584 राजकीय तथा 19135 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। इसमें 4478 अशासकीय सहायता प्राप्त तथा 14657 वित्तविहीन अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। उक्त माध्यमिक विद्यालयों में 257998 अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे हैं एवं कक्षा 6 से 12 तक 13124213 विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं।

बालिका शिक्षा सम्बन्धी योजनाएं

माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु शैक्षिक सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा की सुलभता बढ़ाने के साथ-साथ पठन-पाठन की व्यवस्था में सुधार के लिये विशिष्ट कार्यक्रम बनाये गये हैं जिनमें बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है ।प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक बालिकाओं का हाईस्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

भारत सरकार की सहायता से 14-18 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं को माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक एवं व्यय भार-वहन योग्य शिक्षा उपलब्ध कराने, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के छात्र-छात्राओं की शिक्षा के लिये विशेष उपाय किये जाने हेतु वर्ष 2009-10 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संचालित है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार रा0मा0शिक्षा अभियान को प्रदेश में लागू किया गया है। यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसमें 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र तथा प्रदेश सरकार का अंश क्रमशः 75:25 एवं 50:50 प्रतिशत होगा। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं को अधिकतम 5 किलो मीटर

के अन्दर तथा इण्टरमीडिएट की शिक्षा 7 से 10 किलों मीटर के अन्दर उपलब्ध कराया जाना है। वर्ष 2011-12 में भारत सरकार द्वारा रू0 548.47 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत की गई है।

उच्च शिक्षा

किसी भी क्षेत्र के सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में उच्च शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में उच्च शिक्षा के लिए क्रमशः 918.72 करोड़ रूपये का परिव्यय स्वीकृत है, जिसमें से वर्ष 2007-08 में उक्त मद पर 135.71 करोड़ रुपये, वर्ष 2008-09 में 82.31 करोड़ रुपये, वर्ष 2009-10 में 73.94 करोड़ रुपये, वर्ष 2010-11 में 259.32 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2011-12 में 90.12 करोड़ रुपये व्यय किये गये। प्रदेश में स्नातक एवं परास्नातक स्तर के शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या से सम्बंधित आंकड़े तालिका-6.8 में दर्शाये गये है-

तालिका-6.8

उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर की शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या

क्रमांक	संस्थायें	वर्ष			
		2011-12		2012-13	
		संख्या	विद्यार्थी (हजार में)	संख्या	विद्यार्थी (हजार में)
1	2	3	4	5	6
1	विश्वविद्यालय	30	30	31	30
2	महाविद्यालय	3553	2473	3713	2611

उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर की शिक्षा सुलभ कराने हेतु वर्ष 2011-12 में 30 विश्वविद्यालय तथा 3553 महाविद्यालय संचालित थे। वर्ष 2012-13 में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 3713 तथा विश्वविद्यालयों की संख्या 31 हो गयी। वर्ष 2011-12 में विश्वविद्यालयों में 30 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत् थे जो वर्ष 2012-13 में यथावत रहे। वर्ष 2011-12 में महाविद्यालयों में 2473 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत् थे जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर 2611 हजार हो गये।

प्रावैधिक शिक्षा

किसी देश की वास्तविक प्रगति का आंकलन वहां की शिक्षा, तकनीकी विकास एवं आर्थिक स्तर से होता है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थापित उद्योगों, आधुनिक

कृषि तकनीकी एवं उनसे सम्बन्धित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रावैधिक शिक्षा के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उद्योगों हेतु कुशल कर्मचारियों की पूर्ति के लिये प्रदेश में प्रावैधिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र स्तर की त्रिस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2012-13 में उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर के 11 इंजीनियरिंग कालेज तथा 151 डिप्लोमा स्तरीय संस्थान एवं 267 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध थे।

तालिका-6.9

उत्तर प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तर के प्राविधिक संस्थाओ की प्रगति

	संस्थायें	2001-02	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
1	इंजीनियरिंग कालेज की संख्या	8	11	11
(।)	प्रवेश क्षमता	2301	3046	3053
(।।)	वास्तविक प्रवेश	2301	2923	2940
2.	डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की संख्या	88	151	151
(।)	प्रवेश क्षमता	7570	37420	37320
(।।)	वास्तविक प्रवेश	7477	27736	27751

नोटः- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग डिग्री कालेज तथा आई.आई.टी, कानपुर आदि के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

स्रोत :- प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में प्रावैधिक शिक्षा हेतु 988.97 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था जिसके समक्ष उक्त मद पर वर्ष 2002-03 में 11. 15 करोड़ रुपये, वर्ष 2003-04 में 8.75 करोड़ रुपये, वर्ष 2004-05 में 55.77 करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में 22.65 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006-07 में 102.03 करोड़ रुपये व्यय किये गये। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में प्रावैधिक शिक्षा हेतु 1992.00 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जिसके सापेक्ष वर्ष 2007-08 में इस मद पर 89.27 करोड़ रुपये, वर्ष 2008-09 में 80.07 करोड़ रुपये, वर्ष 2009-10 में 94.01 करोड़ रुपये, वर्ष 2010-11 में 142.13 करोड़ रुपय एवं वर्ष 2011-12 में 117.99 करोड़ रुपये व्यय किये गये। प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर सरकार द्वारा किये जा रहे राजस्व व्यय तालिका-6.10 में दर्शाये गये है-

तालिका–6.10

उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की शिक्षा पर राजस्व व्यय

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	**मद**	**2011–12 (वास्तविक अनुमान)**	**2012–13 (पुनरीक्षित अनुमान)**	**वर्ष 2013–14 (आय–व्ययक अनुमान)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	प्राथमिक शिक्षा	1695981	1962046	2156168
		(67.26)	(66.14)	(64.84)
2	माध्यमिक शिक्षा	660537	815903	873759
		(26.20)	(27.50)	(26.27)
3	उच्च शिक्षा	136678	148508	253392
		(5.42)	(5.01)	(7.62)
4	अन्य	28265	40126	42118
		(1.12)	(1.35)	(1.27)
	योग	2521461	2966583	3325437
		(100.00)	(100.00)	(100.00)

स्रोत– उत्तर प्रदेश आय–व्ययक की रुपरेखा 2013–2014

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर किये गये कुल व्यय का सर्वाधिक अंश प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाता है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

उ0प्र0 देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा है। जनसाधारण को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा मातृत्व मृत्यु दर आदि में कमी आ रही है किन्तु प्रदेश में यह दरें अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्रदेश सरकार इन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं जनांकिकीय संकेतकों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एवं सुधार सरकार की मुख्य प्राथमिकताओ में है। **10 वीं** पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मद हेतु 2405.43 करोड़ रूपयें का परिव्यय स्वीकृत किया गया था जिसके सापेक्ष उक्त मद पर वर्ष 2002–03 में 270.18 करोड़ रूपये, वर्ष 2003–04 में 202.35 करोड़ रूपये, वर्ष 2004–05 में 398.76 करोड़ रूपये, वर्ष 2005–06 में 920.24 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2006–07 में 1946.61 करोड़ रूपये व्यय किये गये। **11वीं** पंचवर्षीय योजना(2007–12) में इस मद हेतु 13194.05 करोड़ रूपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जिसके समक्ष वर्ष 2007–08 में उक्त मद पर 1493.6 करोड़ रूपये,

वर्ष 2008-09 में 1847.39 करोड़ रुपये, वर्ष 2009-10 में 1683.24 करोड़ रुपये, वर्ष 2010-11 में 1524.38 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2011-12 में 1426.54 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

एस0आर0एस0 बुलेटिन, भारत सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2000 में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर क्रमशः 32.8, 10.3, 83 थी, जो निरंतर गिरते हुए वर्ष 2011 में क्रमशः 27.8, 7.9 एवं 57 हो गयी है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2011 में उक्त संख्या क्रमशः 21.8, 7.1 एवं 44 रही। जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है-

तालिका-6.11

प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

मद	वर्ष			
	2000		2011	
	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत
जन्म दर	32.8	25.8	27.8	21.8
मृत्यु दर	10.3	8.5	7.9	7.1
शिशु मृत्यु दर	83	68	57	44

स्त्रोतः- एस.आर.एस. बुलेटिन, महारजिस्ट्रार, भारत सरकार

मातृत्व मृत्यु दर

माँ के स्वास्थ्य का उसके बच्चो के स्वास्थ्य एवं उसके परिवार के स्वास्थ्य के साथ अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चें को जन्म दे सकती है। प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर में कमी लाना सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मातृत्व मृत्यु दर से तात्पर्य प्रतिवर्ष एक लाख जीवित जन्म पर माताओं की मृत्यु दर से है। अद्यतन एस0आर0एस0 बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष **1997-98** मे मातृत्व मृत्यु दर 606 थी जो वर्ष **1999-2001** में 539, **2001-2003** में 517, **2004-06** में 440 तथा **2007-2009** में घटकर 359 हो गयी। राष्ट्रीय स्तर पर उक्त दर क्रमशः 398, 327, 301, 254 तथा 212 है। स्पष्ट है कि प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्रदेश में अभी भी बच्चे घरों में अप्रशिक्षित लोगों द्वारा जन्म लेते हैं। माँ एवं बच्चा प्रसव के दौरान एवं बाद में सुरक्षित रहें, इसके लिए आवश्यक है कि प्रसव कुशल चिकित्सकों के निरीक्षण में तथा पर्याप्त स्वच्छता की दशा में किए जाएं। सरकार के कार्यक्रमों जैसे जननी सुरक्षा योजना आदि ने गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है-

तालिका 6.12

प्रदेश में संस्थागत प्रसव की स्थिति

(लाख में)

मद	वर्ष	
	2011–12	2012–13
संस्थागत प्रसव	27.55	26.85
प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रसव	12.25	10.99
अन्य व्यक्ति द्वारा प्रसव	2.24	–

तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश में वर्ष 2011–12 में संस्थागत प्रसवों की संख्या 27.55 लाख थी जो वर्ष 2012–13 में घटकर 26.85 लाख रह गयी। प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले प्रसवों की संख्या संवादी अवधि में 12.25 लाख से घटकर 10.99 लाख रह गयी।

जननी सुरक्षा योजना

यह योजना सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन(एन0आर0एच0एम0) के अन्तर्गत आरम्भ की गयी एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य संस्थागत प्रसवों को बढ़ाकर प्रदेश में मातृत्व एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इस हेतु सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली माताओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की संख्या तथा योजनान्तर्गत वितरित धनराशि के आँकड़े निम्नवत् है–

तालिका 6.13

प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना की प्रगति

मद	वर्ष		
	2010–11	2011–12	2012–13
जननी सुरक्षा योजना			
1–लाभार्थियों की संख्या	2341573	2327830	2176399
2–वितरित धनराशि (लाख रू0 में)	43687.76	42526.86	–

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 में 2327830 महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 425.27 करोड़ रू0 की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की गयी। वर्ष 2012–13 में योजना के लाभार्थियों की संख्या 2176399 रही।

आंगनवाड़ी कार्यक्रम

सरकार द्वारा (0-6) वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र खोले गए हैं। इन केन्द्रो का उद्देश्य पोषक आहार, स्वास्थ्य-शिक्षा एवं बच्चों को अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है ताकि वो बेहतर जीवन जी सके। प्रदेश में वर्ष 2011-12 में 187204 आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत थे, जिनकी संख्या वर्ष 2012-13 में बढ़कर 187997 हो गयी। जैसा की निम्न तालिका से स्पष्ट है-

तालिका 6.14

प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्र की संख्या

मद	वर्ष		
	2010-11	2011-12	2012-13
आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या			
1-स्वीकृत	188259	188259	188259
2-संचालित	160759	187204	187997

आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुपूरक पुष्टाहार के लाभार्थियों की श्रेणीवार स्थिति निम्नवत् है-

तालिका-6.15

आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुपूरक पुष्टाहार के लाभार्थी

(लाख में)

श्रेणीवार लाभार्थी	वर्ष		
	2010-11	2011-12	2012-13
06 माह से 03 वर्ष	104.59	104.39	105.20
03 वर्ष से 06 वर्ष	96.60	82.11	82.06
गर्भवती एवं धात्री महिलाएं	47.88	45.81	49.33

तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश में वर्ष 2011-12 में आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के कुल लाभार्थी 232.31 लाख थे जो वर्ष 2012-13 में 1.84 प्रतिशत बढ़कर 236.59 लाख हो गये।

प्रदेश में चिकित्सा सेवाएँ

प्रदेश वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वर्ष 2012-13 में प्रदेश में 24 मेडिकल कालेज (10 राजकीय एवं 14 निजी), 26 डेण्टल कालेज (1 राजकीय एवं 25 निजी), 4911 राजकीय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि सहित), स्थानीय निकाय एवं नगर पालिका 124, निजी(सहायता प्राप्त) 61 एवं 19414 निजी अस्पताल कार्यरत हैं, जैसा कि निम्न आंकड़ों से स्पष्ट है-

तालिका-6.16

प्रदेश में ऐलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या

(1जनवरी की स्थिति)

मद	वर्ष		
	2002	2012	2013
राजकीय	4236	4911	4911
स्थानीय निकाय एवं नगर पालिका	90	124	124
निजी(सहायता प्राप्त)	121	61	61
निजी (असहायता प्राप्त)	121	19414	19414
योग	4568	24510	24510

तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2002 में जहाँ कुल 4568 ऐलोपैथिक चिकित्सालय थे, वहीं 2013 में उनकी संख्या बढ़कर 24510 हो गयी।

तालिका-6.17

प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या

(2012-13)

आर्थिक क्षेत्र	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/ औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या परआयुर्वेदिक/यूनानी/ होम्योपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/ होम्योपैथिक/चिकित्सालयों / औषधालयों में शैय्याओं की संख्या
1	2	3	4	5
1 पूर्वी	2.58	40.58	2.08	5.65
2 पश्चिमी	2.17	36.84	1.51	4.46
3 केन्द्रीय	2.11	46.23	2.04	5.96
4 बुन्देलखण्ड	3.35	53.67	3.07	9.74
उत्तर प्रदेश	**2.38**	**40.83**	**1.91**	**5.46**

तालिका गत आँकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्ष 2012-13 में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/ औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 3.35 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सब से कम 2.11 केन्द्रीय क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/ औषधालयों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक बुन्देलखण्ड क्षेत्र 53.67 के उपरान्त द्वितीय स्थान पर केन्द्रीय क्षेत्र 46.23, तृतीय स्थान पर पूर्वी क्षेत्र 40.58 एवं सब से कम पश्चिमी क्षेत्र 36.84 में रही, जो प्रादेशिक औसत 40.83 से भी कम है।

प्रदेश में विभिन्न प्रकार के राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़ें तालिका-6.18 में दर्शाए गए हैं-

तालिका-6.18

उत्तर प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों का विवरण

	मद	एलोपैथिक		आयुर्वेदिक एवं यूनानी		होम्योपैथिक	
		1.1.12	1.1.13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
	1	2	3	4	5	6	7
1	चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या	5096	5096	2367	2367	1575	1575
2	शैय्याओं की संख्या	84229	84229	10899	10899	388	388
3	चिकित्सित रोगियों की संख्या (हजार में)	69695	69646	24442	29439	29218	25418

एक जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश में संचालित राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या 5096 थी जो एक जनवरी, 2013 को यथावत रही, इनमें निजी(सहायता प्राप्त) संस्थाए भी सम्मिलित हैं। उक्त अवधियों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या भी यथावत 84229 रही।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति देश की परम्परागत एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। जनसाधारण में इस चिकित्सा पद्धति की ओर विशेष विश्वास बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012-13 में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों/औषधालयों की

संख्या एवं इन चिकित्सालयों में शैय्याओं की संख्या यथावत क्रमशः 2367 एवं 10899 रही। वर्ष 2011-12 में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सित रोगियों की संख्या 24442 थी, जो बढ़कर वर्ष 2012-13 में 29439 हो गयी।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति अन्य दोनों चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में सस्ती मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में 1575 थी। उक्त चिकित्सालयों में शैय्याओं की संख्या भी वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में 388 ही रही। वर्ष 2011-12 में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सित रोगियों की संख्या 29218 थी, जो घटकर वर्ष 2012-13 में 25418 रह गयी।

परिवार कल्याण

बढ़ती हुई जनसंख्या देश एवं प्रदेश के विकास में एक प्रमुख अवरोधक है। अतः इसको नियंत्रित करने तथा जनसामान्य को इससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012-13 में कुल 307.65 हजार व्यक्तियों ने अनुर्वरीकरण कराया जो वर्ष 2011-12 के 318.95 हजार की तुलना में 3.5 प्रतिशत कम था। इनमें वर्ष 2012-13 में अनुर्वरीकरण कराने वाले पुरुषों की संख्या 7.18 हजार थी जो गत वर्ष 8.66 हजार की तुलना में 17.1 प्रतिशत कम था। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में महिला अनुर्वरीकरण की संख्या 300.47 हजार थी जो गत वर्ष 310.29 हजार की तुलना में 3.2 प्रतिशत कम रही।

उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में वर्ष 2011-12 में लूप निवेशन तथा कापर टी एवं ओरल पिल्स का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 1390.75 हजार तथा 245.99 हजार थी। वर्ष 2012-13 में लूप निवेशन तथा कापर टी का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 1392.24 हजार तथा 113.21 हजार रह गयी। प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट है-

तालिका-6.19

प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति

(संख्या हजार में)

मद	2001-02	2011-12	2012-13
1	2	3	4
1.अनुर्वरीकरण कराने वाले व्यक्ति			
अ. स्त्री	415.62	310.29	300.47
ब. पुरूष	2.00	8.66	7.18
स. योग	417.62	318.95	307.65
2.परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति			
क. लूप निवेशन तथा कापर टी	2256.10	1390.75	1392.24
ख. सी0सी0यूजर्स	1534.46	811.85	895.05
ग. ओ0पी0यूजर्स	826.67	245.99	113.21

स्त्रोत- परिवार कल्याण महा निदेशालय, उ0प्र0

महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को टिटनेस एवं बच्चों को काली खांसी, पोलियो इत्यादि के टीके लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011-12 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 47.06 लाख टी0टी0, 46.91 लाख डी0टी0पी0, 46.40 लाख पोलियो, 48.80 लाख बी0सी0जी0 एवं 46.98 लाख मीजिल्स के टीके लगाए गये। वर्ष 2012-13 में टिटनेस, काली खांसी, पोलियो, बी0सी0जी0 एवं मीजिल्स के टीकों की संख्या बढकर क्रमशः 73.33 लाख, 84.28 लाख, 82.76 लाख, 90.19 लाख एवं 87.07 हो गयी। प्रदेश में टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट है-

तालिका-6.20

महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाए गए टीके

(लाख में)

मद	वर्ष		
	2001-02	2011-12	2012-13
1	2	3	4
1.टी0टी0(गर्भवती माता)	57.27	47.06	73.33
2.डी0टी0पी0	55.23	46.91	84.28
3.पोलियो	55.22	46.40	82.76
4.बी0सी0जी0	55.51	48.80	90.19
5.मीजिल्स	51.85	46.98	87.07

स्त्रोतः- परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0

समाज कल्याण

समाज के कमजोर वर्गों, वृद्धों, अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा अशक्त एवं बेसहारा वर्ग के कल्याण एवं उत्थान से सम्बंधित विभिन्न योजनाओं का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश का समाज कल्याण विभाग सतत् प्रयासरत् है। वर्ष 1995-96 में समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित योजनाओं को पृथक-पृथक नये विभागों का सृजन कर उनके माध्यम से संचालित किये जाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया फलस्वरुप महिला कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्प संख्यक कल्याण एवं विकलांग कल्याण विभाग अस्तित्व में आये।

छात्रवृत्ति योजना

समाज कल्याण विभाग एवं उसकी अनुषंगी ईकाइयों द्वारा अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा विभिन्न वर्गो के आर्थिक रुप से कमजोर छात्र छात्राओं को प्राइमरी स्तर से स्नातकोत्तर स्तर, प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के समस्त अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को कक्षा 1 से 5 तक 25 रु0 प्रतिमाह तथा कक्षा 6 से 8 तक 40 रु0 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। हाईस्कूल में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को, जिनके अभिभावको की वार्षिक आय दो लाख रु0 तक है को 150 रु0 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाती है। दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति सम्बंधी अर्हता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में दो लाख रुपये वार्षिक आय सीमा वाले अभिभावकों के बच्चे इस छात्रवृत्ति हेतु पात्र हैं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाए

छात्रवृत्ति योजना के अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग द्वारा बुक बैंक योजना, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों एवं छात्रावासों की स्थापना तथा आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु उत्पीड़न की घटनाओं में आर्थिक सहायता, पुत्रियों की शादी एवं बीमारी के इलाज हेतु अनुदान देना तथा वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे समस्त वृद्ध जनों को 300रु0 प्रतिमाह की पेंशन अनुमन्य है, जिनका परिवार बी.पी.एल. सूची 2002 में सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले

सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की पुत्रियों की शादी एवं इलाज हेतु 37.50 करोड़ रुपयें का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार राज्य सरकार के विकलांग कल्याण विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (विकलांग पेशन) योजना के अन्तर्गत 300 रु0 प्रतिमाह ऐसे निराश्रित व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनकी कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता हो तथा मासिक आय एक हजार रु0 से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणी के विकलांगों को नि:शुल्क कृत्रिम अंग/सहायता उपकरण प्रदान करना, विकलांग से शादी करने पर पुरस्कार, विकलांग बच्चों हेतु विद्यालय/छात्रावास का संचालन, कौशल विकास केन्दों की स्थापना, बचपन डे केयर सेंटर का संचालन, दुकान निर्माण एवं संचालन तथा विकलांगता निवारण के लिये शल्य चिकित्सा हेतु अनुदान भी दिये जाते है।

निराश्रित विधवा महिलाओं हेतु महिला कल्याण विभाग द्वारा पेंशन योजना संचालित की जा रही है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं बेरोजगार युवक-युवतियों को 'आ' लेबल कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा व्यसायिक प्रशिक्षण देने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान दिलाये जाने की योजनायें भी संचालित की जा रही है।

प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत दी जा रही पेंशन एवं छात्रवृत्तियों को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है:-

तालिका-6.21

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त पेंशन एवं छात्रवृत्ति

विभाग का नाम	योजना का स्वरुप (पेंशन/ छात्रवृत्ति)	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या		वितरित धनराशि (लाख रु0 में)	
		2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	छात्रवृत्ति	3818844	4262180	16689.69	21052.76
महिला कल्याण विभाग	विधवा पेंशन	1627985	1664161	58475.26	59909.81
विकलांग कल्याण विभाग	विकलांग पेंशन	727622	802270	25647.74	27964.74
पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग	छात्रवृत्ति	19447986	16859725	88062.96	96562.37
समाज कल्याण विभाग	वृद्धावस्था पेंशन	3799208	3844585	139419.02	14050.07
	छात्रवृत्ति (सामान्य)	4399521	3838062	41686.63	41617.09
	छात्रवृत्ति (अनु0 जाति)	10742593	10776895	137973.49	154290.87

स्वच्छ पेयजल एवं जलोत्सारण सुविधा

जनसामान्य के स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012-13 में पेयजल सुविधायुक्त नगरों की

संख्या 630 तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 436 लाख थी। इसी प्रकार वर्ष 2012–13 में पेयजल सुविधा युक्त पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या 260110, आंशिक आच्छादित मजरों की संख्या शून्य तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 1635 लाख थी। प्रदेश में वातावरणीय स्वच्छता हेतु जलोत्सारण सुविधा का होना अत्यन्त आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012–13 में जलोत्सारण सुविधायुक्त नगरों की संख्या 55 तथा इनसे लाभान्वित जनसंख्या 40 लाख थी।

****

अध्याय–7

श्रम शक्ति एवं सेवायोजन

श्रम शक्ति का अभिप्राय 15–59 वय वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है और इसी वय वर्ग के व्यक्तियों से रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष 2001 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 15–59 वय वर्ग की जनसंख्या का अंश 59.9 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय औसत 62.6 प्रतिशत था।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 658.15 लाख कुल कर्मकर थे, जिनमें 190.58 लाख कृषक, 199.39 लाख कृषि श्रमिक, 38.99 लाख पारिवारिक उद्योगों तथा 229.19 लाख अन्य कार्यो में लगे कर्मकर थे। कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या क्रमशः 446.35 लाख तथा 211.79 लाख थी।

उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों का विवरण (2011 की जनगणनानुसार) तालिका 7.1 में दिया जा रहा है:-

तालिका–7.1

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण, 2011

(लाख में)

मद	**ग्रामीण**	**नगरीय**	**उत्तर प्रदेश**	**कर्मकरों का प्रतिशत**
1	2	3	4	5
1– कृषक	185.01	5.57	190.58	29.0
2– कृषि श्रमिक	189.10	10.29	199.39	30.3
3–पारिवारिक उद्योग	26.88	12.11	38.99	5.9
4– अन्य	118.52	110.67	229.19	34.8
कुल कर्मकर	**519.51**	**138.64**	**658.15**	**100.0**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों में 29.0 प्रतिशत कृषक के रूप में, 30.3 प्रतिशत कृषि श्रमिक के रूप में, 5.9 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग धन्धों में तथा 34.8 प्रतिशत अन्य कार्यो में कर्मकर लगे हैं।

कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या से सम्बंधित आंकड़े तालिका–7.2 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–7.2

उत्तर प्रदेश में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकर

(लाख में)

मद	कुल मुख्य कर्मकर	सीमान्त कर्मकर	कुल कर्मकर	कार्य न करने वाले
1	2	3	4	5
ग्रामीण	335.38	184.13	519.51	1033.66
नगरीय	110.97	27.67	138.64	306.32
उत्तर प्रदेश	**446.35**	**211.80**	**658.15**	**1339.98**

तालिका से स्पष्ट है कि कुल 658.15 लाख कर्मकरों में से 519.51 लाख कर्मकर ग्रामीण क्षेत्र में तथा 138.64 लाख कर्मकर नगरीय क्षेत्र में कार्यरत् थे। कुल कर्मकरों में 446.35 लाख मुख्य कर्मकर एवं 211.80 लाख सीमान्त कर्मकर थे। कुल मुख्य कर्मकरों में 335.38 लाख ग्रामीण क्षेत्र में तथा 110.97 लाख नगरीय क्षेत्र में कार्यरत् थे। इसी प्रकार कुल 211.80 लाख सीमान्त कर्मकरों में 184.13 लाख ग्रामीण क्षेत्र में एवं 27.67 लाख नगरीय क्षेत्र में कार्यरत् थे। प्रदेश में 1339.98 लाख की जनसंख्या कार्य न करने वालों की थी।

सेवायोजन सेवा

सेवायोजन सेवाओं के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों द्वारा मुख्य रूप से बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु पंजीयन तथा उन्हें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वैतनिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित रिक्तियों की पूर्ति हेतु सम्प्रेषित करना, व्यवसाय मार्ग निर्देशन कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार बाजार में उपलब्ध प्रशिक्षण, उच्चशिक्षा के अवसरों के सम्बन्ध में बेरोजगार अभ्यर्थियों को सम्यक एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना, स्वत: नियोजन के क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना, समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवानियोजकता तथा कौशल में वृद्धि करना, रोजगार/बेरोजगारी के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में सूचनाओं का एकत्रीकरण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सेवायोजन सेवा के अन्तर्गत 106 सेवायोजन कार्यालय कार्यरत हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवायोजकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र विभिन्न जनपदों में संचालित हैं।

सेवायोजकों को उनकी आवश्यकतानुसार अपेक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराने तथा रोजगार के लिये इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार सुलभ कराने हेतु प्रदेश में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय है। उक्त निदेशालय के अधीन जिला स्तर पर जिला सेवायोजन कार्यालय कार्यरत है। जनपद स्तर पर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों का पंजीयन करना तथा स्वत: नियोजन के लिये उन्हें प्रेरित करने का उत्तरदायित्व जनपदीय कार्यालयों का है। सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों तथा महिलाओं को रोजगार संबंधी सहायता उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

पंजीयन तथा सवेतन रोजगार कार्यक्रम

सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को अपना पंजीयन कराना होता है। ऐसे अभ्यर्थी भी अपना पंजीयन करा सकते हैं, जो सेवारत हैं और अच्छे रोजगार की तलाश में रहते हैं। पंजीयन तीन वर्षो के लिए मान्य होता है। इसके उपरान्त अभ्यर्थियों को अपने पंजीयन का नवीनीकरण कराना होता है। नवीनीकरण के अभाव में अभ्यर्थियों का नाम सक्रिय पंजिका से हटा दिया जाता है। पंजीयन के समय अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है।

सेवायोजन कार्यालयों में सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त नियोजकों तथा निजी क्षेत्र के ऐसे नियोजक जिनके यहां 25 अथवा अधिक कार्मिक कार्यरत हैं, को अपनी रिक्तियों की अधिसूचना करना अनिवार्य है। निजी क्षेत्र के नियोजकों के लिए ऐच्छिक है कि वे सेवायोजन कार्यालयों से नाम मंगाये अथवा न मंगाये। नियोजकों से रिक्तियां प्राप्त होने पर सेवायोजन कार्यालयों में नियोजक के नाम से तुरन्त अभिलेख खोल दिया जाता है। उसमें नियोजक की मांग का पूर्ण विवरण रखा जाता है। इसके उपरान्त नियोजक की मांग के अनुरूप योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों का नाम पंजीयन की वरिष्ठता के आधार पर सम्प्रेषित किया जाता है। नियोजक को नाम भेजते समय यह अनुरोध किया जाता है कि वे चयनित अभ्यर्थियों की सूची सेवायोजन कार्यालय में उपलब्ध करायें। चयन का परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया जाता है।

इस प्रकार सेवायोजकों एवं बेरोजगार अभ्यर्थियों के बीच रोजगार की आवश्यकता की पूर्ति में मध्यस्थ की भूमिका के निर्वहन हेतु सेवायोजन कार्यालय बेरोजगार अभ्यर्थियों को पंजीकृत करके सेवायोजकों से रिक्तियों की सूचना प्राप्त कर उपयुक्त अभ्यर्थियों को चयन हेतु

सेवायोजकों के पास भेजकर अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर सुलभ कराते हैं। सेवायोजन से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े तालिका 7.3 में दिये जा रहे हैं:-

तालिका-7.3

उत्तर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार सृजन सम्बन्धी आंकड़े

क्रम संख्या	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2011	2012	
1	2	3	4	5
1.	पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या (हजार में)	527	5455	935.1
2.	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	3624	2736	(-)24.5
3.	अधिसूचित रिक्तियों में सम्प्रेषण	79415	17592	(-)77.8
4.	सवेतन रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	27775	8691	(-)68.7
5.	स्वत: रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	2762	1874	(-)32.2
6.	वर्ष के अन्त में सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या (हजार में)	2046	6923	238.4

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2012 में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 5455 हजार थी जो गत वर्ष की तुलना में 935.1 प्रतिशत अधिक रही। इसी क्रम में वर्ष 2012 में अधिसूचित रिक्तियों की संख्या 2736 थी जो गत वर्ष की अपेक्षा 24.5 प्रतिशत कम रही। उत्तर प्रदेश में सवेतन रोजगार में लगे अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2012 में 8691 थी, जो गत वर्ष की अपेक्षा 68.7 प्रतिशत कम रही तथा स्वत: रोजगार में लगे अभ्यर्थियों की संख्या 1874 रही जो कि गत वर्ष की अपेक्षा 32.2 प्रतिशत कम रही। वर्ष के अन्त में सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2012 में 6923 हजार थी जो गत वर्ष 2011 की अपेक्षा 238.4 प्रतिशत अधिक रही।

स्वत: रोजगार/नियोजन कार्यक्रम

प्रदेश में तीव्र गति से बढ़ती बेरोजगारी पर नियन्त्रण हो सके इस पृष्ठभूमि में वैतनिक रोजगार के सीमित अवसरों को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वत: नियोजन के क्षेत्र में अनेक योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। उक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप स्वत: नियोजन के क्षेत्र में बेरोजगार अभ्यर्थियों को अपने धन्धे स्थापित करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। सेवायोजन कार्यालयों द्वारा भी इस

क्षेत्र में प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है। सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वत: रोजगार के उपयुक्त व्यवसाय तथा स्वत: नियोजन के प्रोन्नयन के लिये बनायी गयी विभिन्न योजनाओं की भली-भांति जानकारी कराकर उन्हें स्वत: रोजगार के क्षेत्र में अपना रोजगार धन्धा आरम्भ करने के लिये उत्प्रेरित किया जाता है। वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेरोजगार अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र, वित्तीय संस्थाओं को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से भी अग्रसारित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 में 2762 तथा वर्ष 2012 में 1874 अभ्यर्थियों को स्वत: नियोजित कराया गया। निदेशालय स्तर पर स्वत: नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण तालिका-7.4 में दर्शाया गया है:-

तालिका-7.4

उत्तर प्रदेश में स्वत: नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2011	2012	
1	2	3	4	5
1.	स्वत: नियोजन हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	6621	5169	(-)21.9
2.	स्वत: नियोजन हेतु प्रार्थना पत्रों का अग्रसारण	5408	4195	(-)22.4
3.	स्वत: नियोजन कराये गये व्यक्तियों की संख्या	2762	1874	(-)32.2
4.	स्वत: नियोजन हेतु आयोजित सामूहिक वार्ताएं	4667	3528	(-)24.4
5.	स्वत: नियोजन हेतु आयोजित गोष्ठियों/बैठकों की संख्या	1935	636	(-)67.1

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्वत: नियोजन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 में 5169 अभ्यर्थियों का पंजीकरण कराया गया तथा सामूहिक वार्तायें एवं गोष्ठियां आयोजित की गई। वर्ष 2012 में स्वत: नियोजन हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या गत वर्ष की तुलना में 21.9 प्रतिशत कम रही। इसी प्रकार वर्ष 2012 में गत वर्ष 2011 की अपेक्षा प्रार्थनापत्रों के अग्रसारण में 22.4 प्रतिशत, स्वत: नियोजन कराये गये व्यक्तियों की संख्या में 32.2 प्रतिशत, आयोजित सामूहिक वार्तायें में 24.4 प्रतिशत एवं स्वत: नियोजन हेतु आयोजित गोष्ठियों/बैठकों की संख्या में 67.1 प्रतिशत की कमी रही।

उत्तर प्रदेश में विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों को स्वत: नियोजित कराये जाने की प्रगति का विवरण तालिका 7.5 में दर्शाया गया है-

तालिका–7.5

उत्तर प्रदेश में स्वतः नियोजित कराए गए विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या

विशेष वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
	2011	2012	
1	2	3	4
1. अनुसूचित जाति	863	630	(–) 27.0
2. अनुसूचित जनजाति	–	–	–
3. विकलांग	13	5	(–)61.5
4. महिलाएं	340	206	(–)39.4
5. पिछड़ी जाति	567	315	(–)44.4
6. भूतपूर्व सैनिक	–	–	–
7. शिल्पकार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित	45	10	(–)77.8

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2012 में स्वतः नियोजित कराये गये विशेष वर्ग के सभी अभ्यर्थियों की संख्या में कमी आयी है। सर्वाधिक कमी विकलांग वर्ग (61.5 प्रतिशत) के अभ्यर्थियों की संख्या में हुई।

प्रदेशवासियों को सवैतनिक रोजगार सुलभ कराने में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों से सम्बन्धित आंकड़ा तालिका 7.6 में दर्शाया गया है–

तालिका–7.6

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्षेत्र	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
	मार्च, 2011	मार्च, 2012	
1	2	3	4
1.केन्द्र सरकार	736	739	0.4
2.राज्य सरकार	8369	8406	0.4
3.अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	5402	5470	1.3
4.अर्द्ध सरकार (राज्य)	1592	1600	0.5
5.स्थानीय निकाय	1314	1314	0.0
योग	**17413**	**17529**	**0.7**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में मार्च 2011 से मार्च, 2012 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अधिष्ठानों की संख्या में वृद्धि हुई है।

प्रदेश में मार्च, 2011 के अन्त में 17413 अधिष्ठान सेवायोजक पंजिका पर उपलब्ध थे, जो 0.7 प्रतिशत बढ़कर मार्च, 2012 में 17529 हो गये। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अधिष्ठानों की संख्या में 116 की वृद्धि हुई है।

नये नियोजकों की खोज

जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक एक वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के 27 तथा निजी क्षेत्र के 42 कुल 69 नये नियोजकों को सेवायोजक पंजिका पर अभिज्ञानित किया गया।

रोजगार सुलभ कराने में निजी क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के सेवायोजकों से संबंधित आंकड़े तालिका 7.7 में दिये जा रहे है:-

तालिका-7.7

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्रमांक	अधिष्ठान वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2011	मार्च, 2012	
1	2	3	4	5
1	एक्ट अधिष्ठान	5084	5177	1.8
2	नान एक्ट अधिष्ठान	3361	3441	2.4
	योग	**8445**	**8618**	**2.0**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मार्च, 2011 से मार्च, 2012 की अवधि में निजी क्षेत्र के कुल अधिष्ठानों की संख्या में 173(2.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या मार्च, 2012 में 16.27 लाख थी जो मार्च, 2011 की तुलना में 0.02 प्रतिशत अधिक रही।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या तालिका-7.8 में दी जा रही है:-

तालिका–7.8

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2011	मार्च, 2012	
1	2	3	4	5
1.	केन्द्र सरकार	319315	319906	0.19
2.	राज्य सरकार	691730	694748	0.44
3.	अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	168807	168881	0.04
4.	अर्द्ध सरकार (राज्य)	337201	334825	(–)0.70
5.	स्थानीय निकाय	109803	108889	(–)0.83
	योग	**1626856**	**1627249**	**0.02**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि अर्द्ध सरकार (राज्य) एवं स्थानीय निकाय को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में गत वर्ष की अपेक्षा मार्च, 2012 में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है सर्वाधिक वृद्धि राज्य सरकार के क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा 0.44 प्रतिशत हुई है।

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में मार्च, 2012 में गत वर्ष की अपेक्षा 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। निजी क्षेत्र में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े तालिका 7.9 में दिये गये है–

तालिका–7.9

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

कमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2011	मार्च, 2012	
1	2	3	4	5
1	एक्ट अधिष्ठान	494265	530797	7.4
2	नानएक्ट अधिष्ठान	47947	49376	3.0
	योग	**542212**	**580173**	**7.0**

औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में मार्च, 2012 में गत वर्ष की अपेक्षा कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में 0.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण तालिका 7.10 में दिया गया है–

तालिका–7.10

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत् कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2011	मार्च, 2012	
1	2	3	4	5
"ए"	कृषि, पशुधन एवं वन सम्पदा	40060	39797	(–)0.66
"बी"	मत्स्य सेवायें	1200	1194	(–)0.50
"सी"	खान एवं उत्खनन	4915	4913	(–)0.04
"डी"	उत्पादन	104874	102702	(–)2.07
"ई"	विद्युत, गैस एवं जल सम्पूर्ति	61395	60342	(–)1.72
"एफ"	निर्माण	127468	127311	(–)0.12
"जी"	थोक एवं फुटकर व्यापार,मोटरगाड़ी, मोटर साइकिल तथा वैयक्तिक एवं घरेलू सामानों की मरम्मत	13684	13657	(–)0.20
"एच"	होटल एवं रेस्टोरेंट	375	377	0.53
"आई"	परिवहन, भण्डारण एवं संचार	264050	264795	0.28
"जे"	फाइनेन्शियल इण्टरमीडिएशन	102345	103107	0.74
"के"	रियल स्टेट, रेन्टिग एवं व्यापारिक क्रियायें	8321	8246	(–)0.90
"एल"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	458054	459640	0.35
"एम"	शिक्षा	275655	276678	0.37
"एन"	स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	127776	128241	0.36
"ओ"	अन्य सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवायें	36684	36249	(–)1.19
	योग	**1626856**	**1627249**	**0.02**

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि होटल एवं रेस्टोरेंट, परिवहन, भण्डारण एवं संचार, फाइनेन्शियल इण्टरमीडिएशन, लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य वर्ग को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के शेष वर्गो में मार्च, 2012 में कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में कमी हुई है और यह कमी सर्वाधिक 2.07 प्रतिशत उत्पादन वर्ग में हुई।

औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार निजी क्षेत्र में मार्च, 2012 में गत वर्ष की अपेक्षा कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण तालिका-7.11 में दिया गया है-

तालिका-7.11

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत् कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2011	मार्च, 2012	
1	2	3	4	5
"ए"	कृषि, पशुधन एवं वन सम्पदा	363	370	1.93
"सी"	खान एवं उत्खनन	12	12	0.00
"डी"	उत्पादन	270394	291899	7.95
"ई"	विद्युत, गैस एवं जल सम्पूर्ति	4470	4415	(-)1.23
"एफ"	निर्माण	286	289	1.05
"जी"	थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटर गाड़ी, मोटर साइकिल तथा वैयक्तिक एवं घरेलू सामानों की मरम्मत	7952	8766	10.24
"एच"	होटल एवं रेस्टोरेंट	5865	7400	26.17
"आई"	परिवहन, भण्डारण एवं संचार	19764	22702	14.87
"जे"	फाइनेन्शियल इण्टरमीडिएशन	6277	6619	5.45
"के"	रियल स्टेट, रेन्टिग एवं व्यापारिक क्रियायें	13525	21215	56.86
"एम"	शिक्षा	199456	202460	1.51
"एन"	स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	8783	9180	4.52
"ओ"	अन्य सामुदायिक,सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवायें	5065	4846	(-)4.32
	योग	**542212**	**580173**	**7.00**

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि विद्युत, गैस एवं जल सम्पूर्ति तथा अन्य सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवायें वर्ग को छोड़कर शेष सभी वर्गो में मार्च, 2012 में कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि सर्वाधिक रियल स्टेट, रेन्टिग एवं व्यापारिक क्रियायें वर्ग में 56.86 प्रतिशत हुई। होटल एवं रेस्टोरेंट वर्ग 26.17 प्रतिशत की वृद्धि के साथ द्वितीय स्थान पर रहा।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या मार्च, 2012 में गत वर्ष की अपेक्षा 0.6 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में 13.7 प्रतिशत अधिक रही। जबकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर देखने से इनमें उक्त अवधि में गतवर्ष की अपेक्षा 4.0 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। इन्हें तालिका 7.12 से देखा जा सकता है:-

तालिका-7.12

उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत् महिला कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2011	मार्च, 2012	
1	2	3	4	5
1	सार्वजनिक क्षेत्र	199220	200425	0.6
2	निजी क्षेत्र	68830	78230	13.7
	योग	**268050**	**278655**	**4.0**

****

अध्याय–8

प्रदेश की आर्थिक प्रत्याशायें

अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि विकास का एक प्रमुख अवरोधक है। जनसंख्या भार से त्रस्त, प्राकृतिक भौतिक संसाधनों की कमी, प्रतिकर्मकर औसत आय की न्यूनता, कर देय क्षमता का अभाव तथा पर्याप्त निजी वित्तीय संसाधन जुटाने में असमर्थता के कारण बचत एवं पूंजी निर्माण की सम्भावनायें क्षीण रहती हैं। प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु बड़े–बड़े उद्योगपतियों द्वारा पूंजी निवेश कराये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश में उपलब्ध श्रम शक्ति हेतु लाभदायी रोजगार के अवसर सुलभ कराये जाने हेतु विपुल पूंजी निवेश की आवश्यकता है। पर्याप्त पूंजी निवेश के अभाव में प्रदेश के विकास में वांछित सफलता नही मिल पा रही है। प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय की अपेक्षा प्रतिव्यक्ति राज्य आय में न्यूनता तथा उसमें निरन्तर बढ़ता हुआ अन्तराल प्रदेश के आर्थिक विकास के सन्दर्भ में प्रतिकूल लक्षण है। प्रदेश के आर्थिक विकास को वास्तव में विकासोन्मुख बनाने के लिये यह आवश्यक है कि प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के विशेष प्रयास किये जायें।

किसी भी प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए आवश्यक है कि विकास का आर्थिक तथा सामाजिक लाभ उस प्रदेश के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचें, प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार आए। प्रदेश के विकास में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास महत्वपूर्ण है। प्रदेश में पूँजी निवेश को बढ़ाने हेतु निवेशको को आकर्षित करना, आर्थिक विकास दर को गति प्रदान करना तथा अधिकाधिक रोजगार सृजन करते हुए जनसामान्य के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना आवश्यक है।

नियोजित विकास के सन्दर्भ में योजना परिव्यय की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश की विशाल जनसंख्या, आर्थिक पिछड़ापन तथा प्राकृतिक खनिज सम्पदा का अभाव इत्यादि कारणोंवश प्रदेश को अधिक योजना परिव्यय की आवश्यकता रही है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति योजना व्यय/परिव्यय सम्पूर्ण राज्यों के औसत प्रति व्यक्ति योजना व्यय/परिव्यय से कम है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु तालिका 8.1 में सन्दर्भित आंकड़े दर्शाये गये हैं–

तालिका–8.1

उत्तर प्रदेश एवं समस्त राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति योजना व्यय/परिव्यय

(रूपये)

योजनावधि		प्रति व्यक्ति योजना व्यय/परिव्यय		समस्त राज्यों के औसत के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में प्रतिव्यक्ति योजना व्यय/परिव्यय की कमी (प्रतिशत)
		उत्तर प्रदेश	समस्त राज्यों का औसत	
1		2	3	4
1–	प्रथम(1951–56)	25	38	34.2
2–	द्वितीय(1956–61)	32	51	37.3
3–	तृतीय(1961–66)	72	92	21.7
4–	वार्षिक योजनायें(1966–69)	53	61	13.1
5–	चतुर्थ(1969–74)	132	142	7.0
6–	पांचवीं(1974–79)	329	361	8.9
7–	छठीं(1980–85)	588	718	18.1
8–	सातवीं(1985–90)	1077	1270	15.2
9–	(1990–91)	237	275	13.8
10–	(1991–92)	237	293	19.1
11–	आठवीं(1992–97)	1559	2205	29.3
12–	नवीं(1997–2002)	1704	3421	50.2
13–	दसवीं (2002–2007)	3299	6026	45.3
14–	ग्यारहवीं (2007–2012)*	10911	16393	33.4
	2012–13*	2896	4739	38.9

स्रोत :– उत्तर प्रदेश आय–व्ययक की रूपरेखा 2013–2014 *परिव्यय

टिप्पणी– वर्ष 2012–13 के आँकड़े जनगणना 2011 की जनसंख्या पर आधारित हैं।

तालिका 8.1 के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम योजनावधि में प्रति व्यक्ति योजना व्यय 25 रूपये से बढ़कर दसवीं योजनावधि में 3299 रूपये हो गया, जबकि समस्त राज्यों के औसत प्रतिव्यक्ति योजना व्यय में सम्वादी वृद्धि 38 रूपये से बढ़कर 6026 रूपये हो गयी। ग्यारहवीं योजनावधि में प्रदेश का प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय 10911 रूपये है, जबकि इस अवधि में समस्त राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय बढ़कर 16393 रूपये हो गया।

प्रदेश में ही विभिन्न मदों हेतु विकास के लिए वित्तीय संसाधन सुलभ कराने के प्रयास किये जाते हैं। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के आर्थिक विकास को गतिशील बनाने के उद्देश्य से विकास मदों की

प्राथमिकतायें निर्धारित की जाती हैं। प्राथमिकतानुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में विकास हेतु निर्धारित प्राथमिकताओं के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में विभिन्न कार्यक्रमों हेतु आवंटित योजना परिव्यय/व्यय का खण्डवार वितरण तालिका 8.2 में दर्शाया गया है:-

तालिका-8.2

उत्तर प्रदेश में योजना परिव्यय/व्यय का प्रमुख मदवार वितरण

(करोड़ रु0 में)

मद	बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में स्वीकृत परिव्यय का अंश	वर्ष 2012-13 में स्वीकृत परिव्यय का अंश	वर्ष 2012-13 में व्यय का अंश (अनन्तिम)
1	2	3	4
1- कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय	33677.44	5005.26	3410.52
2- ग्राम्य विकास एवं रोजगार	10492.79	1526.75	2738.75
3- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	37923.52	5059.03	2473.96
4- विद्युत ऊर्जा	49839.95	3951.80	7180.19
5- उद्योग एवं खनिज	25870.81	5077.86	5087.86
6- यातायात	38071.69	2822.14	4211.23
7- शिक्षा	46492.08	7424.43	6304.40
8- स्वास्थ्य	20988.48	2338.90	1950.95
9- जल सम्पूर्ति एवं स्वच्छता	9317.32	1433.07	1532.32
10- अन्य	88325.92	23160.76	14896.95
योग	**361000.00**	**57800.00**	**49787.13**

स्रोत - वार्षिक योजना-2013-2014, खण्ड-2, उत्तर प्रदेश।

तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में विद्युत ऊर्जा मद में (अन्य मद को छोड़कर) सर्वाधिक 49839.95 करोड़ रु0 का परिव्यय स्वीकृत किया गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (2012-13) में सर्वाधिक धनराशि क्रमशः 7424.43 करोड़ रु0 शिक्षा, 5077.86 करोड़ रु0 उद्योग एवं खनिज, 5059.03 करोड़ रु0 सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, 5005.26 करोड़ रु0 कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय तथा 3951.80 करोड़ रु0 विद्युत ऊर्जा आदि मदों को आवंटित किया गया है। वर्ष 2012-13 में स्वीकृत परिव्यय 57800.00 करोड़ रुपये के सापेक्ष 49787.13 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में विभिन्न कार्यक्रमों हेतु आवंटित योजना परिव्यय/व्यय का खण्डवार प्रतिशत वितरण तालिका 8.3 में दिया जा रहा है:-

तालिका- 8.3

उत्तर प्रदेश में योजना परिव्यय/व्यय का प्रमुख मदवार प्रतिशत वितरण

मद	बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में स्वीकृत परिव्यय का प्रतिशत अंश	वर्ष 2012-13 में स्वीकृत परिव्यय का प्रतिशत अंश	वर्ष 2012-13 में व्यय का प्रतिशत अंश (अनन्तिम)
1	2	3	4
1- कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय	9.33	8.66	6.85
2- ग्राम्य विकास एवं रोजगार	2.91	2.64	5.50
3- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	10.50	8.75	4.97
4- विद्युत ऊर्जा	13.80	6.84	14.42
5- उद्योग एवं खनिज	7.17	8.79	10.22
6- यातायात	10.55	4.88	8.46
7- शिक्षा	12.88	12.84	12.66
8- स्वास्थ्य	5.81	4.05	3.92
9- जल सम्पूर्ति एवं स्वच्छता	2.58	2.48	3.08
10- अन्य	24.47	40.07	29.92
योग	**100.00 (361000.00)**	**100.00 (57800.00)**	**100.00 (49787.13)**

टिप्पणी- कोष्ठक में धनराशि करोड़ रूपये में दर्शायी गयी है।

तालिका- 8.3 के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में राज्य सरकार द्वारा विद्युत ऊर्जा से सम्बन्धित कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में (अन्य मद को छोड़कर) सर्वाधिक 13.80 प्रतिशत अंश आवंटित किया गया है। इसके उपरान्त शिक्षा 12.88 प्रतिशत, यातायात 10.55 प्रतिशत, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण 10.50 प्रतिशत तथा कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय 9.33 प्रतिशत के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गयी है। वर्ष (2012-13) में सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि 57800.00 करोड़ रुपये का (अन्य मद को छोड़कर) 12.84 प्रतिशत शिक्षा, 8.79 प्रतिशत उद्योग एवं खनिज, 8.75 प्रतिशत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, 8.66 प्रतिशत कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय तथा 6.84 प्रतिशत विद्युत ऊर्जा आदि मदों को आवंटित किया गया है।

****

परिशिष्ट

उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्रवार जनपदों की सूची

(वर्ष 2013 की स्थिति के अनुसार)

आर्थिक क्षेत्र	सम्मिलित जनपद		
1	2	3	4
1-**पश्चिमी क्षेत्र**	1-सहारनपुर	2-मु0 नगर	3-शामली
	4-मेरठ	5-गाजियाबाद	6-हापुड़
	7-बुलन्दशहर	8-गौतमबुद्ध नगर	9-बागपत
	10-आगरा	11-मथुरा	12-मैनपुरी
	13-फिरोजाबाद	14-अलीगढ़	15-एटा
	16-हाथरस	17-कासगंज	18-बरेली
	19-बदायूं	20-पीलीभीत	21-शाहजहांपुर
	22-मुरादाबाद	23-बिजनौर	24-संभल
	25-रामपुर	26-अमरोहा	27-कन्नौज
	28-इटावा	29-फर्रुखाबाद	30-औरय्या
2- **केन्द्रीय क्षेत्र**	1-कानपुर(नगर)	2-कानपुर देहात	3-फतेहपुर
	4-लखनऊ	5-उन्नाव	6-रायबरेली
	7-सीतापुर	8-हरदोई	9-खीरी
	10-बाराबंकी		
3- **पूर्वी क्षेत्र**	1-इलाहाबाद	2-प्रतापगढ़	3-कौशाम्बी
	4-गाजीपुर	5-गोरखपुर	6-महराजगंज
	7-कुशीनगर	8-देवरिया	9-बस्ती
	10-सिद्वार्थ नगर	11-सन्तकबीर नगर	12-आजमगढ़
	13-मऊ	14-बलिया	15-फैजाबाद
	16-गोण्डा	17-बहराइच	18-वाराणसी
	19-जौनपुर	20-अमेठी	21-चन्दौली
	22-सुल्तानपुर	23-मिर्जापुर	24-सोनभद्र
	25-संत रविदास नगर (भदोही)	26-अम्बेदकर नगर	27-बलरामपुर
	28-श्रावस्ती		
4-**बुन्देलखण्ड क्षेत्र**	1-बांदा	2-हमीरपुर	3-जालौन
	4-झांसी	5-ललितपुर	6-महोबा
	7-चित्रकूट		

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 6 आर्थिक बोध एवं संख्या–17.02.2014–(1714)–1500 प्रतियां (आफसेट)।

:: मुद्रक ::
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०
वेबसाइट : dpsup.up.nic.in